



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान राज्य के कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा
प्रतिवेदन
वर्ष 2020-21

विवरण सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
(i) प्रस्तावना	I
(ii) समग्र दृष्टि	II
(iii) भाग प्रथम - परिचय	1
(iv) भाग द्वितीय- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ	4
(v) भाग तृतीय - कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ	9
(vi) भाग चतुर्थ - सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा	40

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के लेखों का संकलन सम्बन्धी कार्य किए जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से राजस्थान के लेखों के संकलन कार्य के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर उत्तरदायी है। राज्य के समस्त कोषालय अपने मासिक लेखे, समस्त लेन देनों के आवश्यक चालानों व वाऊचरों सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार(लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त कोषालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य अंग है तथा वे शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान करने के साथ ही शासकीय खर्चों पर नियंत्रण रखने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कोषालयों / उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर प्रति वर्ष इस कार्यालय द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान में कार्यरत कोषालयों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांशीकरण किया गया है जो इस कार्यालय में लेखों के संकलन के दौरान व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थी। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ परिलक्षित हुई थीं, उन्हें सम्बंधित जिला कलेक्टरों, कोषाधिकारियों, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के ध्यान में लाया गया है। विगत वर्षों के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं / त्रुटियों का तुलनात्मक विवरण विभिन्न चार्टों में दर्शाया गया है।

कोषालयों की दक्षतापूर्ण कार्य प्रणाली राज्य के उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इस प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय प्रशासन की सहायता करना है। मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रक्रिया में योगदान दिया है, धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक: 22-07-2021



(डी.पी.यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
राजस्थान, जयपुर

समग्र - दृष्टि

आक्षेप संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.6	लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, चूरु से संबंधित बकाया रहे अंतर के निराकरण का अभाव अंतर राशि ₹ 11.41 लाख (जमा)	7
2.7	आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 17.38 करोड़	7
2.8	निजी निक्षेप खातों के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस- माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 4.01 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 754.77 करोड़ के निराकरण का अभाव	8
3.3	निरीक्षण प्रभाव एवं उपलब्धियां ₹ 38.60 लाख	10
3.4.1	उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि से कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 24.09 लाख	13
3.4.2	सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान राशि ₹ 3.71 लाख	14
3.4.3	वैधता अवधि पार उपादान भुगतान आदेशों को पुनर्वैधताकरण कराये बिना अनियमित भुगतान राशि ₹ 11.62 लाख	14
3.4.4.1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की सम्बन्धित बैंकों से एक मुश्त वसूली नहीं करना राशि ₹ 16.35 लाख	15
3.4.4.2	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखाओं के अधीनस्थ पत्रावलियों के निरीक्षण का अभाव	15
3.4.5	बैंक ई-स्कॉल में लुप्त एवं कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में प्रदर्शित तथा कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में लुप्त एवं बैंक स्कॉल में प्रदर्शित डाटाज का समय पर निस्तारण नहीं करना	16
3.4.6.1	पेंशन की रूपांतरित राशि भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 11.42 लाख	16
3.4.7	सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं / कम करना राशि ₹ 2.84 लाख	17
3.4.8	पेंशन चैक रजिस्टर में कम/अधिक भुगतान के मिस मैच प्रकट होना	18

3.4.9	सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान की गई अधिकृतियों, भुगतान आदेशों, टी.एस. रजिस्टर एवं पी.पी.ओ. के पृष्ठ भाग की प्रतियों की पत्रावली का संधारण नहीं करना	18
3.4.10	नेशनल पेंशन स्कीम के लिए खोले गये पी.डी. खाता में जमा राशियों को प्रति माह राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रेषित करने का अभाव राशि ₹ 10.55 करोड़	19
3.5.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 12.73 करोड़	20
3.5.2	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान राशि ₹ 1.11 लाख	21
3.5.3	राजएसएसपी मोड्यूल में पेंशनर के अपात्र होने की तिथि के पश्चात भी भुगतान किया जाने के संबंध में चैक लगाने का अभाव राशि ₹ 1.00 लाख	21
3.5.4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 0.63 लाख	22
3.6	व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव	22
3.7.1	निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना	23
3.7.2	कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अंतर राशि ₹ 1.28 लाख व ऋणात्मक अंतर राशि ₹ 52.17 लाख	23
3.7.3	निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव	24
3.7.4	ऑनलाईन सॉफ्टवेयर "राजकोष" में निजी निक्षेप खातों में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण अनुमत्य करना	24
3.8.1	अनुपयोगी कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांकों के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 3.94 लाख	25
3.9.1	भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 42.79 करोड़	25
3.9.2.1	कार्य प्रणाली की विफलता (System Failure) के कारण कोषाधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन कागजात समय पर तैयार नहीं करना	26
3.9.2.2	कार्यप्रणाली की विफलता (System Failure) के कारण कोषाधिकारियों द्वारा भवन ऋणों के एक ही प्रकार के प्रकरणों में भेदभावपूर्ण तरीके से अलग-अलग दर से ब्याज की वसूली करना एवं समय पर अदेयता प्रमाण पत्र जारी	27

	नहीं करना	
3.9.2.3	भवन ऋण के मूलधन एवं ब्याज की वसूली के उपरांत भी अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं करना	30
3.9.2.4	वाहन अग्रिम पेटे जारी अदेयता प्रमाण पत्र में गलत रिफण्ड योग्य दर्शाई राशि की वसूली नहीं करना	30
3.9.2.5	वाहन अग्रिम आहरण के बाद सेवानिवृत्ति तिथि तक मूलधन एवं ब्याज पेटे कोई कटौती नहीं होना एवं अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं करना	31
3.9.2.6	दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहदपुस्तिकाओं के संधारण का अभाव	31
3.9.2.7	अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना	32
3.10.1	राजकीय प्राप्तियों की राशि को राजकोष में जमा कराने का अभाव ₹ 0.90 लाख	33
3.10.2	जिला मिनेरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएफएमटी) के निजी निक्षेप खाता में जमा राशियों को खनन प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों पर व्यय नहीं करना राशि ₹ 19.52 करोड़	34
3.10.4	बैंक की वेब साइट पर चालान आईडेंटिफिकेशन नम्बर डुप्लीकेट जनरेट होना	35
3.10.5	राजकीय प्राप्तियों की राशि ₹ 4.17 करोड़ को बैंक द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से जमा कराने उपरांत देय दण्डनीय ब्याज राशि की गणना एवं वसूली का अभाव	36
3.10.6	निर्माण खण्डों से संबंधित चालानों (GRN) में डिविजन कोड अंकित नहीं होने के कारण वृहदपुस्तिकाओं में अंतर प्रदर्शित होना	37
3.10.7	हस्तानांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) में रखी गई राशियों का समय पर निस्तारण नहीं करना	37
3.10.8	राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल पर प्रकट हुए अंतरों का निराकरण न होना	38
3.10.9	बैंकों से दैनिक मासिक मानचित्र (Date wise Monthly Statement) डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति का अभाव	39
3.10.10	रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव	39

कोषालयों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

भाग-1

1. परिचय

1.1 कोषागार की भूमिका

राज्य के समस्त कोषालय, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। समीक्षा वर्ष 2020-21 के दौरान 41 कोषालय (खजाना) एवं 253 उप कोषालय (उप खजाना) राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत रहे, जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या-1](#) में दर्शाया गया है, जिनमें कुल 25633 आहरण-संवितरण अधिकारियों के प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेन-देन हेतु खुले हुए थे। राजस्थान के 04 जिला मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर) पर कार्यरत मुख्य कोषालयों के अलावा 07 अतिरिक्त कोषालय कार्यरत हैं जिनका विवरण [परिशिष्ट संख्या -2](#) में दर्शाया गया है। इनमें से 41 कोषालयों एवं 156 उप कोषालयों तथा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय का वर्ष 2020-21 में निरीक्षण किये जाने के लक्ष्य रखे गये थे, लेकिन कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाये गये लॉकडाउन की पालना हेतु समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को मध्यनजर रखते हुए मुख्यालय से नजदीक के 13 कोषालयों एवं 44 उपकोषालयों तथा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के निरीक्षण कार्य का लक्ष्य संशोधित कर अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों का विस्तृत विवरण [परिशिष्ट संख्या-3](#) में दर्शाया गया है।

1.2 संगठनात्मक सेट अप :-

राजस्थान राज्य में निदेशालय, कोष एवं लेखा, वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी कोषालयों (ई-कोषालय, जयपुर व भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली सहित) एवं उप कोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण रखना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करना, वित्त विभाग को मार्गोपाय स्थिति की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना, इत्यादि प्रमुख कार्य किये जाते हैं।

प्रत्येक कोषाधिकारी कोषालय के संचालन के लिए कलैक्टर के साथ संयुक्त रूप से रोकड़, मुद्रांक, आदि और अन्य राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है साथ ही कोषाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह अन्य कार्यालयों / विभागों से आहरण व वितरण अधिकारी की पदीय हैसियत में

व्यवहार करने तथा निदेशक, कोष एवं लेखा के प्रति कोष के लेखों को नियमों में वर्णित और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कठोरता पूर्वक रखने हेतु समस्त प्रारम्भिक अभिलेखों वाउचर्स की शुद्धता व कोषालय में होने वाले सारे संव्यवहारों की निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रायः प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर सभी निहित शक्तियों के साथ एक उप कोषालय होता है। उप कोषालय राजस्थान लेखा सेवा के अधीनस्थ सहायक लेखाधिकारी के प्रभार में होता है। उप कोषाधिकारी कर्तव्यों, उचित आचरण और नियमों की पालना के लिए कोषाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उप कोषाधिकारी उप कोषालय से संबंधित उन समस्त कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो कि कोषाधिकारी द्वारा कोषालय संचालन के लिए अपेक्षित है।

निदेशालय का संगठनात्मक सेट अप निम्न प्रकार है:-



1.3 कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या


1.3.1 राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों व उप कोषालयों में कुल स्वीकृत 2367 पदों (सहायक कर्मचारियों के अतिरिक्त) के विरुद्ध केवल 1734 पदों पर ही कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत रहे।

1.3.2 इन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों में से केवल 1671 को ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में प्रशिक्षण प्राप्त था एवं शेष 63 अप्रशिक्षित रहते हुए भी कोषालयों / उप कोषालयों में कार्य कर रहे थे।

कोषालयों / उप कोषालयों में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पदों, कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या तथा उनके कम्प्यूटर प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -4 में दर्शाया गया है तथा एक नजर में स्थिति की जानकारी नीचे चार्ट संख्या 1 में प्रदर्शित है:-

(चार्ट संख्या 1)

कोषालयों व उप कोषालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की स्थिति एक नजर में



1.4 कम्प्यूरीकरण

राजस्थान राज्य के अन्तर्गत राजकीय लेन-देन के निष्पादन हेतु कार्यरत परिशिष्ट संख्या -1 में वर्णित सभी 41 कोषालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत 253 उप कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत ऑनलाईन लेन-देन प्रक्रिया का निष्पादन कर सभी 41 कोषालयों के द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के अन्तर्गत संधारित वाउचर लेवल कम्पाइलेशन (VLC) में ऑनलाईन लेखे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। विभिन्न कोषाधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत उप कोषाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले लेन-देनों के दैनिक लेखे संबंधित कोषाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपना कर कोषालय के मासिक लेखे की प्रथम एवं द्वितीय सूची में सम्मिलित किये जाते हैं ।

भाग- 2

2. कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखों के संकलन और जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ


2.1 मासिक लेखों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 209 में वर्णित प्रावधानानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इस कार्यालय के केन्द्रीय खजाना अनुभाग (सी.टी.एस.) मेन्युअल के अनुसार राज्य के कोषालयों द्वारा मासिक लेखे माह में दो बार प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। माह की 1 से 10 तारीख तक की प्रथम अनुसूची एवं माह की 11 से अंतिम कार्य दिवस तक की द्वितीय अनुसूची क्रमशः उसी माह की 13 से 17 तारीख तक एवं आगामी माह की 5 से 8 तारीख तक प्रेषित करनी होती है। मासिक लेखों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण लेखा-संकलन कार्य में विलम्ब की संभावना रहती है।

इस कार्यालय में वर्ष 2020-21 में कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कोषालय करौली द्वारा माह सितम्बर 2020 के मासिक लेखों की द्वितीय अनुसूची 07 दिवस विलम्ब (15.10.2020) तथा कोषालय टोंक द्वारा माह नवम्बर 2020 के मासिक लेखों की द्वितीय अनुसूची 03 दिवस के विलम्ब (11.12.2020) को प्रस्तुत की गयी एवं शेष सभी कोषालयों द्वारा बिना विलम्ब के निर्धारित समयावधि में मासिक लेखे इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये। इस संबंध में विगत पाँच वर्षों की स्थिति की जानकारी एक नजर में नीचे चार्ट संख्या-2 में प्रदर्शित है।

(चार्ट संख्या - 2)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का विगत पाँच वर्षों का तुलनात्मक विवरण



प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को, मासिक लेखों की दोनों सूचियों को इस कार्यालय में निर्धारित समय पर भिजवाने हेतु निर्देशित करें।

2.2 कोषालयों से अप्राप्त वाउचर्स

वर्ष 2020 - 21 में कोई भी वाउचर अप्राप्त वाउचर की श्रेणी में लम्बित नहीं था।

2.3 अन्य राज्यों के पेंशनर्स के पक्ष में जारी उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों पर किये गये भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक सूचित करने का अभाव

राजस्थान राज्य स्थित लगभग सभी कोषालयों के द्वारा अन्य राज्यों के पेंशनरों के लिए इस कार्यालय के पेंशन प्राधिकृति अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले उपादान / पेंशन सारांशीकरण मूल्य प्राधिकार पत्रों के अनुसार संबंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है किंतु 20 कोषाधिकारियों द्वारा 166 उपादान अधिकृतियों तथा 101 सारांशीकरण अधिकृतियों के भुगतान के टी.वी. नंबर व दिनांक इस कार्यालय को सूचित नहीं किये गये थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	उपादान अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नंबर व दिनांक लंबित होने की अवधि	सारांशीकरण अधिकृतियों की संख्या	टी.वी. नंबर व दिनांक लंबित होने की अवधि
1	अलवर	39	06/2005 से 03/2021	12	04/2011 से 02/2020
2	बांसवाड़ा	1	05/2012	2	3/11 से 10/2012
3	ब्यावर	3	01/2014 से 11/2017	2	01/2014 से 04/2017
4	भरतपुर	5	07/2013 से 02/2020	4	12/2009 से 10/20015
5	बाड़मेर	1	11/2018	1	11/2018
6	भीलवाड़ा	1	06/2011	1	06/2011
7	चूरू	6	04/2019 से 08/2020	6	08/2017 से 08/2020
8	इंगूरपुर	1	04/2014	5	03/2010 से 04/2014
9	धौलपुर	1	07/2018	0	-
10	श्रीगंगानगर	1	1/2018	1	08/2020
11	हनुमानगढ़	5	11/2019 से 12/2020	4	11/2019 से 12/2019
12	जयपुर (पेंशन)	15	09/2006 से 12/2020	9	06/2017 से 12/2020
13	जोधपुर (ग्रामीण)	17	07/2008 से 10/2017	15	01/2010 से 10/2017
14	जैसलमेर	3	05/2017 से 06/2018	2	05/2017 से 11/2017
15	झुंझुनू	10	08/2014 से 10/2020	5	02/2016 से 09/2020
16	कोटा	2	04/2013 से 06/2013	0	-
17	राजसमंद	39	09/2006 से 11/2020	19	01/2010 से 07/2020
18	नागौर	5	02/2014 से 01/2018	4	11/2013 से 11/2015
19	सीकर	06	04/2018 से 01/2021	4	04/2018 से 01/2021
20	उदयपुर ग्रामीण	5	01/2018 से 12/2020	5	01/2018 से 12/2020
	योग	166		101	

उपरोक्त टी.वी. नंबर एवं दिनांक के अभाव में इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इन अधिकृतियों का भुगतान हुआ है या नहीं।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि अन्य राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतानों के कोष वाउचर संख्या व दिनांक का विवरण इस कार्यालय को भिजवाने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करें।

2.4 मासिक लेखों में अशुद्धियां

वर्ष 2020-21 के दौरान कोषालयों द्वारा किये गये गलत वर्गीकरण को सही शीर्ष में वर्गीकृत करने हेतु कुल 366 हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.65) प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -5 में दर्शाया गया है। प्राप्त सभी हिसाब शोधन पत्रों के आधार पर लेखों में वांछित संशोधन कर दिया गया था।

2.5.1 लेखाशीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

लेखाशीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये लेखा शीर्ष 8782-102-01 के अन्तर्गत 651 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा धनात्मक राशि ₹ 185.32 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 163.39 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-102-02 के अन्तर्गत धनात्मक राशि ₹ 233.54 करोड़ व ऋणात्मक राशि ₹ 152.37 करोड़ के चैक्स माह 3 / 2021 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या -6 में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.5.2 लेखाशीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स एवं चालानों के समायोजन का अभाव

लेखाशीर्ष 8782-103 "वन लेखा प्रेषण" के अन्तर्गत विभिन्न खण्डीय कार्यालयों के लेखों में सम्मिलित किये गये लेखा शीर्ष 8782-103-01 के अन्तर्गत 70 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा ऋणात्मक राशि ₹ 3.65 करोड़ व धनात्मक राशि ₹ 3.70 करोड़ के चालान तथा लेखा शीर्ष 8782-103-02 के अन्तर्गत 57 खण्डीय कार्यालयों के द्वारा ऋणात्मक राशि ₹ 0.97 करोड़ व धनात्मक राशि ₹ 1.10 करोड़ के चैक्स माह 3 / 2021 के लेखे संवरण होने तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए जिनका कोषालयवार विवरण परिशिष्ट संख्या -7 में दर्शाया गया है।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारियों को, बकाया चैक्स व चालानों का समायोजन यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देशित करें।

2.6 लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा" (राज्य) में सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, चूरु से संबंधित बकाया रहे अन्तर के निराकरण का अभाव अंतर राशि ₹ 11.41 लाख (जमा)

लेखा शीर्ष "8675- रिजर्व बैंक जमा (राज्य लेन-देन)" के अन्तर्ग सरकारी लेन देन करने वाली सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरु से संबंधित माह फरवरी 2021 के अंतर्गत राशि ₹ 11,40,850/- (जमा) का अंतर उत्पन्न हो गया था, जिसके निस्तारण हेतु कोषाधिकारी, चूरु से संशोधित आर.बी.डी. मानचित्र, सत्यापित दैनिक बैंक मानचित्र (वी.डी.एम.एस.) एवं हिसाब शोधन पत्र (टी.वाई.-65) इस कार्यालय को माह जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त नहीं हुए।

प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि संबंधित कोषाधिकारी चूरु को, अन्तर के यथाशीघ्र निराकरण कराने हेतु निर्देशित करें।

2.7 आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करने का अभाव राशि ₹ 17.38 करोड़

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग-1 के नियम 220 में वर्णित विभागों, कार्यालयों द्वारा नियमों में वर्णित कार्यों हेतु संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों (ए.सी. बिल) द्वारा धन राशि का आहरण किया जा सकता है जिसके विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल (डी.सी. बिल) सामान्यतः एक माह, परन्तु किसी भी मामले में तीन माह से अधिक नहीं, की अवधि में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर देने चाहिए। प्रत्येक माह की 10 तारीख के पश्चात् आहरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि पिछले माह में उठाये गये ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल अमुक तारीख को कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित किए जाने का रिकार्ड कोषालयों द्वारा भी यह देखने के लिए रखा जाता है कि पिछले माह के ए.सी. बिलों के डी.सी. बिल प्रेषित कर दिए गए हैं अथवा नहीं। कोषालयों के निरीक्षण के दौरान तथा इस कार्यालय (टी.एम. अनुभाग) द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली निगरानी के अनुसार पाया गया कि 08 कोषालयों से संबंधित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा माह सितम्बर 2020 तक आहरित किये गये 27 ए.सी. बिलों की राशि ₹ 17,38,29,615/- के डी.सी. बिल माह जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक इस कार्यालय को आवश्यक समायोजनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जिनका नियंत्रक अधिकारीवार एवं मुख्य शीर्षवार विवरण परिशिष्ट संख्या - 8 में दर्शाया गया है, इनकी वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	संख्या	राशि ₹
1	2016 - 17 एवं पूर्व के	06	87417760
2	2017 - 18	03	31150000
3	2018 - 19	03	42601248
4	2019 - 20	11	3476357
5	2020 - 21 (सितम्बर 20 तक)	04	9184250
योग		27	173829615

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे लम्बे समय से बकाया चल रहे ए.सी. बिलों की पहचान करने व उनके समायोजन हेतु डी.सी. बिल शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर पर सीधी निगरानी की व्यवस्था करवाएं।

2.8 निजी निक्षेप खातों के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृद्ध पुस्तिका एवं कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माईनस मीमों के अन्तिम शेषों के मध्य उत्पन्न धनात्मक अन्तर राशि ₹ 4.01 करोड़ व ऋणात्मक अन्तर राशि ₹ 754.77 करोड़ के निराकरण का अभाव

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा निजी निक्षेप खातों की संधारित वृद्ध पुस्तिका व कोषालयों द्वारा प्रेषित प्लस-माईनस मीमों में दर्शाये गये आंकड़ों के मध्य माह मार्च 2021 तक के लेखों की समाप्ति के बाद 38 कोषालयों के 141 निजी निक्षेप खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 40111948.78 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 7547680681.99 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण [परिशिष्ट संख्या -9](#) में दर्शाया गया है। संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा इस कार्यालय की पुस्तकों के शेषों से अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण अन्तरों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर , कोषालयों को निर्देश जारी करें कि वे अपने प्रतिनिधि को आवश्यक अभिलेखों सहित इस कार्यालय में प्रत्येक माह अंक मिलान हेतु भिजवायें जिससे अंतरों का निराकरण हो सके ।

भाग- 3

3. कोषालयों एवं उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियाँ और कमियाँ

3.1 वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए कोषालय एवं उप कोषालय

समीक्षा वर्ष 2020-21 के दौरान परिशिष्ट संख्या -3 में वर्णित राजस्थान राज्य के 13 कोषालयों तथा 44 उप कोषालयों एवं निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पायी गई मुख्य त्रुटियों/ कमियों का विवरण आगामी पैराओं में दर्शाया गया है।

3.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन, आक्षेप तथा विलम्ब से प्राप्त अनुपालना

3.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और आक्षेप :-

दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
प्रारम्भिक शेष (1.04.2020) वर्ष 2009-10 से बकाया	153	677
नये सम्मिलित (वर्ष 2020-21)	23+ 1* = 24	365
योग	177	1042
निपटान / निस्तारण (वर्ष 2020-21)	07	170
अन्तिम शेष (31.03.2021)	170	872

(* निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर)

उक्त बकाया 170 प्रतिवेदनों एवं 872 आक्षेपों में से 51 प्रतिवेदन तथा 98 आक्षेप वर्ष 2009 -10 से 2015 -16 तक की अवधि से लम्बित हैं।

3.2.2 प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त न होना / विलम्ब से प्राप्त होना :-

वित्त (आर.एण्ड ए.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या एफ.5(27)/आर.एण्ड ए.आई./79 दिनांक 10.6.80 के द्वारा सभी कोषाधिकारियों को दिये गये निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन की पावती, तिथि से दो माह की अवधि में, प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष के दौरान केवल 03 (तीन) कोषालयों (दौसा, जयपुर (सचिवालय) व जयपुर (ग्रामीण)) के द्वारा ही समय पर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, 05 (पांच) कोषालयों (ब्यावर, झुंझुनु, सवाई माधोपुर, सीकर व टोंक) द्वारा आदिनांक तक प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा 05 (पांच) कोषालयों (अजमेर, अलवर, जयपुर(शहर), जयपुर (पेंशन) व ई-कोषालय) द्वारा 4 दिन से 5 माह 20 दिन के विलम्ब से प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -10 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना सहित बकाया आक्षेपों की ठोस पालना समय पर भिजवाएं।

3.3 निरीक्षण प्रभाव एवं उपलब्धियां राशि ₹ 38.60 लाख

कोषालयों व उप कोषालयों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं / कमियों में से कुछ वसूलियों को कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी स्तर पर गम्भीरता से लिया गया जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 38,60,248/- की मौके पर ही वसूली की कार्यवाही कर राजकोष के संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने की पालना से निरीक्षण दलों को अवगत कराया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	निरीक्षण दलों को जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण	जिला कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या / जी.पी.ओ. संख्या / राजएसएसपी की स्वीकृति संख्या	वसूली की गई राशि ₹	संबंधित मुख्य शीर्ष का विवरण	वसूल की गई राशि का चालान/ जी.आर.एन. नम्बर व दिनांक
1	उपादान भुगतान आदेश में दर्शाई गई कटौती की वसूली नहीं करना	अलवर	अलवर (पेंशन)	श्रीमती उषा रानी 3109428 (R)	24165	2202	47591752 / 17.02.2021
				श्री रामवतार सैनी 3170205(R)	400130	2071	47454850 / 12.02.2021
		दौसा	दौसा	श्री रघुवीर सिंह 3170382 (R)	100283	2215	44627011 / 12.11.2020
					12320	2071	44588538 / 11.11.2020
				श्री प्रभु दयाल 3172421 (R)	71562	2215	44627256 / 12.11.2020
					34720	2071	44600882 / 11.11.2020
				श्री रामजी लाल 3174494 (R)	24417	2059	44599147 / 11.11.2020
				श्री रामगोपाल गुर्जर 3178317 (R)	24283	2215	44627434 / 12.11.2020
				श्रीमती प्रेम देवी मीना 3179868 (R)	85967	0055	44551426 / 10.11.2020
				श्री देवी शंकर शर्मा 3192420 (R)	242612	2202	44597419 / 11.11.2020
				श्री चुन्नी लाल मीना 3186438 (R)	1072025	8443	44508891 / 09.11.2020
					17200	7610	44509204 / 09.11.2020
					43201	0049	44508828 / 09.11.2020
				श्री लादुराम शर्मा 3193843 (R)	19306	8443	44607318 / 11.11.2020
					125072	8443	44607366 / 11.11.2020
					51694	0202	44600530 / 11.11.2020

क्र.सं.	निरीक्षण दलों को जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण	जिला कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या / जी.पी.ओ. संख्या / राजएसएसपी की स्वीकृति संख्या	वसूली की गई राशि ₹	संबंधित मुख्य शीर्ष का विवरण	वसूल की गई राशि का चालान/ जी.आर.एन. नम्बर व दिनांक
				श्री मूलचंद मौर्य 3197878 (R)	89442	2202	4459771 / 11.11.2020
				श्री चौथमल शर्मा 3200711 (R)	46500	2202	44597511 / 11.11.2020
				श्रीमती कमोद देवी 3202657 (R)	37849	0055	44589734 / 11.11.2020
		झुंझुनु	बुहाना	श्री सुमेर सिंह 3171446 (R)	9773	0515	48879405 / 24.03.2021
				श्रीमती अंजु बाई 8300956 (R)	10378	0071	48878370 / 24.03.2021
			खेतड़ी	श्री शिवचंद 3179921 (R)	1037	8011	48503426 / 15.3.2021
					28659	8443	48503543 / 15.3.2021
				श्रीमती कृष्णा देवी 3178024 (R)	17889	0202	48303497 / 09.3.2021
				किशोरी लाल 3155834 (R)	54224	2071	48357580 / 10.3.2021
					11949	0202	48356305 / 10.3.2021
				श्रीमती हुकम कंवर 3156138 (R)	38513	0049	48959591 / 25.3.2021
		सीकर	श्रीमाधोपुर	सुरजाराम रैगर GPO 3176871 (R)	9486	0215	45533914/ 17.12.2020
				उषा देवी GPO 3169556 (R)	73334	0515	45554374/ 17.12.2020
				मोनिका कुमारी बिजारनिया GPO 3169557 (R)	73334	0515	45554394 / 17.12.2020
				श्रीमती गीता देवी GPO 8300899 (R)	520380	0071	46240229 / 07.01.2021
			फतेहपुर	श्रीमती विमला देवी GPO 3194103 (R)	66258	0055	46673650 / 21.01.2021
				श्रीमती भंवरी GPO 8301787 (R)	20789	0071	46730097 / 22.01.2021
				श्री विक्रम सिंह शेखावत GPO 3180934 (R)	75252	0215	46729092 / 22.01.2021
				श्री प्यारेलाल GPO 3177948 (R)	33002	0215	46722292 / 22.01.2021
				श्री हरलाल GPO 3175224 (R)	72799	0215	46721551 / 22.01.2021
2	पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान करना	झुंझुनु	खेतड़ी	श्रीमती शीला देवी PPO 2014207 (R)SF	999	2071	48346214/ 10.03.2021
			नवलगढ़	श्रीमती अच्छन कंवर PPO 2015008 (R)SF	854	0071	48911667 / 24.03.2021
		सीकर	फतेहपुर	श्रीमती दीप्ती कंवर PPO 2016089 (R)	712	2071	46688504/ 21.01.2021

क्र.सं.	निरीक्षण दलों को जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण	जिला कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या / जी.पी.ओ. संख्या / राजएसएसपी की स्वीकृति संख्या	वसूली की गई राशि ₹	संबंधित मुख्य शीर्ष का विवरण	वसूल की गई राशि का चालान/ जी.आर.एन. नम्बर व दिनांक
3	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर की मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात भी भुगतान किया जाना	टोंक	देवली	सरिया / जमाल खान 00157110	10500	2235	45859795 / 28.12.2020
				मूल्या / गुलाब चंद घोसी 01213612	12000	2235	45860094 / 28.12.2020
					6000	2235	45864963 / 28.12.2020
				कमला देवी / सुगन चंद जैन 02343915	10500	2235	46365022 / 12.01.2021
				कमला देवी / मदन सिंह दरोगा 04775496	7700	2235	45860356 / 28.12.2020
			3300	2235	45864724 / 28.12.2020		
		अलवर	नीमराना	फती देवी / मोटू राम 0104815	5000	2235	47196243 / 05.02.2021
				संतरा देवी / बोदन राम 0106129	19000	2235	47261746 / 08.02.2021
				इन्द्राज / श्योकरण 0436112	10500	2235	47220537 / 06.02.2021
				जलेदार उर्फ अमरचंद / रामजीलाल 0458937	11000	2235	47262109 / 08.02.2021
		झुन्झुनु	खेतड़ी	कलावती / मूलचंद यादव 02104334	9000	2235	48329613 / 09.03.2021
				इदु खान / फूले खान 02815762	8250	2235	48652183 / 18.03.2021
			नवलगढ़	रूडी देवी / भगवाना राम 1008656	16500	2235	48956916 / 25.03.2021
					34782	0235	48956380 / 25.03.2021
				हलीमा / अब्दुल शकूर 3120845	9847	0235	48955949 / 25.03.2021
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को दोहरा भुगतान	सीकर	लक्ष्मणगढ़	श्रीमती जाना देवी / गनेशाराम 7140422 0280562	39000	0235	46187762 / 06.01.2021
					5000	2235	46187541 / 06.01.2021
योग					3860248		

3.4 सिविल पेंशन


3.4.1 उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि से कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान राशि ₹ 24.09 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 190 (2) के अनुसार उपादान भुगतान आदेश की सकल राशि में दर्शायी गयी कटौती की वसूली करने के बाद ही उपादान की शुद्ध राशि का भुगतान किया जाना चाहिये ।

उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेशों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राशि ₹ 24,08,622/- की उपादान राशि से कटौती कर उपादान भुगतान आदेशों में उल्लेखित मद में जमा की जानी थी, परन्तु 02 कोषालयों एवं 10 उप कोषालयों द्वारा 32 प्रकरणों में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी उपादान भुगतान आदेशों में कटौती योग्य दर्शायी गयी राशि की बिना कटौती किए, पूर्ण उपादान राशि का भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या-11](#) में दर्शाया गया है । एक नजर में जानकारी [चार्ट संख्या-3](#) में दर्शायी गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मामले की संख्या वर्ष 2016 -17 से प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

(चार्ट संख्या 3)

उपादान भुगतान आदेशों में दर्शायी गयी कटौती / वसूली नहीं करने से अधिक भुगतान के विगत पाँच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े



अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, समस्त कोषाधिकारियों को, उपादान भुगतान आदेश में दर्शायी गई विभागीय कटौती / वसूली की राशि को उपादान राशि के भुगतान के लिए तैयार किये जाने वाले बिल से ही वसूली किये जाने के निर्देश जारी करवाएं ।

3.4.2 सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान राशि ₹ 3.71 लाख

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के नियम 196 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 4(2) के अनुसार मृत्यु की दिनांक को कार्य दिवस माना जावेगा एवं वेतन व भत्ते व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक तक आहरित किये जा सकते हैं।

कोषालयों / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक की भी पारिवारिक पेंशन भुगतान करने एवं पेंशन संशोधन के उपरांत पेंशन एरियर की गलत गणना के फलस्वरूप राशि ₹ 3,71,485/- का अनियमित भुगतान कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय / उपकोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	अधिक भुगतान की राशि ₹	अधिक भुगतान का विवरण
1	लक्षमणगढ़ (अलवर)	श्रीमती राजवंती	2017524 (R) SF	609	पेंशनर के पति की मृत्यु दिनांक 08.02.20 को हुई थी अतः नियमानुसार कार्य दिवस की पेंशन देय नहीं थी ।
2	पीसांगन (अजमेर)	श्रीमती वसंता कुमारी	1061359 (R)	370168	पेंशन संशोधन अधिकृति के अनुसार गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान किया गया।
3	सरवाड़ (अजमेर)	श्रीमती विमल कंवर	2013882 (R) SF	708	दिनांक 17.02.2019 पति की मृत्यु की दिनांक की पेंशन देय नहीं थी ।
योग				371485	

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.4.3 वैधता अवधि पार उपादान भुगतान आदेशों को पुनर्वैधताकरण कराये बिना अनियमित भुगतान राशि ₹ 11.62 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 190(4) एवं निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी उपादान भुगतान आदेश के बिंदु संख्या 7 के अनुसार उपादान भुगतान आदेश जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक ही वैध रहता है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपकोषालयों झुंझुनू (पेंशन), चिडावा (झुंझुनू) एवं पीसांगन (अजमेर) द्वारा वैधता अवधि पार हो चुके उपादान भुगतान आदेशों को सक्षम स्तर से पुनर्वैध कराये बिना ही संबंधित पेंशनरों को राशि ₹ 11,61,567/- भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय / उपकोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	जारी करने की दिनांक	बिल/ भुगतान की दिनांक	जी.पी.ओ. की राशि ₹
1	झुंझुनू (पेंशन)	श्री रघुवीर सिंह	1073074(R)	3105308 (R)	14.05.2018	16.09.2019	951605
2	चिडावा	श्रीमती भंवरी देवी	1070538(R)	0143103201 (R)	17.05.2018	12/ 2019	62799
3	पीसांगन (अजमेर)	श्रीमती वसंता कुमारी	0145-1061359(R)	3122858(R)	30.08.2018	20.04.2020	147163
योग							1161567

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे उपादान भुगतान आदेशों को सक्षम स्तर से पुनर्वैध करवाने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.4.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सिविल/सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की सम्बन्धित बैंकों से एकमुश्त वसूली नहीं करना राशि ₹ 16.35 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के अपेंडिक्स 1 के बिन्दु संख्या 18 एवं निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ-5/कोष-2/ज.ले.स./14772-810 दिनांक 18.11.2002 द्वारा सभी कोषालयों को सूचित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत कर दिये गये हैं । अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति बॉण्ड के आधार पर सम्बन्धित बैंक शाखा से एक मुश्त वसूली की जाये ।

समीक्षा वर्ष 2020-21 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उप कोषालय अलवर (पेंशन) के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं के द्वारा राज्य सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशि ₹ 16,35,100/- की सम्बन्धित बैंको से एकमुश्त वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या -12 में दर्शाया गया है ।

अतः इस संबंध में निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा किये गये अधिक भुगतान की एकमुश्त वसूली करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करवायें।

3.4.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं के अधीनस्थ पेंशन पत्रावलियों के निरीक्षण का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 189 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं द्वारा किये जाने वाले पेंशन भुगतान की पत्रावलियों का निरीक्षण किया जाना चाहिये।

किंतु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर (पेंशन) द्वारा 9 बैंकों के माध्यम से कुल 66394 पेंशनरों को भुगतान किया जा रहा था जिनमें से पंजाब नेशनल बैंक के 15 व यू.को. बैंक के 10 पेंशनरों की पत्रावलियों की जांच की गई थी।

कोषालय सवाई माधोपुर के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 67 शाखाओं के द्वारा पेंशन भुगतान का कार्य किया जाता है जिसमें से केवल 04 बैंक शाखाओं की पेंशन पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया था।

इसी प्रकार कोषालय ब्यावर द्वारा सिविल पेंशन का भुगतान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की 26 में से केवल 07 बैंक शाखाओं का ही निरीक्षण कराया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर पेंशन पत्रावलियों का कोषालय / उप कोषालय स्तर से निरीक्षण का कार्य पूर्ण करवाकर परिणामों से अवगत करवायें।

3.4.5 बैंक ई-स्कॉल में लुप्त एवं कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में प्रदर्शित तथा कोषालय पेंशन चैक रजिस्टर में लुप्त एवं बैंक ई-स्कॉल में प्रदर्शित डाटाज का समय पर निस्तारण नहीं करना

शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75) कोष/ आईएफएमएस /सिविल पेंशन/1358-1413 दिनांक 24.04.2013 के अनुसार कोषाधिकारियों एवं पेंशन का भुगतान करने वाली बैंको को यह निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालय एवं बैंक के डाटा में समरूपता होनी चाहिये ।

कोषालय के ऑनलाईन पेंशन चैक रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर (पेंशन), झुंझुनु, सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, दौसा के द्वारा बैंक ई-स्कॉल में लुप्त किंतु पेंशन चैक रजिस्टर में प्रदर्शित (Data not exists in Bank e-Scroll but exists in PCR) एवं पेंशन चैक रजिस्टर में लुप्त किंतु बैंक ई-स्कॉल में प्रदर्शित(Data not exists in PCR but exists in Bank e- Scroll) डाटा का निरन्तर अंक मिलान की प्रक्रिया अपना कर निस्तारण नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप पेंशन चैक रजिस्टर (पी.सी.आर.) में खुलने वाली रिपोर्ट्स में ऐसे डाटा यथावत प्रदर्शित हो रहे थे जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	कोषालय का नाम	पेंशनरों की संख्या जिनके डाटा पेंशन चैक रजिस्टर में दर्ज थे परंतु बैंकों के ई-स्कॉल में दर्ज नहीं थे।	पेंशनरों की संख्या जिनके डाटा बैंकों के ई-स्कॉल में दर्ज थे परंतु पेंशन चैक रजिस्टर में दर्ज नहीं थे।
1.	दौसा	3142	105
2.	झुंझुनु	1198	4
3.	अलवर	2666	354
4.	पी.पी.ओ. जयपुर	10573	1132
5.	ब्यावर	878	11
6.	सवाई माधोपुर	841	55
7.	अजमेर	2354	18
8.	टोंक	3742	87
योग		25394	1766

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक पेंशन भुगतान ई-स्कॉल व पेंशन चैक रजिस्टर के मध्य उत्पन्न मिस-मैच प्रकरणों के निस्तारण हेतु आंकड़ों का प्रति माह अंक मिलान किये जाने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करवाएं । जिससे मिस-मैच से पेंशनरों को हो रहे कम / अधिक भुगतानों को अविलम्ब रोका जा सके ।

3.4.6 पेंशन का रूपांतरण

3.4.6.1 पेंशन की रूपांतरित राशि भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 11.42 लाख

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार यदि पेंशनर किसी कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी, पेंशन की रूपांतरित राशि प्राप्त करने की तारीख से या निदेशक, पेंशन द्वारा पेंशन की रूपांतरित राशि के भुगतान के लिए ऑथोरिटी जारी करने के बाद तीन माह की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, लागू होगी। नियम 6 (1) (iii) (ग) के अनुसार यदि

आवेदक नियम 12 के उपनियम (3) से शासित होता हो, जिसके कि मामले में पेंशन की रूपांतरित राशि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अगली तारीख को भुगतान योग्य होती है, रूपांतरण के कारण पेंशन की राशि में कमी उसके प्रारम्भ से ही की जावेगी। तथापि जहां पेंशन की रूपांतरित राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद प्रथम माह में नहीं किया जा सकता हो तो, रूपांतरण के कारण पेंशन राशि में कमी परंतुक (क) अथवा (ख) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार की जावेगी।

कोषालयों / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेंशन की रूपांतरित राशि भुगतान के बाद घटी हुई दर के स्थान पर पूर्ण पेंशन दिये जाने के कारण 02(दो) कोषालय (*ब्यावर व सवाई माधोपुर*) तथा 14 (चौदह) उप कोषालयों (सरवाड़, भिनाय, पीसांगन, पुष्कर, रूपनगढ़, अजमेर (पेंशन), बौली, बामनवास, गंगापुर सिटी, नीमकाथाना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर(पेंशन), दांतारामगढ़) द्वारा 62 पेंशनरों को राशि ₹ 11,41,969/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या -13 में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त परिशिष्ट में वर्णित प्रकरणों में वसूली / भुगतान कार्रवाई निष्पादन के साथ-साथ राज्य के समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों को नियमानुसार नियत तिथि के पश्चात् घटी दर से पेंशन राशि का भुगतान करने पर पूर्ण ध्यान दिये जाने के निर्देश जारी करवाएं ।

3.4.6.2 पेंशन भुगतान आदेश के पीछे दर्शाये गये विवरण में पेंशन रूपांतरण के बाद घटी हुई दर से पेंशन शुरू करने व घटी हुई पेंशन को रेस्टोरेशन करने की तिथि का गलत अंकन करना

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 6 (1)(iii)(क) के अनुसार पेंशन रूपांतरण के बाद घटी हुई दर से पेंशन शुरू करने की तिथि एवं नियम 29(1) के अनुसार रूपांतरित भाग के पुर्नस्थापन (Restoration) करने की तिथि इत्यादि सभी विवरण पेंशन भुगतान आदेश के पीछे (PPO Back) अंकित किये जाने चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 02 कोषालयों एवं 16 उप कोषालयों के द्वारा पेंशन रूपांतरण के पश्चात नियमानुसार घटी हुई दर से पेंशन भुगतान शुरू करने की वास्तविक सही तिथि तथा घटी हुई पेंशन को 14 वर्ष की अवधि समाप्ति पश्चात रेस्टोरेशन (बढ़ी हुई दर से) करने की वास्तविक सही तिथि का अंकन करने की बजाय गलत तिथियों का अंकन किया गया था। जिसका पेंशनरवार विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या -14 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों / उप कोषाधिकारियों के अपने स्तर पर पेंशन रूपांतरण के पश्चात घटी दर से पेंशन शुरू करने की तिथि व 14 वर्ष पूर्ण होने पर रेस्टोरेशन करने की तिथियों का नियमानुसार सही अंकन करने हेतु निर्देशित करें ।

3.4.7 सिविल पेंशन एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं / कम कटौती करना राशि ₹ 2.84 लाख

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 93 एवं चैप्टर 2.4 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की पेंशन भुगतान राशि मय एरियर के आयकर छूट सीमा से अधिक होती है तो एरियर राशि में से स्रोत पर आयकर (T.D.S.) एवं आयकर राशि पर शिक्षा प्रभार की कटौती की जानी चाहिये अथवा सम्बन्धित पेंशनर से आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर में छूट बाबत आवश्यक

बचत प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये या चैप्टर VII के सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र प्राप्त करने चाहियें।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 02 (दो) उप कोषाधिकारियों झुंझुनु (पेंशन) व भिनाय (अजमेर)) द्वारा 08(आठ) पेंशनरों को पेंशन एरियर राशि के किये गये भुगतान में से आयकर व शिक्षा प्रभार पेटे राशि ₹ 2,84,156/- की कटौती नहीं / कम कटौती की गई और आवश्यक बचत प्रमाण पत्र एवं सेक्शन 89 के अनुसार 10E प्रपत्र भी प्राप्त नहीं किये गये, जिसका पूर्ण विवरण [परिशिष्ट संख्या -15](#) में दर्शाया गया है ।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों को पेंशन एरियर राशि के भुगतान के समय आयकर अधिनियमों के अनुसार आयकर में छूट प्राप्ति योग्य दस्तावेज प्राप्त करने अथवा आयकर राशि की वसूली करने के निर्देश जारी करवाएं।

3.4.8 [पेंशन चैक रजिस्टर में कम / अधिक भुगतान के मिस-मैच मद प्रकट होना](#)

शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75) कोष/ आई.एफ.एम.एस. / सिविल पेंशन/1358-1413 दिनांक 24.04.2013 के अनुसार कोषाधिकारियों एवं पेंशन का भुगतान करने वाली बैंकों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालय एवं बैंक के डाटा में समरूपता होनी चाहिये ।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान कम्प्यूटर पर ऑन लाईन संधारित पेंशन चैक रजिस्टर की समीक्षा में कोषालय व बैंक के डाटा में अनेक प्रकरणों में समरूपता नहीं पायी गई एवं फलस्वरूप पेंशन चैक रजिस्टर में कम / अधिक भुगतान के आंकड़े प्रदर्शित हो रहे थे, जिसका कोषालयवार विवरण [परिशिष्ट संख्या -16](#) में दर्शाया गया है।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे समस्त कोषाधिकारियों को कोष एवं अधीनस्थ बैंक शाखा के द्वारा पेंशन चैक रजिस्टर में वास्तविक व सही आंकड़े दर्शाने अथवा उत्पन्न अंतर का तुरंत निराकरण करने हेतु निर्देशित करें ।

3.4.9 [सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान की गई अधिकृतियों, भुगतान आदेशों, टी.एस. रजिस्टर एवं पी.पी.ओ. के पृष्ठ भाग की प्रतियों की पत्रावली का संधारण नहीं करना](#)

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 173 के अनुसार कोषालय / उप कोषालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों की कोषालय प्रति को पेंशन भुगतानकर्ता बैंक को प्रेषित की जानी चाहिये एवं उसकी प्रति कोषालय की पत्रावली में रखनी चाहिये। प्रत्येक वर्ग की पेंशन के लिए अलग-अलग पत्रावली का संधारण किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न कोषालयों / उप कोषालयों के द्वारा सिविल / सिविल पारिवारिक पेंशनरों को किये गये भुगतान से संबंधित अधिकृतियों, भुगतान आदेशों, टी.एस. रजिस्टर, पी.पी.ओ. के पृष्ठ भाग की छाया प्रतियां करवाकर पत्रावलियों का संधारण नहीं किया गया था अथवा निरीक्षण दलों को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके फलस्वरूप सिविल पेंशन से संबंधित भुगतान प्रकरणों की जांच नहीं की जा सकी। ऐसे कोषालयों एवं उप कोषालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	पत्रावली संधारित नहीं करने / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाली निरीक्षित ईकाई
1	अजमेर	पीसांगन, पुष्कर, रूपनगढ़ व अजमेर (पेंशन)
2	अलवर	अलवर (पेंशन)
3	झुंझुनु	झुंझुनु (पेंशन)
4	जयपुर (ग्रामीण)	शाहपुरा

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि उपर्युक्त कोषालय / उप कोषालय से सिविल पेंशन भुगतान की पत्रावलियों व आवश्यक पंजिकाओं का परिपूर्ण संधारण सुनिश्चित करवाकर प्रगति से अवगत करावें।

3.4.10 नेशनल पेंशन स्कीम के लिए खोले गये पी.डी. खाता में जमा राशियों को प्रति माह राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रेषित करने का अभाव ₹ 10.55 करोड़

राजस्थान राज्य में नेशनल पेंशन स्कीम की राशि जमा करने के लिए विभिन्न कोषालयों के अधीन बजट लेखा शीर्ष 8443-00-106-00-00 के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाता संख्या 479 खोला गया है, जिसमें राज्य कार्मिकों के मासिक वेतन में से प्रति माह एन.पी.एस. की अंशदान राशि लेखा शीर्ष 8011-00-106-03-01 के खाता संख्या 470 में जमा होने पर अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से राशियां ट्रांसफर की जाती है तथा उक्त निजी निक्षेप खाता में जमा होने वाली राशियों को प्रति माह राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के बैंक खाता में प्रेषित किया जाता है। किंतु खाता संख्या 470 से निजी निक्षेप खाता संख्या 479 में हस्तान्तरण नहीं किया गया या हस्तान्तरण के पश्चात खाता संख्या 479 में जमा राशि ₹ 10,54,68,307/- को निम्नलिखित कोषालयों के द्वारा प्रतिमाह राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के बैंक खाता में नहीं भेजा गया :-

क्र.सं.	कोषालय	निजी निक्षेप खाता संख्या	माह	जमा राशि ₹
1	जयपुर (पेंशन)	479	06/2020	86162.00
2	अलवर	470	12 /2020	54440245.60
3	टोंक	470	12 /2020	322960.00
4	दौसा	470	11 /2020	50618939.78
योग ₹				105468307.38

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि उपर्युक्त राशि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा निर्धारित ट्रस्टी बैंक के खाता में हस्तांतरण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जायें।

3.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन

3.5.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने का अभाव राशि ₹ 12.73 करोड़

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 9(i) के अनुसार पेंशन पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जायेगी एवं मृत्यु की तिथि तक देय पेंशन की अनाहरित समस्त राशि व्यपगत हो जायेगी तथा नियम 7(iii) के अनुसार विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में पेंशन की वैधता उनके पुनर्विवाह न करने तक होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन मॉड्यूल में ऑनलाईन जनित “ पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट ” के संबंधित कोषालय/ उप कोषालय वाईज किये गये निरीक्षण की दिनांक को प्राप्त प्रिंट (ऑनलाईन भुगतान/ वसूली की प्रविष्टियों का क्रम जारी रहने के कारण डाटा की स्थिति में उसी क्षण स्वतः बदलाव होता रहता है) की जांच के दौरान पाया गया कि 04 कोषालयों एवं 42 उप कोषालयों के द्वारा पेंशनर की मृत्यु एवं पुनर्विवाह की तारीख के पश्चात कुल 23226 प्रकरणों में भुगतान की गई राशि ₹ 12,72,82,200/- को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा नहीं कराया गया। जिसका विवरण संलग्न [परिशिष्ट संख्या -17](#) में दर्शाया गया है।

कोष निरीक्षण दलों द्वारा की गई 46 कोषालयों / उपकोषालयों में 237 प्रकरणों की नमूना जांच में यह पाया गया कि मृत्यु/ पुनर्विवाह तिथि के 1 माह से 25 माह के बाद भी पेंशनरों के खातों में राशि ₹ 222745.00 भुगतान किया गया है। नमूना जांच प्रकरणों में यह भी पाया गया था कि राजएसएसपी मोड्यूल की “पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट” को “पेमेंट रजिस्टर (OAP-7)” से सही-सही लिंक नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप मृत्यु की दिनांक के बाद जीवन कालीन भेजी गई पेंशन व माहों को नियमानुसार वसूली योग्य होने के बावजूद उक्त रिपोर्ट में नहीं दर्शाया जाता है। अतः एन.आई.सी. द्वारा विकसित की गई रिपोर्ट “ पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट “ में दर्शाई गई वसूली योग्य राशि अपने आप में पूर्ण नहीं है जबकि नियमानुसार राशि की वसूली अपेक्षित है। इस प्रकार सिस्टम डवलपमेंट में रहीं उक्त कमी को दुरुस्त किया जाना अपेक्षित है।

उप कोषालय अलवर (पेंशन) के द्वारा श्री महादेव सैनी / भोलाराम पी.पी.ओ. संख्या 00507121 को मृत्यु की दिनांक 05.07.2015 के पश्चात धनादेश के माध्यम से 06/2015 से 12/2017 व 02/2018 से 05/2018 तक की अवधि के ₹ 750/- प्रतिमाह की दर से भेजे गये गलत भुगतान की राशि ₹ 26250/- को माह फरवरी 2021 तक प्राप्त नहीं किया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर “ पेमेंट ऑफ्टर डेथ एण्ड रिमेरिज रिपोर्ट “ में प्रदर्शित शत-प्रतिशत प्रकरणों में मृत्यु एवं पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को मृत्यु की दिनांक के बाद भेजे गये जीवन कालीन एरियर सहित संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया में त्वरित आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें एवं सिस्टम डवलपमेंट में रहीं कमी को एन.आई.सी. के सक्षम स्तर से दुरुस्त कराई जावे। साथ ही उप कोषालय अलवर (पेंशन) द्वारा

मृत्यु उपरांत धनादेश भेजने का स्पष्टीकरण प्राप्त कर राशि ₹ 26250/- की वसूली सुनिश्चित कराई जावे।

3.5.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन का एक ही बैंक खाते में अनियमित भुगतान राशि ₹ 1.11 लाख

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 16(II) के अनुसार लाभार्थी को पेंशन राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

राजएसएसपी मॉड्यूल में जनित “डुप्लीकेट अकाउन्ट पेंशनर इन मास्टर डिस्ट्रीक्ट वाईज “ रिपोर्ट में प्रदर्शित होने वाले बैंक खातों के माध्यम से किये गये भुगतानों के प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि उप कोषालय वृद्धावस्था (पेंशन) (कोषालय जयपुर ग्रामीण) के द्वारा एक से अधिक लाभार्थियों (परिवार सदस्यों से भिन्न) की पेंशन का एक ही बैंक खाते के माध्यम से तीन (03) प्रकरणों में छः (06) पेंशनरों को राशि ₹ 1,11,500/- का अनियमित भुगतान किया गया था।

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे परिवार सदस्य से भिन्न पेंशनरों के प्रकरणों में राजकोष से किये गये अधिक भुगतान की राशि की खाता धारक से वसूली एवं पेंशन लाभ से वंचित रहे सही लाभार्थी की वास्तविक बैंक खाता संख्या प्राप्त कर, भुगतान करने हेतु संबंधित कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

3.5.3 राजएसएसपी मॉड्यूल में पेंशनर के अपात्र होने की तिथि के पश्चात भी भुगतान किये जाने के संबंध में चैक (Check) लगाने का अभाव राशि ₹ 1.00 लाख

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 09(05) (12-1) सान्याअवि / 2013-14/ 3340 / दिनांक 15.04.2013 के द्वारा जोड़े गये प्रावधानानुसार वार्षिक आय ₹ 48,000/- से कम हो, महिला की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष या इससे अधिक हो तो पेंशन की पात्रता मानी जावेगी एवं आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी के पति या पत्नि या पुत्र राज्य सरकार की राजकीय सेवा / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। विभाग के समसंख्यक अन्य आदेश संख्या 8591 दिनांक 29.09.14 द्वारा इसके साथ यह और जोड़ा गया कि केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार/ राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या इनका पेंशनर हो तो इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

राजएसएसपी मॉड्यूल में “ स्टॉप पेंशनर्स ” एवं “ डिस्ट्रीक्ट वाईज कैंसिलेशन ” रिपोर्ट की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के कारण अपात्र रहे व्यक्तियों, पारिवारिक सदस्य के केंद्र / राज्य सरकार, निगम / उपक्रमों में सरकारी नौकरी पर कार्यरत होने से अपात्र रहे व्यक्तियों के लिए स्वीकृतियां जारी करने तथा पात्रता धारी पेंशनर के परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में आ जाने के उपरांत नियमानुसार अपात्र घोषित कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति को निरस्त नहीं करने के फलस्वरूप उप कोषालय उदयपुर वाटी एवं नवलगढ़ (कोषालय झुंझुनु) के द्वारा

नमूना जांच के दौरान पाये गये 08 प्रकरणों में पेंशन राशि ₹ 1,00,500/- का भुगतान कर दिया गया था।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों से पेंशन भोगियों के अपात्र घोषित करने की तिथि (अपात्रता की अवधि व वसूली योग्य राशि की गणना करने के लिए) तत्काल कोषालय / उप कोषालय को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर में व्यवस्था करने एवं अपात्र अवधि में भुगतान की गई राशि की गणना कर नियमानुसार उसकी वसूली कराने के लिए कोषाधिकारी को निर्देशित करें।

3.5.4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दोहरा भुगतान राशि ₹ 0.63 लाख

संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5-एफ (थ-75) कोष / आईएफएमएस / एसएसपी /14127-14159 दिनांक 02.08.13 के बिन्दु संख्या 7 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृतियों में किसी प्रकार की अशुद्धि के कारण गलत लाभार्थी को भुगतान होने पर सम्पूर्ण दायित्व संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का होगा तथा उनके स्तर पर उसकी वसूली की जायेगी एवं ऐसी अशुद्ध स्वीकृतियों को रद्द कर दिया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति को दोहरी स्वीकृतियां जारी करने के कारण 06 उप कोषालयों के द्वारा 10 प्रकरणों में राशि ₹ 63,500/- का दोहरा / अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसका विवरण [परिशिष्ट संख्या - 18](#) में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर, पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन सही-सही करवाकर समस्त दोहरी स्वीकृतियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने एवं दोहरे भुगतान की राशियों को संबंधित से वसूली करने के लिए समुचित व्यवस्था करवाएं।

3.6 व्यपगत शेषों की सूची प्रस्तुत करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 114 के अनुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली भाग प्रथम के नियम 265 के अन्तर्गत अदावी रही जमा राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह के लेखे बंद होने पर व्यपगत मानी जानी चाहिये एवं उन्हें कोषाधिकारी को उचित राजस्व शीर्ष में जमा कराने हेतु सूची बनाकर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रेषित की जानी चाहिये किन्तु कोषाधिकारी बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, चुरू, झुंजरपुर, जोधपुर(ग्रामीण), प्रतापगढ़, राजसमंद, व उदयपुर(ग्रामीण) द्वारा उपरोक्तानुसार अदावी शेषों की सूची व्यपगत करने हेतु प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर उपर्युक्त कोषाधिकारियों की सूची तैयार कर अदावी शेषों को नियमानुसार व्यपगत किये जाने की कार्रवाई करने हेतु प्रभावी निर्देश जारी करवाएं।

3.7 निजी निक्षेप खाते एवं अन्य जमा खाते

3.7.1 निजी निक्षेप खाता धारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 31 मार्च को निजी निक्षेप खाते में शेष रही राशि का सहमति प्रमाण पत्र प्रत्येक निजी निक्षेप खातों के प्रशासक (खाताधारक) से प्राप्त करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 08 कोषाधिकारियों द्वारा लेखा शीर्ष 8443-106 के अन्तर्गत 122 निजी निक्षेप खाता धारकों से शेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -19 में दर्शाया गया है।

अतः इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर निजी निक्षेप खातों के 31 मार्च को प्राप्त अंतिम शेष के आधार पर संबंधित खाता धारक संस्था से अन्तर की जानकारी के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्राप्त किये जाने वाले सहमति प्रमाण पत्रों पर किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.7.2 कोषालय द्वारा संधारित निजी निक्षेप खातों के शेषों एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे धनात्मक अन्तर ₹ 1.28 लाख व ऋणात्मक अन्तर ₹ 52.17 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 के अनुसार कोषाधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों के शेषों के मिलान के लिए खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये तथा अंतर की स्थिति में यथा शीघ्र अंक मिलान कर निराकरण किया जाना चाहिये ।

कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के दिनांक 31.03.2020 तक के आंकड़ों के मध्य 05 कोषालयों के 05 खातों के अन्तर्गत राशि ₹ 128062.00 के (+) धनात्मक एवं राशि ₹ 5216730.65 के (-) ऋणात्मक अंतर प्रकट हो रहे थे, जिनका कोषालयवार व खातावार विवरण परिशिष्ट संख्या -20 में दर्शाया गया है। इनमें से दीर्घ राशियां अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दौसा के खाता संख्या 3061 में (₹ 51.89 लाख) एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर (₹ 1.26 लाख) विद्यमान है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर निजी निक्षेप खातों के शेष एवं निजी निक्षेप खाता धारकों की पासबुक के शेषों के मध्य प्रकट हो रहे अंतरों के शीघ्र निराकरण के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

3.7.3 निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद किये जाने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 98 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषाधिकारी द्वारा संधारित सभी निजी निक्षेप खातों की समीक्षा की जानी चाहिये तथा जिन खातों में गत पांच वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है के संबंध में खाता धारकों से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग के पत्रांक प.88 विमा/88/पार्ट/30.07.2002 के अनुसार बंद करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

इस कार्यालय द्वारा संधारित वृहद पुस्तिकाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 को पांच वित्तीय वर्ष (वर्ष 2016-17 से 2020-21) पूर्ण हो जाने के उपरांत 20 कोषाधिकारियों के द्वारा 33 अप्रचलित/ निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों (अवशेष राशि ₹ 14284464.31) को उपरोक्तानुसार बंद करने की कार्यवाही नहीं की गई , जिनका विवरण परिशिष्ट संख्या -21 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर अप्रचलित / निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों बंद करने के लिए समस्त कोषाधिकारियों को नियमानुसार निर्देशित करें ।

3.7.4 ऑनलाईन सॉफ्टवेयर "Rajkosh" में निजी निक्षेप खातों में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण अनुमत्य करना

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 97 के अनुसार कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वो यह देखे कि निजी निक्षेप खाते में जमा राशि से अधिक राशि का आहरण नहीं हो।

कोषालय / उप कोषालयों के निरीक्षण के दौरान उपकोष रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) के निजी निक्षेप खाता संख्या 6521- स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के अन्तर्गत दिनांक 03.07.2018 को कुल जमा राशि ₹ 91,556/- थीं परंतु उस दिन ₹ 6,57,042/- का आहरण स्वीकृत किया गया। जिसके फलस्वरूप उक्त खाता में राशि ₹ 5,65,486/- का ऋणात्मक शेष उत्पन्न हुआ एवं उक्त खाता में दिनांक 04.07.2018 को राशि जमा होने पर ऋणात्मक शेष दुरस्त हो गया। इसी प्रकार उप कोष चौमूं (जयपुर) के अधीन संधारित निजी निक्षेप खाता संख्या 4904- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी गोविंदगढ़ में दिनांक 25.04.19 को जमा राशि ₹ 38,07,583/- थी, परंतु उस दिन ₹ 55,62,057/- का आहरण स्वीकृत किया गया। जिसके फलस्वरूप उक्त खाता में राशि ₹ 17,54,474/- का ऋणात्मक शेष उत्पन्न हुआ एवं उक्त खाता में दिनांक 30.04.2019 को राशि जमा होने पर ऋणात्मक शेष दुरस्त हो गया।

इस प्रकार ऑनलाईन सॉफ्टवेयर " Rajkosh " में एन.आई.सी. (सॉफ्टवेयर डवलपर) द्वारा लगाये गये चैक की विफलता के संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान द्वारा निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि प्रकरणों की सिस्टम में पुनः जांच किये जाने हेतु एन.आई.सी. को विभागीय पत्रांक 10413 दिनांक 25.03.2021 निर्देशित कर दिया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को लेख है कि एन.आई.सी. (सॉफ्टवेयर डवलपर) द्वारा लगाये गये चैक की विफलता के संबंध में ठोस एवं प्रभावी पालना की तथ्यात्मक प्रगति से अवगत करवाएं।

3.8 मुद्रांक

3.8.1 अनुपयोगी / कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण का अभाव राशि ₹ 3.94 लाख

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 246 के अनुसार कम पाये गये / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको के निस्तारण हेतु रिपोर्ट संबंधित कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जानी चाहिये एवं आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर तदानुसार निस्तारण की कार्यवाही करनी चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान 03 कोषालयों में राशि ₹ 3,93,524/- के कम प्राप्त / कटे-फटे / मिसप्रिंट / अप्रचलित / अनुपयोगी मुद्रांक पाये गये एवं जिनके निस्तारण हेतु रिपोर्ट महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित नहीं की गई, इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय/ उप कोषालय	कम प्राप्त / कटे-फटे / अप्रचलित / मिसप्रिंट मुद्रांको की मूल्य राशि ₹	मुद्रांक किस्म
1	सवाई माधोपुर	कोषालय सवाई माधोपुर	12500	कटे / फटे
2	ब्यावर	ब्यावर	7719	अप्रचलित
3	टोंक	टोंक	373305	अप्रचलित
योग			393524	

अतः प्रकरण निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है कि वे संबंधित कोषाधिकारियों को उपर्युक्त मुद्रांको के निस्तारण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान करें।

3.9 दीर्घकालीन ऋण / अग्रिम

3.9.1 भवन निर्माण ऋण के लिए खोले गये निजी निक्षेप खाता सं. 473 में जमा राशि का निस्तारण / समायोजन नहीं करना राशि ₹ 42.79 करोड़

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2004 से पूर्व गृह निर्माण हेतु स्वीकृत ऋण दिनांक 1.04.2004 से राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में एस.बी.आई.) के मध्य दिनांक 17.03.2004 को हुए करार एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.04.2004 के अनुसार कटौतियां जमा कराने हेतु मद 8443-106 में निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई । कोषाधिकारियों द्वारा उक्त मद में खाता संख्या - 473 खोला जाने तथा प्राप्त कटौतियों की राशि को इस खाते में जमा कर डी.डी. / बैंकर चैक द्वारा एस.बी.बी.जे. (वर्तमान में एस.बी.आई.) शाखा शासन सचिवालय, जयपुर को

प्रेषित करने के निर्देश दिये गये । प्राप्त राशि के विवरण से बैंक शाखा द्वारा ऋणी कार्मिक के व्यक्तिगत खाते में खतौनी की जानी थी ।

एस.बी.बी.जे. शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक सीमा के बाद ऋणी कार्मिकों के भवन ऋण के लेखा-जोखा को दर्शाने वाले निर्धारित 20 कॉलम प्रपत्र वापिस कर दिये एवं जिन कर्मचारियों के 20 कॉलम प्रपत्र वापिस किये गये उनके कोर बैंकिंग सोल्यूसन (CBS) के अन्तर्गत खाते नहीं खोले गये तथा 38 कोषालयों के अन्तर्गत उन नॉन कोर बैंकिंग सोल्यूसन खाताधारकों की कटौती की राशि ₹ 42,79,32,673.10 भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 के स्थान पर उक्त निजी निक्षेप खाता संख्या 473 में जमा किये जाने के कारण राजकोष को पुनर्भरण नहीं किया गया। उक्त राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या -22 में दर्शाया गया है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से समस्त कोषालयों के स्तर पर निजी निक्षेप खाता संख्या- 473 में जमा राशि को भवन ऋण / अग्रिम से संबंधित बजट लेखा शीर्ष 7610 में नियमानुसार हस्तांतरण की कार्रवाई कर राजकोष का पुनर्भरण करवाएं ।

3.9.2.1 कार्य प्रणाली की विफलता (System Failure) के कारण कोषाधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन कागजात समय पर तैयार नही करना

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 80 के अनुसार प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष को जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवाषिकी आयु प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत्त होने को है, उससे 2 वर्ष पूर्व या उस तारीख को जिसको वह सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करता है, इनमें से जो भी पहले हो, प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। नियम 81 के अनुसार उक्त कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाना चाहिये। कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 8 माह पूर्व कार्मिक से प्रपत्र -5 भरवाकर प्राप्त करना चाहिये। नियम 82 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष को प्रपत्र - 7 के भाग -1 को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व पूर्ण कर लेना चाहिये। उसे प्रपत्र 31 में टेन्टेटिव रूप से अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) प्रपत्र 7 के साथ संलग्न करने हेतु जारी करना चाहिये। नियम 92 (1) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के बकाया का निर्धारण एवं निश्चय करेगा। पेंशन नियम 92 (2) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित एवं निश्चय किये गये राजकीय बकायों, जो सेवानिवृत्ति होने तक बकाया रहते हैं, का समायोजन कार्मिक को भुगतान योग्य उपादान राशि में से किया जावेगा। भवन निर्माण / वाहन अग्रिम पेटे बकाया राशि हेतु पेंशन नियम 94 के नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य सरकार के कार्यालयों (कोषालयों) में 1 जुलाई 1988 से लम्बी अवधि के ऋणों (भवन/वाहन) के लेखे संधारण करने सम्बंधी प्रणाली (दिशानिर्देश) के बिंदू संख्या 9.3 के अनुसार ऐसे समस्त मामलों में जिनमें ऋण की वसूली 1.7.1988 या इसके पश्चात पूरी होती है, “अदेयता प्रमाण पत्र” उस

कोषाधिकारी द्वारा दिया जावेगा जहां पर भुगतान की अंतिम राशि जमा होती है। ब्याज की गणना भी उसी कोषाधिकारी द्वारा की जावेगी।

नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण) एवं टोंक द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों जिनके प्रकरणों में कोषाधिकारी कार्यालयाध्यक्ष हैं, के पेंशन सम्बंधी कागजात तैयार करने की कार्यवाही उपरोक्त नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व शुरू नहीं की गई।

क्र. संख्या	कोषालय का नाम	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	सेवानिवृत्ति की दिनांक
1.	जयपुर (शहर)	श्री सुकुमाल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ॥	31.8.2020
2.	जयपुर (शहर)	श्री अजीजुल हसन, सहायक लेखाधिकारी ॥	31.8.2020
3.	जयपुर (शहर)	श्री हरिराम उदालिया, प्रशासनिक अधिकारी	31.8.2020
4.	जयपुर (ग्रामीण)	श्री रणधीर सिंह चौधरी, उपकोषाधिकारी, बस्सी	31.12.2020
5.	जयपुर (ग्रामीण)	श्री दामोदर प्रसाद मण्डावरिया, उपकोषाधिकारी, सांभर लेक	31.7.2021
6.	टोंक	श्री पोखर लाल माली, अति. कोषाधिकारी	30.6.2021
7.	टोंक	श्री घनश्याम गुप्ता, उपकोषाधिकारी	31.7.2021
8.	टोंक	श्री वाजिद नूर, कनिष्ठ सहायक	30.6.2022
9.	टोंक	श्री अब्दुल सलीम, च.श्रे.क.	30.4.2022

इससे स्पष्ट होता है कि कोषाधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का सही समय पर निर्वहन नहीं किया गया। यह कृत्य कार्यप्रणाली की विफलता की श्रेणी में आता है। इस कारण निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों के पेंशन पेपर तैयार होने में विलम्ब होने की संभावना होती है एवं न ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिक के बकाया का निर्धारण एवं निश्चय समय पर हो पाता है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर कोषाधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन कागजात समय पर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

3.9.2.2 कार्यप्रणाली की विफलता (System Failure) के कारण कोषाधिकारियों द्वारा भवन ऋणों के एक ही प्रकार के प्रकरणों में भेदभावपूर्ण तरीके से अलग-अलग दर से ब्याज की वसूली करना एवं समय पर अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं करना

कोषालय, पेंशन, जयपुर एवं कोषालय, जयपुर शहर में भवन अग्रिमों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कई पेंशनरों के भवन अग्रिम आहरण करने के बाद कई वर्षों तक ऋण स्वीकृति के अनुसार भवन अग्रिम के पेटे कटौतियां जमा नहीं हुईं एवं बाद में अथवा सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त मूल अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की कटौतियां एकमुश्त करवाई गई थी जिनके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	ऋण आहरणकर्ता कर्मचारी का नाम	ऋण स्वीकृति संख्या एवं आहरण का विवरण	ऋण की राशि	वसूल की गई ब्याज की दर
1.	श्री श्योकरण दुसाद, सेवानिवृत्त लेखाकार, कोषालय पेंशन, जयपुर कुल ऋण राशि 260000/- रूपये	10203-208/ 27.3.1999	प्रथम किश्त रू. 1,00,000	उक्त ऋण पर ऋण आहरण तिथि से सेवानिवृत्ति तिथि तक 24% वार्षिक दर से ब्याज जमा करवाने हेतु नोटिस दिया गया है। अभी अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
		10714-18/ 2.6.1999	दूसरी किश्त रू. 1,00,000	
		12200-12204/ 5.10.1999	तृतीय किश्त रू. 60,000	
2.	श्री दयाल शरण सक्सैना, पर्यवेक्षक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जयपुर कुल ऋण राशि 35, 200 रूपये	147/ 17.1.1996	प्रथम एवं अंतिम किश्त रू. 35, 200	माह 1/1996 से 2/2001 तक 16% वार्षिक दर एवं 11/2001 से 30.6.2012 (सेवानिवृत्ति तिथि तक) 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया गया है।
3.	श्री गिरधारी लाल, सेवानिवृत्त कांस्टेबल, कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर कुल ऋण राशि 43,000 रूपये	951/ 25.5.1994	प्रथम किश्त रू. 17,200	माह 5/5/1996 से 6/1996 तक 16% वार्षिक, 7/1996 से 10/2001 तक 17% वार्षिक एवं 11/2001 से 31.12.2012 (सेवानिवृत्ति तिथि) तक 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया गया है।
		4244/29.9.1995	दूसरी किश्त रू. 17,200	
		388/17.2.1996	तृतीय किश्त र. 8,600	
4.	श्री भंवर सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर	2445/ 27.7.2000	प्रथम एवं अंतिम किश्त रू. 1,00,000	माह 10/2000 से 10/2001 तक 17% वार्षिक एवं 11/2001 से 31.7.2016 (सेवानिवृत्ति तिथि) तक 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया गया है।
5.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, जलसेवक, देवस्थान विभाग	टी.वी. नम्बर 88/31.3.2001	प्रथम एवं अंतिम किश्त रू. 95,000	माह 3/2001 से 10/2001 तक 17% वार्षिक एवं 11/2001 से 9/2010 तक 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया गया है।
6.	श्री सुरेश कुमार भट्ट, से.नि. सहायक उप निरीक्षक, कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर कुल ऋण राशि 44,550 रूपये	1081/3.1.1995	प्रथम किश्त रू. 17,820	माह 1/1995 से 12/1995 तक 10.50% वार्षिक एवं 1/1996 से 15.7.1996 तक 16% वार्षिक, 16.7.1996 से 10/2001 तक 17% वार्षिक एवं 11/2001 से 1.2016 तक तक 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया गया है।
		199/1.10.1995	दूसरी किश्त रू. 17,820	
		720/ 27.1.1996	तृतीय किश्त र. 8,910	
7.	श्री मोहन सिंह भाटी, व. लिपिक अति. कलैक्टर, मुद्रांक, जयपुर	12151-56./ 29.9.1999	प्रथम एवं अंतिम किश्त रू. 69,000	माह 9/1999 से 10/2001 तक 17% एवं 11/2001 से 9/2011 तक 12% की दर से ब्याज वसूल किया गया है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि उपरोक्त ऋण सभी आहरणकर्ताओं द्वारा उक्त ऋणों की नियमानुसार मासिक किश्तों का भुगतान नहीं करके कुछ वर्षों बाद अथवा सेवानिवृत्ति के समय शेष ऋण एवं उस पर देय ब्याज का एकमुश्त भुगतान किया गया था।

राजस्थान अनुदानित भवन ऋण नियम 1993 के नियम 4 (11) के अनुसार इन नियमों के प्रावधान के विरुद्ध और समान मासिक किश्तों के चुकाने में असफल होने पर शेष ऋण राशि और उस पर ब्याज निम्न प्रकार से वसूला जाना था।

(ए) सरकारी कर्मचारी शेष ऋण राशि तथा ब्याज एक ही किश्त में चुकाने के लिये जिम्मेवार होगा।

(बी) अगर ऋण की पूर्ण राशि एक किश्त में चुका दी जाती है तो ऋण पर *17% वार्षिक दर से ब्याज वसूला जावेगा। यह ब्याज ऋण प्राप्ति दिनांक से ऋण चुकाने की दिनांक से पूर्व की दिनांक तक वसूला जावेगा।

(सी) अगर, राज्य कर्मचारी शेष राशि का पुनर्भुगतान एक मुश्त करने में असमर्थ रहता है तो उसके मासिक वेतन प्रपत्रों से 50% तक वेतन राशि की कटौती की जावेगी और *17% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जावेगा जब तक की पूर्ण ऋण राशि का पुनर्भरण नहीं हो जाता।

(डी) अगर नियमित मासिक किश्तों का भुगतान करने में चुक जाता है तो जिस अवधि में किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, उस अवधि में 24% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।

- ब्याज दर दिनांक 15.7.1996 तक 16 प्रतिशत, 16.7.1996 से 3.11.2001 तक 17 प्रतिशत एवं 3.11.2001 के पश्चात 12 प्रतिशत है (वित्त विभाग द्वारा निश्चित)।

उक्त 7 प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोषाधिकारियों पेंशन, जयपुर एवं जयपुर (शहर) द्वारा उपरोक्त समान प्रकृति से 7 भवन ऋण प्रकरणों में एक ही अवधि हेतु अलग-अलग ब्याज दर से ब्याज की गणना की गई है। क्र. सं. 1 पर दर्ज श्री श्योकरण दुसाद के प्रकरण में सम्पूर्ण ऋण पर ऋण आहरण तिथियों से 24% वार्षिक दर से ब्याज गणना की जाकर ब्याज जमा करवाने हेतु नोटिस दिया गया है जबकि क्र. संख्या 2 से 7 के प्रकरणों में अलग-अलग अवधि के लिये 12% से 17% वार्षिक दर से ब्याज गणना कर वसूल किया जाकर अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। श्री श्योकरण दुसाद के प्रकरण में ब्याज वसूली के सम्बंध में प्रकरण वित्त विभाग, राजस्थान को स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में उनके पत्र दिनांक 2.5.2017 द्वारा श्री दुसाद के प्रकरण में ऋण राशि पर 24% वार्षिक दर से दण्डनीय ब्याज वसूलने हेतु लिखा गया है।

श्री श्योकरण दुसाद द्वारा इस सम्बंध में लोकायुक्त विभाग में शिकायत दर्ज कर इन 6 प्रकरणों के समान ही उनके द्वारा आहरित ऋण पर ब्याज वसूलने के निवेदन करने पर कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) द्वारा इन 6 प्रकरणों में पुनः 24% वार्षिक दर से ब्याज गणना की जाकर शेष ब्याज राशि जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया है परंतु अभी तक किसी भी ऋणी द्वारा शेष ब्याज राशि जमा नहीं करवायी गई।

इससे स्पष्ट होता है कि कोषाधिकारियों द्वारा एक समान प्रकृति के प्रकरणों में मनमाने पूर्ण तरीके से अलग-2 दर से ब्याज वसूला जा रहा था। कोषाधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष वर्ष के दौरान खाते में जमा राशियाँ एवं शेष ऋण राशि की सूचना भी सम्बंधित ऋणियों को नहीं भेजी गई। कोषाधिकारियों द्वारा उन ऋण खातों के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई जिनमें

ऋण आहरण के बाद कटौतियां प्राप्त नहीं हुई। ऐसे प्रकरणों में यदि समय रहते सम्बंधित ऋणी एवं उनके आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लिखा जाता तो कटौतियां पर शुरू हो सकती थी। इस प्रकार कोषाधिकारियों का दीर्घकालीन अग्रिम के लेखे संधारण एवं अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने में पारदर्शिता, प्रभावी नियंत्रण एवं एकरूपता का अभाव रहा। निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त राज्य के कोषालयों में नियमानुसार एक समान ब्याज दर से ब्याज वसूलना सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

अतः निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर दीर्घकालीन अग्रिमों के प्रकरणों में नियमानुसार लेखे संधारण, ऋणों पर नियमानुसार एवं समान प्रकृति के प्रकरणों में एक समान ब्याज दर वसूलकर अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित कर प्रगति से कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर को अवगत करावे।

3.9.2.3 भवन ऋण के मूलधन एवं ब्याज की वसूली के उपरांत भी अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं करना

कोषालय जयपुर (पेंशन) में कार्यरत श्री हीरालाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी द्वारा आहरित अनुदानित भवन ऋण राशि ₹ 2,79,000/- जो कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा दो किशतों में स्वीकृत किया गया था प्रथम किशत राशि ₹ 1,15,000/- स्वीकृति संख्या 1161 दिनांक 26.3.2002 एवं दूसरी किशत ₹ 1,64,000/- स्वीकृति संख्या 3374 दिनांक 9.10.2002 द्वारा स्वीकृत की गई थी। उक्त ऋण के पेटे ऋणी द्वारा माह 3/2003 से 2/2017 के दौरान मूलधन एवं ब्याज पेटे कुल ₹ 5,25,840/- की कटौती करवाई गई है। अंतिम किशत की कटौती कोषाधिकारी जयपुर (पेंशन) द्वारा की गई थी। ऋण आहरणकर्ता द्वारा दिनांक 21.03.2017 को कोषाधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अग्रिम के पेटे अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया था, किंतु जुलाई 2020 तक 3 वर्ष 4 माह से भी अधिक समय व्यतित होने के बाद भी नियमानुसार बकाया मूलधन एवं ब्याज की गणना कर अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था एवं न ही ऋणी को अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के कारणों से अवगत कराया गया जो कि कोषालय स्तर पर गम्भीर लापरवाही, प्रशासनिक नियंत्रण एवं निगरानी में कमी दर्शाता है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान उक्त प्रकरण की जांच कर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेवारी तय कर आवश्यक कार्यवाही करवाकर अविलम्ब उक्त ऋण का अदेयता प्रमाण पत्र जारी करवाकर प्रगति से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अवगत करावे।

3.9.2.4 वाहन अग्रिम पेटे जारी अदेयता प्रमाण पत्र में गलत रिफण्ड योग्य दर्शाई राशि की वसूली नहीं करना

कोषालय जयपुर (पेंशन) में कार्यरत श्री मनोहर लाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी द्वारा आहरित वाहन अग्रिम राशि ₹ 30,000/- के लिए जारी अदेयता प्रमाण पत्र क्रमांक: कोष/ पेंशन/ एल.टी.ए./ 2016/ 2460 दिनांक 16.03.2016 द्वारा जारी किया गया था। उक्त अदेयता प्रमाण पत्र जारी करते समय कार्मिक के विरुद्ध माह 09/2003 से 07/ 2013 तक ₹ 400/-

प्रति माह की दर से कुल राशि ₹ 47,600/- जमा हुए थे। मूलधन पेटे अधिक जमा राशि ₹ 17600/- में से ₹ 10,238/- ब्याज पेटे समायोजित कर लिये गये एवं शेष राशि ₹ 7,362/- कार्मिक को रिफण्ड योग्य थी, किंतु कार्मिक के लिए जारी अदेयता प्रमाण पत्र में उक्त रिफण्ड योग्य राशि को ₹ 10,000/- से बढ़ा कर राशि ₹ 17,362/- दर्शाया गया तथा उक्त आक्षेप की तथ्यात्मक अनुपालना माह जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान प्रकरण में अधिक रिफण्ड की राशि की शीघ्र पुनः वसूली करवाकर प्रगति से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अवगत करावे।

3.9.2.5 वाहन अग्रिम आहरण के बाद सेवानिवृत्ति तिथि तक मूलधन एवं ब्याज पेटे कोई कटौती नहीं होना एवं अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं करना

कोषालय टोंक (राज.) के दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि जिला कलेक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक: लेखा/ वाहन ऋण/ 2002 / 703 दिनांक 22.03.2002 के द्वारा श्री प्रहलाद राय बैरवा, लैब टेक्निशियन, राजकीय चिकित्सालय, टोरड़ी (मालपुरा) को बिल संख्या 961 दिनांक 27.03.2002 एवं टी.वी. नम्बर 193 दिनांक 30.03.02 द्वारा राशि ₹ 29,000/- का भुगतान किया गया था, किंतु सेवानिवृत्ति की दिनांक 30.11.2020 तक भी उक्त ऋण पेटे कोई कटौती नहीं की गई। जबकि उक्त ऋण की वसूली श्री बैरवा के मासिक वेतन से माह अप्रैल 2002 से मार्च 2012 तक (120 किश्तों) में की जानी थी।

अब प्रकरण में ऋण धारक से जिला कलेक्टर, टोंक की स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि में वाहन नहीं खरीदने पर 2.5 प्रतिशत ब्याज एवं अग्रिम राशि पर 10.5 प्रतिशत ब्याज अर्थात् 13 प्रतिशत की दर से दिनांक 01.04.2002 से 30.11.2020 तक की अवधि की गणनानुसार ब्याज राशि ₹ 70,373/- एवं मूलधन राशि ₹ 29,000/- कुल राशि ₹ 99,373/- की वसूली अपेक्षित है, जिसके लिए कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आश्वस्त किया गया था कि अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व राशि जमा करवा ली जावेगी।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर प्रकरण की जांच कर वाहन अग्रिम पेटे बकाया मूलधन एवं ब्याज राशि की तुरंत वसूली करवाकर प्रगति से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अवगत करावे एवं समस्त कोषाधिकारियों को ऐसे प्रकरण जिसमें ऋण आहरण के उपरांत मूलधन एवं ब्याज की कोई कटौती नहीं हुई हो, की समीक्षा कर नियमानुसार वसूली करवाना सुनिश्चित करें।

3.9.2.6 दीर्घकालीन ऋणों के लिए वृहदपुस्तिकाओं के संधारण का अभाव

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक एफ 7 (1)/वित्त/रा. ले.-1/80 दिनांक 6 मई 1988 द्वारा अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों (कोषालयों) में 1 जुलाई 1988 से लम्बी अवधि के ऋणों (भवन/वाहन) के लेखे संधारण करने सम्बंधी प्रणाली (दिशानिर्देश) जारी की गई थी। उक्त प्रणाली के बिंदू संख्या 2.8

के अनुसार ऋण के पेड वाउचर प्राप्त होने पर सम्बंधित ब्राडशीट मे प्रविष्टि एवं बिंदू संख्या 5.7 के अनुसार वसूली सूचियों में दर्शाई गई राशियों की प्रविष्टियां ब्राडशीट में संबंधित कर्मचारी के नाम के समक्ष संबंधित माह में की जानी थी एवं की गई प्रविष्टियों को पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना था। ब्राडशीट का संधारण मदवार किया जाना था। बिंदू संख्या 5.12 के अनुसार माह की समस्त प्रविष्टियां करने के पश्चात ब्राडशीट मे मासिक योग लगाकर उसका मिलान कोषालय लेखों से किया जाना था। उक्त प्रणाली के बिंदू 12 के अनुसार निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को उनके कार्यालय से निरीक्षण दल कोषालय मे भेजकर न केवल यह सुनिश्चित करना था कि निर्धारित रजिस्टर आदि सुचारू रूप से संधारित किये जा रहै है बल्कि ब्राडशीट एवं खातों की कुछ प्रविष्टियों की जांच कर देखना था कि प्रविष्टियां सही की गई है।

नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर (सचिवालय), पेंशन, जयपुर, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), झुंझुनूं, अलवर, अजमेर, सीकर, टोंक, दौसा मे राजकीय कर्मचारियों को स्वीकृत भवन / वाहन ऋणों के लेखों का रखरखाव एवं वृहदपुस्तिकाओं का पूर्ण संधारण नहीं किया गया। ब्राडशीट की प्रविष्टियों का मासिक योग लगाकर कोषालय लेखों से मिलान नहीं किया गया। मासिक योग को पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर से प्रमाणित किया गया था। ब्राडशीटों मे वर्ष के प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान हुई वसूली एवं वर्ष मे अंत मे शेष रही राशि की गणना कर शेष अग्रेषित नहीं किये गये। सम्बंधित ऋणी को प्रत्येक वर्ष के अंत मे वर्ष के दौरान जमा हुई राशियों एवं वर्ष मे अंत मे शेष रही राशियों की सूचना नहीं भेजी गई। निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा भी कोषालयों मे कि निर्धारित रजिस्टर आदि सुचारू रूप से संधारित किये जाने ब्राडशीट एवं खातों की प्रविष्टियां सही की गई है, आदि की जांच नहीं की गई।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर सभी कोषाधिकारियों को कोषालयों के स्तर पर दीर्घकालीन ऋणों की वृहदपुस्तिकाओं का संधारण पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित करें ।

3.9.2.7 अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण के अभाव में बकाया रहना

दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि विभिन्न ऋणी कार्मिक जिनकी किश्तों का चुकारा हो गया उनके द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोषालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	कोषालय का नाम	बकाया की तिथि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	ऋण का प्रकार
1	अजमेर	31.12.2020	16	भवन ऋण
			10	वाहन ऋण
2	जयपुर (ग्रामीण)	31.08.2020	48	भवन ऋण
			42	वाहन ऋण
3	जयपुर (सचिवालय)	31.08.2020	19	भवन ऋण
			27	वाहन ऋण
4	टोंक	30.11.2020	06	भवन ऋण
5	अलवर	31.12.2020	04	भवन ऋण
			02	वाहन ऋण
6	झुंझुनू	28.02.2021	60	भवन ऋण
			44	वाहन ऋण
7	दौसा	30.09.2020	06	भवन ऋण

किंतु उनका दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर निस्तारण नहीं किया गया।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर इन दीर्घकालीन ऋणों की लेखा प्रणाली की दिशा-निर्देशिका के बिंदु 9.3 की अनुपालना हेतु कोषाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करवाएं।

3.10 अन्य अनियमिततायें

3.10.1 राजकीय प्राप्तियों की राशि के डाक घर से प्राप्त चैकों को राजकोष में जमा कराने का अभाव ₹ 0.90 लाख

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 5 व 6 के अनुसार सरकार की बकाया के रूप में या अन्य किसी प्रकार से सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त धन राशि को अविलम्ब सरकारी लेखों में जमा करवाया जाना चाहिये।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की अवितरित राशि के उप कोष झुंझुनू (पेंशन) द्वारा डाक घर से प्राप्त किये गये 05 चैक कुल राशि ₹ 89,750/- को राजकोष में जमा कराने के लिए संबंधित एजेंसी बैंक को प्रस्तुत किये जाने थे किन्तु उक्त चैक्स को राजकोष में जमा कराने हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप इन चैकों की कालावधि समाप्त हो गई एवं राजकोष में राशि जमा नहीं हुई। ऐसे चैकों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	चैक संख्या व दिनांक	राशि ₹
1	005288/ 01.03.2019	52250
2	005290/ 02.03.2019	7250
3	006178/ 13.04.2019	3000
4	006184/ 15.04.2019	6000
5	006650/ 14.05.2019	21250
योग ₹		89,750

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर राशि ₹ 89750/- को राजकोष में जमा करवाकर प्रगति से अवगत करवाएं एवं समस्त कोषाधिकारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 5 व 6 की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें ।

3.10.2 जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी) के निजी निक्षेप खाता में जमा राशियों को खनन प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों पर व्यय नहीं करना राशि ₹ 19.52 करोड़

जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि नियम 2016 एवं राजस्थान जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि संशोधन नियम 2018 के अनुसार प्रत्येक खनिज लाईसेंस प्राप्तकर्ता से रायल्टी के अतिरिक्त, खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 की द्वितीय अनुसूची की शर्तों के अनुसार 12 जनवरी 2015 के बाद मंजूर की गई खनिज लीज पर रायल्टी की 10 प्रतिशत राशि राजस्थान जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि (RDFMT) के अन्तर्गत जमा कराई जानी चाहिये एवं उक्त राशि को जिले में स्थित खनिज प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के कल्याण व लाभ के कार्यों के लिये नियम 15 (3) के अनुसार निम्नानुसार व्यय किये जाना चाहिये:-

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	व्यय की जाने वाली राशि का विवरण
1	पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्य, माईन्स वर्कर (खनिज मजदूर) के कल्याण एवं स्वास्थ्य सुधार के कार्य, शिक्षा, महिला एवं बच्चों का कल्याण, वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों का कल्याण, विकलांग/ अपंग व्यक्तियों के कल्याण, कौशल विकास, सेनिटेशन इत्यादि कार्य।	60 प्रतिशत राशि व्यय की जानी चाहिये
2	भौतिक अवसंरचना कार्य, सिंचाई, उर्जा एवं जल संरक्षण कार्य व अन्य कार्य जिससे पर्यावरणीय विकास हो इत्यादि।	40 प्रतिशत राशि व्यय की जानी चाहिये

ट्रस्ट का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है जिसमें सभी ट्रस्टी सदस्य होते हैं। ट्रस्ट के कार्यकलापों हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। उक्त समिति में खनिज अभियंता सदस्य सचिव एवं 8 अन्य सदस्य होते हैं। ट्रस्ट के फण्ड का संचालन प्रबंधन समिति के चैयरमेन (जिला मजिस्ट्रेट) एवं कोषाधिकारी अथवा प्रबंधन समिति द्वारा अधिकृत अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय ब्यावर के जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि के निजी निक्षेप खाता संख्या 6398 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2021 को कुल राशि ₹ 19.52 करोड़ जमा हुये थे किंतु इसमें से उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया था। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष ₹	प्राप्तियां ₹	व्यय ₹	अंतिम शेष ₹
2017-18	0	3366019	0	3366019
2018-19	3366019	50039881	0	53405900
2019-20	53405900	66196274	0	119602174
2020-21	119602174	75566525	0	195168699

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाकर लेख है कि "जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि" के समस्त निजी निक्षेप खातों में जमा राशियों का दिशा-निर्देशिका के अनुरूप जन कल्याणकारी कार्यों पर ही उपयोग सुनिश्चित कर करवाएं।

3.10.3 आईएफएमएस की "पे मैनेजर " सॉफ्टवेयर से जनरेट रिपोर्ट में टोकन संख्या के साथ दिनांक अंकित नहीं करना

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत राजकीय दायित्वों का ऑन लाईन भुगतान हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर " पे मैनेजर " के अन्तर्गत जनरेट होने वाली रिपोर्ट " डे वाइज सक्सेजफुल ट्रांजेक्सन रिपोर्ट फॉर ट्रेजरी बिल डेट वाइज " के अन्तर्गत पारित बिलों में टोकन संख्या के साथ दिनांक अंकित नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कोषालय में बिल टोकन होने की दिनांक व बिल पारित होने की दिनांक के बीच कुल कितने दिनों का समय लगा या प्रस्तुत बिल के भुगतान में किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब तो नहीं किया गया। ऐसे कोषालयों व उप कोषालयों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोषालयों / उप कोषालयों का विवरण
1	जयपुर (शहर)
2	दौसा
3	जयपुर (सचिवालय)

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर पे मैनेजर सॉफ्टवेयर में बिलों को टोकन संख्या आवंटित करने के साथ-साथ दिनांक का अंकन सुनिश्चित करवाकर प्रगति करवाएं।

3.10.4 बैंक की वेबसाईट पर चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर डुप्लीकेट जनरेट होना

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ5(थ-75) डीटीए / आईएफएमएस दिनांक 01.11.2012 के बिंदु संख्या 2(बी) के अनुसार बैंक की वेबसाईट पर प्रत्येक ऑनलाईन भुगतान के लिए एक युनिक आईडेन्टी फिकेशन नंबर यथा चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) यूनिक जनरेट होता है।

ई- कोषालय के माह 03/2020 से 02/2021 लेखों निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित बैंकों के 194 ऑनलाईन चालान व 2050 मैनुअल चालानों के डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नम्बर (CIN) जनरेट किये गये।

क्र.सं.	बैंक का नाम	ऑनलाईन जी.आर.एन. की संख्या	मैनुअल जी.आर.एन. की संख्या
1	आई.डी.बी. आई. बैंक	192	0
2	पंजाब नेशनल बैंक	0	2028
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	02	22
		194	2050

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर बैंक स्तर से जनित डुप्लीकेट चालान आईडेन्टीफिकेशन नंबर (CIN) की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करवाएँ ।

3.10.5 राजकीय प्राप्तियों की राशि ₹ 4.17 करोड़ को बैंक द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से जमा कराने उपरांत देय दण्डनीय ब्याज राशि की गणना एवं वसूली का अभाव

भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई द्वारा वर्ष 2003 में जारी मेमोरेण्डम ऑफ इन्सट्रक्सन के पैरा संख्या 5.11 (B) (a) के अनुसार कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी प्राप्तकर्ता शाखा से प्राप्त स्क्रोल / चालानों के आधार पर ऐसे विलम्ब से प्राप्तियों के मामलों का लेखा-जोखा रखना चाहिये। उसे प्रत्येक मामले की विस्तार से जांच कर ₹ 10 लाख और उससे अधिक के ऐसे सभी लेनदेन पर ब्याज का दावा मासिक आधार पर सम्बंधित बैंक के लिंक सैल से सीधे करना चाहिये। इस सम्बंध में बैंक से किये गये संदर्भों की प्रति महालेखाकार कार्यालय को भी प्रेषित करनी चाहिये जो कि ब्याज की वसूली पर निगरानी रखेगा। एक बार विलम्ब की जिम्मेवारी तय/स्थापित हो जाने के बाद, एजेंसी बैंक द्वारा सम्बंधित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को ब्याज के दावा प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिये।

ई-कोषालय के माह 03/2020 से 02/2021 के लेखों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न बैंकों द्वारा राजकीय राशि को सरकारी खाते में विलंब से जमा कराया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	विलम्ब से जमा कराई गई राशि ₹
1	भारतीय स्टेट बैंक	26109405.56
2	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	481500.00
3	पंजाब नेशनल बैंक	45544.00
4	पंजाब नेशनल बैंक गेट वे	460099.00
5	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ई-पे	14562767.00
	योग	41659315.56

ई-कोषाधिकारी, जयपुर द्वारा उक्त विलम्बित जमा राशियों के संबंध में विस्तार से जांच कर सम्बंधित बैंक की लिंक शाखा को मासिक आधार पर दण्डनीय ब्याज का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण राज्य सरकार को विलम्बित जमाओं पर प्राप्त होने वाली ब्याज राशि प्राप्त नहीं हो पायी।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर राजकीय खाते में विलंब से जमा कराई गई राशियों पर दण्डनीय ब्याज राशि की गणना करने एवं उसकी वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित कोषाधिकारियों एवं उप कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर ब्याज वसूली की प्रगति से अवगत करवाएं ।

3.10.6 निर्माण खण्डों से संबंधित चालानों (GRN) में डिविजन कोड अंकित नहीं होने के कारण वृहदपुस्तिकाओं में अंतर प्रदर्शित होना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.), राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रत्येक निर्माण खण्डीय कार्यालय को आवंटित कोड की मैपिंग वाम मोड्यूल एवं ई-ग्रास एप्लीकेशन पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिये, ताकि निर्माण खण्डों से संबंधित राशि जमा कराते समय डिविजन कोड को सलेक्ट किये बिना चालान जनरेट न हो सकें।

इस कार्यालय द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लिखे गये पत्र क्रमांक: डब्ल्यू.ए.सी. / सिविल डिपोजिट / (8443-1080) / 2020-21 / 1191 दिनांक 14.12.2020 के अनुसार 09 / 2017 से 09 / 2020 के क्रम में ई-कोषालय में की गई जांच में पाया गया कि ई-कोषालय से संबंधित लेखा शीर्ष 8443-00-108-00-00 सिविल डिपोजिट की निम्नलिखित अंतर शेष थे:-

क्र.सं.	माह व वर्ष	अंतर की राशि ₹
1	09 / 2017	421325
2	12 /2017	304035
3	01 / 2018	876992
4	02 / 2018	743854
5	03 / 2018	368676
6	12 / 2019	22000
7	06 / 2020	14000
8	09 / 2020	10500

उक्त अंतरों का मुख्य कारण लेखा शीर्ष 8443-108 सिविल डिपोजिट में कोषालय की प्राप्तियों की सूची (LOR) में बिना डिविजन कोड के राशियों का प्रदर्शित होना, बी.टी. द्वारा राशि हस्तांतरण में डिविजन कोड आदि विवरण उपलब्ध नहीं होना है।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि अंतरों के निराकरण की स्थाई व्यवस्था कायम करने के लिए संबंधित कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

3.10.7 हस्तानांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) में रखी गई राशियों का समय पर निस्तारण नहीं करना

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, के परिपत्र क्रमांक: एफ.12(5) एफ.डी./ टैक्स/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 में जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रक्रिया के बिंदु संख्या 9 (3) के अनुसार ऐसे CIN की राशियां जो कि आरबीआई-ई कुबेर पोर्टल के ई-स्कॉल में शामिल हो कर प्राप्त हो गई हैं परंतु जिनका चालान विवरण जी.एस.टी. पोर्टल से प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें हस्तान्तरण की प्रतीक्षा में प्राप्ति (आर.ए.टी.) मद 0006-00-500-01-00 में रखी जाती है। ई-कोषालय द्वारा ऐसी राशियों को MOE जारी कर निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। बिंदु संख्या 9(9) के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति पर आर.ए.टी. में रखी गई राशियों का MOE प्रक्रिया द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत करने से पूर्व निस्तारण किया जाना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) प्रति माह आर.ए.टी. में रखी गई राशियों का मासिक लेखे प्रस्तुत करने से पूर्व निस्तारण करने हेतु उत्तरदायी है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि माह 04/2020 से 02/2021 की अवधि की 34 मदों (CIN) की राशि ₹ 6,67,707/- का निस्तारण वित्तीय वर्ष के लेखे बंद होने तक नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप उन राशियों को राज्य सरकार के लेखों में संबंधित प्राप्ति शीर्ष में लेखांकन नहीं किया जा सका।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आर.ए.टी. में रखी गई उक्त राशियों का निस्तारण करवाकर प्रगति से अवगत करवाएं ।

3.10.8 राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल पर प्रकट हुए अंतरों का निराकरण न होना

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, के परिपत्र क्रमांक: एफ.12(5) एफ.डी./ टैक्स/ 2017-59 दिनांक 30.06.2017 में जी.एस.टी. लेखांकन प्रक्रिया के बिंदु संख्या 3 (ए) के अनुसार आर.बी.आई. स्कॉल एवं जी.एस.टी.एन. पोर्टल से उपलब्ध जी.एस.टी. चालानों के अनुसार प्रमाणीकृत डाटा के जी.एस.टी. राशि का मासिक लेखा ई-कोषालय द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। प्रधान महालेखाकार कार्यालय में मासिक लेखे के संकलन के पश्चात एस.जी.एस.टी. राशि राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हो जाती है। आर.बी.आई. स्कॉल एवं जी.एस.टी.एन. पोर्टल से उपलब्ध जी.एस.टी. चालानों की राशि में मिसमैच होने पर उक्त परिपत्र के अनुसार कार्यवाही कर अंतरों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाता है।

ई-कोषालय की अवधि माह 03/ 2020 से 02/ 2021 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्थान राज्य जी.एस.टी. लेखांकन पोर्टल RSGAS पर मिसमैच रिपोर्ट " Left From RBI " में अवधि 04/2020 से 02/2021 के 15 मदों की राशि ₹ 53,071/- ऐसे दर्शाये गये हैं जिसमें जी.एस.टी.एन. द्वारा लेन-देन रिपोर्ट किये गये मगर भारतीय रिजर्व बैंक के ई-स्कॉल में रिपोर्ट नहीं किये गये, जिसके फलस्वरूप उक्त लेन-देन कोषालय के मासिक लेखों में सम्मिलित नहीं किये जा सके। इससे पूर्व की निरीक्षण अवधि माह 03/2018 से 03/2019 एवं 04/2019 से 03/2020 से संबंधित 20 मदों की राशि ₹ 83,508/- के अंतर भी अभी तक निस्तारित नहीं

किये गये थे। इस प्रकार कुल 35 मदों की राशि ₹ 1,36,579/- ऐसे दर्शाये गये जिसमें जी.एस.टी.एन. द्वारा लेन-देन रिपोर्ट किये गये, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक के ई-स्कॉल में रिपोर्ट नहीं किये गये, जिसके फलस्वरूप उक्त लेन-देन कोषालय के मासिक लेखों में सम्मिलित नहीं किये जा सके।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आर.ए.टी. में रखी गई उक्त अंतरों का निस्तारण करवाकर प्रगति से अवगत करवाएं ।

3.10.9 बैंकों से दैनिक मासिक मानचित्र (Date Wise Monthly Statement) डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति का अभाव

राजस्थान सरकार, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ.5(थ-75)डी.टी.ए./ आई.एफ.एम.एस./ 341-940 दिनांक 17.04.2017 के बिंदु संख्या 10 एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ.3(3) वित्त/ राजस्व/ 2014 दिनांक 20.01.2020 के ड्यूटी के बिंदु सं. 2(1) के अनुसार राजस्व लेन-देनों के लिए अधिकृत बैंकों द्वारा ई-कोषालय को ई-स्कॉल/स्कॉल, ई-डी.एम.एस./ डी.एम.एस., 45-ए डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रेषित किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ई-कोषालय को राजस्व लेन-देनों के लिए अधिकृत बैंकों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त डी.एम.एस. नहीं भेजे जा रहे थे।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सक्षम स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर राजकीय लेन-देन के लिए अधिकृत बैंकों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त डी.एम.एस. ई-कोषालय में प्रेषित करने की व्यवस्था करवाएं ।

3.10.10 रोकड़िये से प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने का अभाव

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 63 एवं सामान्य एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 313 के अनुसार कोषालयों एवं उप कोषालयों में कार्यरत भण्डारपाल / रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय जयपुर (पेंशन) एवं उपकोषालय श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), नीमराना (अलवर) व वृद्धावस्था पेंशन (जयपुर, ग्रामीण) के द्वारा रोकड़िये से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

अतः निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर कोष / उप कोष में भण्डार पंजिका, मुद्रांक पंजिका एवं कैशबुक संधारणकर्ता से पर्याप्त राशि का प्रतिभूति बंध पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।

भाग-4

सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निरीक्षण किये गये 12 कोषालयों (जयपुर (पेंशन), जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), झुंझुनु, सवाई माधोपुर, ई-कोषालय, अलवर, अजमेर, ब्यावर, सीकर, टोंक, दौसा) एवं 44 उपकोषालयों के अन्तर्गत सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा संबंधी जांच में पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है:-

- 4.1 सूचना सुरक्षा नियमावली उपलब्ध नहीं होना पाई गई।
- 4.2 उपयोगकर्ता / प्रचालकों के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन का प्रावधान न होना।
- 4.3 सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट / सूचनाओं आदि पर डिजिटल हस्ताक्षर का अभाव।
- 4.4 सभी कार्यस्थल हार्डवेयर एवं सहायक उपकरणों को विशेष पहचान कोड / नम्बर अंकित नहीं करना।
- 4.5 कार्यस्थल / सर्वर आदि में वायरसरोधी (Anti Virus) नवीनतम वर्जन स्थापित नहीं करना।
- 4.6 एप्लीकेशन द्वारा अंतिम लॉगिन (सफल/असफल एवं समय) कोषालय स्तर पर नहीं दर्शाया जाना।
- 4.7 कोषालय स्तर पर ऑडिट ट्रेल एवं लॉग उपलब्ध नहीं होना।
- 4.8 पासवर्ड एवं अन्य मुख्य डाटा एवं विषयवस्तु एनक्रिप्टेड रूप में संचित नहीं होती अर्थात् कोषालय कार्मिकों की पासवर्ड हिस्ट्री लॉग इन पर उपलब्ध नहीं हैं।
- 4.9 सिस्टम जनरेट की गई कुछ रिपोर्ट्स / सूचनाओं आदि पर समय व दिनांक दर्ज होता है किंतु कई रिपोर्ट्स / सूचनाओं पर समय व दिनांक दर्ज अभाव पाया जाना।
- 4.10 आई.एफ.एम.एस. की विभिन्न एप्लीकेशन के मॉनिटरिंग हेतु कोषाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का अभाव
- 4.11 ई-कोषालय से संबंधित सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट/ सूचनाओं (ई-स्कॉल/ स्कॉल, ई-डी.एम.एस./डी.एम.एस. (45-ए) आदि पर डिजिटल हस्ताक्षर का अभाव पाया गया।

निरीक्षण के दौरान इस संबंध में निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय के पत्रांक 2012 दिनांक 30.03.2021 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर को पत्र लिखा गया है। अग्रिम कार्यवाई होते ही सूचित कर दिया जावेगा।


अतः कि वे एन.आई.सी. स्तर से सूचना प्रोद्योगिकी नियंत्रण एवं सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा से संबंधित उपर्युक्त बिंदुओं की अनुपालना करवाकर प्रगति से अवगत करवाएं।

निष्कर्ष:-


विगत पांच वर्षों के दौरान बकाया रहे कोष निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण [चार्ट संख्या - 4](#) में तथा वर्ष 2020-21 में पाये गये मुख्य आक्षेपों का विवरण [चार्ट संख्या - 5](#) में दर्शाया गया है। बकाया आक्षेपों एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं की शीघ्र अनुपालना एवं भविष्य में आक्षेपों / कमियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं।

(चार्ट संख्या 4)

वित्तीय वर्ष के अंत में विगत पाँच वर्षों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का तुलनात्मक विवरण



कोषालयों में वर्ष 2020-21 के दौरान पाये गये मुख्य आक्षेप एक नजर में



परिशिष्ट संख्या - 1

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 व 1.4)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	1. केकड़ी	10
			2. किशनगढ	
			3. सरवाड़	
			4. नसीराबाद	
			5. पीसांगन	
			6. भिनाय	
			7. अजमेर (पेंशन)	
			8. पुष्कर	
			9. रुपनगढ	
			10. अरांई	
2.	अजमेर	ब्यावर	11. मसूदा	1
3.	अलवर	अलवर	12. बहरोड़	14
			13. किशनगढबास	
			14. लक्ष्मणगढ	
			15. राजगढ	
			16. थानागाजी	
			17. बानसूर	
			18. मुण्डावर	
			19. तिजारा	
			20. रामगढ	
			21. कठूमर	
			22. कोटकासिम	
			23. अलवर (पेंशन)	
			24. रैणी	
			25. नीमराणा	
4.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	26. बागीदौरा	6
			27. कुशलगढ	
			28. गढी (परतापुर)	
			29. घाटोल	
			30. आनंदपुरी	
			31. सज्जनगढ	
5.	बाडमेर	बाडमेर	32. चौहटन	10
			33. सिवाना	
			34. शिव	
			35. गुढामलानी	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			36. बायतु 37. रामसर 38. पचपदरा 39. धोरीमन्ना 40. सिणधरी 41. सेड़वा	
6.	भरतपुर	भरतपुर	42. बयाना 43. डीग 44. नदबई 45. भरतपुर (पेंशन) 46. कामां 47. नगर 48. रूपवास 49. वैर 50. कुम्हेर 51. पहाड़ी 52. भुसावर	11
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	53. हुरड़ा 54. सहाड़ा (मु. गंगापुर) 55. माण्डल 56. माण्डलगढ़ 57. शाहपुरा 58. आसीन्द 59. जहाजपुर 60. कोटड़ी 61. बनेड़ा 62. रायपुर 63. बिजौलिया	11
8.	बीकानेर	बीकानेर	64. कोलायत 65. लूणकरणसर 66. खाजूवाला 67. नोखा 68. बीकानेर (पेंशन) 69. पूगल 70. श्रीडूंगरगढ 71. छत्तरगढ	8
9.	बूंदी	बूंदी	72. हिण्डोली 73. नैनवा 74. केशोरायपाटन	5

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			75. इन्द्रगढ	
			76. तालेडा	
10.	बारां	बारां	77. छबड़ा	7
			78. शाहबाद	
			79. अटरु	
			80. छीपाबड़ौद	
			81. किशनगंज	
			82. मांगरोल	
			83. अन्ता	
11.	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ	84. बेगूं	10
			85. निम्बाहेड़ा	
			86. कपासन	
			87. भदेसर	
			88. गंगरार	
			89. राशमी	
			90. रावतभाटा	
			91. बड़ीसादड़ी	
			92. डूंगला	
			93. भूपालसागर	
12.	चुरु	चुरु	94. रतनगढ	6
			95. सादुलपुर(मु.राजगढ)	
			96. सरदारशहर	
			97. तारानगर	
			98. सुजानगढ	
			99. बीदासर	
13.	दौसा	दौसा	100. बसवा	4
			101. लालसोट	
			102. सिकराय	
			103. महवा	
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	104. आसपुर	4
			105. सागवाड़ा	
			106. सीमलवाड़ा	
			107. बिच्छीवाड़ा	
15.	धौलपुर	धौलपुर	108. बाड़ी	4
			109. राजाखेड़ा	
			110. बसेड़ी	
			111. सेपउ	
16.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	112. अनूपगढ़	8
			113. श्रीकरणपुर	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			114. रायसिंहनगर 115. सूरतगढ 116. पदमपुर 117. श्रीविजयनगर 118. सार्दुलशहर 119. घड़साना	
17.	हनुमानगढ	हनुमानगढ	120. नोहर 121. संगरिया 122. भादरा 123. रावतसर 124. पीलीबंगा 125. टिब्बी	6
18.	जयपुर	जयपुर (शहर)	126. राजस्थान विधानसभा	1
19.	जयपुर	जयपुर (ग्रामीण)	127. आमेर 128. चौमूं 129. चाकसूं 130. कोटपूतली 131. मौजमाबाद 132. शाहपुरा 133. विराटनगर 134. जमवारामगढ 135. फागी 136. सांभर 137. सांगानेर 138. बस्सी 139. वृद्धावस्था पेंशन,जयपुर 140. दूदूं 141. किशनगढ़-रेनवाल	15
20.	जयपुर	जयपुर (सचिवालय)	-	0
21.	जयपुर	पेंशन भुगतान अधिकारी, जयपुर	142. उप कोषालय (पेंशन)	1
22.	जैसलमेर	जैसलमेर	143. पोकरण 144. फतेहगढ	2
23.	जालौर	जालौर	145. भीनमाल 146. सांचोर 147. आहोर 148. रानीवाड़ा 149. बागौड़ा 150. सायला 151. जसवंतपुरा	8

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			152. चितलवाना	
24.	झालावाड़	झालावाड़	153. अकलेरा	7
			154. पचपहाड़	
			155. गंगधार	
			156. झालरापाटन	
			157. खानपुर	
			158. पिडावा	
			159. मनोहरथाना	
25.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	160. चिड़ावा	8
			161. खेतड़ी	
			162. उदयपुरवाटी	
			163. नवलगढ	
			164. झुन्झुनू (पेंशन)	
			165. बुहाना	
			166. मलसीसर	
			167. सूरजगढ	
26.	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	-	0
27.	जोधपुर	जोधपुर (ग्रामीण)	168. बिलाड़ा	10
			169. औंसियां	
			170. शेरगढ	
			171. फलौदी	
			172. भोपालगढ	
			173. लूणी	
			174. बावडी	
			175. बाप	
			176. बालेसर	
			177. पीपा इ (शहर)	
28.	कोटा	कोटा	178. दीगोद	5
			179. सांगोद	
			180. पीपल्दा	
			181. रामगंजमण्डी	
			182. कोटा (पेंशन)	
29.	नागौर	नागौर	183. डीडवाना	13
			184. मेड़ता	
			185. नावां	
			186. मकराना	
			187. परबतसर	
			188. डेगाना	
			189. जायल	

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			190. लाडनूं 191. खींवसर 192. नागौर (पेंशन) 193. रियाबडी 194. कुचामनसिटी 195. मुण्डवा	
30.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	196. छोटीसादड़ी 197. अरनोद 198. धरियावद 199. पीपलखूँट	4
31.	पाली	पाली	200. बाली 201. देसूरी 202. जैतारण 203. सोजत 204. खारची 205. रायपुर 206. रोहट 207. रानी 208. सुमेरपुर	9
32.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	209. बामनवास 210. गंगापुरसिटी 211. खण्डार 212. बौली 213. चौथ का बरवाडा 214. मलारनाडूंगर	6
33.	करौली	करौली	215. हिण्डौन 216. नादौती 217. टोडाभीम 218. सपोटरा 219. मण्डरायल 220. मासलपुर	6
34.	सीकर	सीकर	221. दांतारामगढ 222. फतेहपुर 223. लक्ष्मणगढ 224. नीमकाथाना 225. श्रीमाधोपुर 226. सीकर (पेंशन) 227. खण्डेला	7
35.	सिरोही	सिरोही	228. आबूरोड	4

क्र.सं.	जिला	कोषालय का नाम	उप कोषालय का नाम	उप कोषालयों की संख्या
			229. पिण्डवाड़ा	
			230. रेवदर	
			231. शिवगंज	
36.	टोंक	टोंक	232. देवली	6
			233. मालपुरा	
			234. निवाई	
			235. टोडारायसिंह	
			236. उनियारा (अलीगढ)	
			237. पीपलू	
37.	उदयपुर	उदयपुर	-	0
38.	उदयपुर	उदयपुर (ग्रामीण)	238. खैरवाड़ा	10
			239. मावली	
			240. सलूम्बर	
			241. वल्लभनगर	
			242. झाड़ोल (फलासिया)	
			243. गोगुन्दा	
			244. सराड़ा	
			245. कोटड़ा	
			246. लसाड़िया	
			247. ऋषभदेव	
39.	राजसमंद	राजसमंद	248. कुम्भलगढ	6
			249. नाथद्वारा	
			250. आमेट	
			251. देवगढ	
			252. रेलमगरा	
			253. भीम	
40.	नई दिल्ली	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	-	0
41.	जयपुर	ई-कोषालय, जयपुर	-	0
योग				253

परिशिष्ट संख्या-2

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1)

राजस्थान राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कोषालयों के अतिरिक्त अन्य कोषालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	मुख्य कोषालय का नाम	क्र.सं.	अतिरिक्त कोषालय
1.	अजमेर	अजमेर	1	ब्यावर
2.	जयपुर	जयपुर (शहर)	2	जयपुर (सचिवालय)
			3	जयपुर (ग्रामीण)
			4	जयपुर (पीपीओ)
			5	ई-कोषालय
3	जोधपुर	जोधपुर (शहर)	6	जोधपुर (ग्रामीण)
4	उदयपुर	उदयपुर	7	उदयपुर (ग्रामीण)

परिशिष्ट संख्या - 3

(संदर्भ पैरा संख्या -1.1 एवं 3.1)

वर्ष 2020-21 में निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उप कोषालयों की सूची

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
1	अजमेर	-	-	04/2019 से 12/2020
		1	अजमेर (पेंशन)	04/2018 से 12/2020
		2	सरवाड़	04/2018 से 12/2020
		3	पुष्कर	04/2018 से 12/2020
		4	भीनाय	04/2018 से 12/2020
		5	रूपनगढ़	04/2018 से 12/2020
		6	पीसांगन	04/2018 से 12/2020
2	अलवर	-	-	07/2019 से 12/2020
		7	बहरोड़	07/2018 से 12/2020
		8	लक्ष्मणगढ़	07/2019 से 12/2020
		9	कोटकासिम	07/2018 से 12/2020
		10	रेणी	07/2018 से 12/2020
		11	नीमराना	07/2018 से 12/2020
		12	अलवर (पेंशन)	08/2017 से 12/2020
3	ब्यावर	-	-	09/2019 से 01/2021
		13	मसूदा	08/2018 से 01/2021
4	दौसा	-	-	10/2019 से 09/2020
		14	सिकराय	10/2019 से 09/2020
		15	महवा	10/2019 से 09/2020
5	जयपुर (शहर)	-	-	08/2019 से 06/2020
		16	विधानसभा	06/2017 से 06/2020
6	जयपुर (सचिवालय)	-	-	06/2019 से 08/2020

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	उप कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि
7	जयपुर (पेंशन)	-	-	06/2019 से 06/2020
8	जयपुर (ग्रामीण)	-	-	04/2019 से 08/2020
		17	चौमूं	04/2019 से 08/2020
		18	कोटपुतली	04/2019 से 08/2020
		19	शाहपुरा	04/2019 से 08/2020
		20	विराटनगर	05/2018 से 08/2020
		21	दूदू	05/2018 से 08/2020
		22	बस्सी	04/2019 से 08/2020
		23	वृद्धावस्था पेंशन	05/2018 से 08/2020
		24	सांगानेर	04/2019 से 08/2020
9	झुंझुनू	-	-	02/2019 से 02/2021
		25	बुहाना	02/2019 से 02/2021
		26	खेतड़ी	02/2019 से 02/2021
		27	चिड़ावा	02/2019 से 02/2021
		28	उदयपुरवाटी	02/2019 से 02/2021
		29	नवलगढ़	02/2019 से 02/2021
10	सवाई माधोपुर	-	-	09/2019 से 01/2021
		30	बामनवास	10/2017 से 01/2021
		31	मलारना झूंगर	10/2017 से 01/2021
		32	खण्डार	10/2017 से 01/2021
		33	बौली	10/2017 से 01/2021
		34	चौथ का बरवाड़ा	10/2017 से 01/2021
11	सीकर	-	-	06/2019 से 11/2020
		35	सीकर (पेंशन)	06/2017 से 11/2020
		36	श्रीमाधोपुर	06/2019 से 11/2020
		37	लक्ष्मणगढ़	06/2019 से 11/2020
		38	दांतारामगढ़	05/2018 से 11/2020
		39	फतेहपुर	05/2018 से 11/2020
		40	नीमकाथाना	06/2019 से 11/2020
12	टोंक	-	-	12/2019 से 11/2020
		41	निवाई	11/2018 से 11/2020
		42	टोडारायसिंह	11/2018 से 11/2020
		43	देवली	11/2018 से 11/2020
		44	मालपुरा	11/2018 से 11/2020
13	ई-कोषालय, जयपुर	-	-	03/2020 से 02/2021

परिशिष्ट संख्या - 4

(संदर्भ पैरा संख्या - 1.3)

राजस्थान राज्य स्थित कोषालयों / उप कोषालयों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों संबंधी सूचना

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
1.	अजमेर	86	59	59	0	-
2.	अलवर	98	83	83	0	-
3.	ब्यावर	31	25	25	0	-
4.	बाड़मेर	67	41	41	0	-
5.	बारां	58	34	34	0	-
6.	बांसवाड़ा	52	36	36	0	-
7.	बीकानेर	74	60	60	0	-
8.	बूंदी	50	41	41	0	-
9.	भरतपुर	87	58	49	09	-
10.	भीलवाड़ा	77	45	44	01	-
11.	चित्तौड़गढ़	69	43	43	0	-
12.	चूरु	56	44	43	01	-
13.	दौसा	47	42	42	0	-
14.	डूंगरपुर	44	28	28	0	-
15.	धौलपुर	30	21	21	0	-
16.	श्रीगंगानगर	66	50	42	08	-
17.	हनुमानगढ़	54	42	42	0	-
18.	जयपुर (शहर)	66	62	62	0	-
19.	जयपुर (ग्रामीण)	102	91	91	0	-
20.	जयपुर (सचिवालय)	37	35	35	0	-
21.	जयपुर (पेंशन)	43	31	19	12	-
22.	जैसलमेर	34	12	12	0	-
23.	जालौर	61	27	27	0	-
24.	जोधपुर (शहर)	42	37	35	02	-
25.	जोधपुर (ग्रामीण)	81	61	60	01	-
26.	झालावाड़	60	33	18	15	-
27.	झुन्झुनू	63	58	58	0	-
28.	करीली	54	44	44	0	-
29.	कोटा	62	46	46	0	-
30.	नागौर	84	76	65	11	-

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय में अधिकारियों / कर्मचारियों के स्वीकृत पद	कोषालय / उप कोषालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
31.	प्रतापगढ	46	20	20	0	-
32.	पाली	67	45	45	0	-
33.	राजसमंद	55	31	31	0	-
34.	सवाई माधोपुर	56	49	49	0	-
35.	सीकर	62	56	56	0	-
36.	सिरोही	47	23	23	0	-
37.	टोंक	54	46	46	0	-
38.	उदयपुर (शहर)	41	33	33	0	-
39.	उदयपुर (ग्रामीण)	77	43	43	0	-
40.	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	07	05	05	0	-
41.	ई- कोषालय जयपुर	20	18	15	03	-
योग		2367	1734	1671	63	-

परिशिष्ट संख्या - 5

(संदर्भ पैरा संख्या -2.4)

कोषालयों से प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या	क्र.सं.	कोषालय का नाम	प्राप्त हिसाब शोधन पत्रों की संख्या
1	अजमेर	06	22	जालौर	20
2	अलवर	05	23	जैसलमेर	01
3	ब्यावर	01	24	जोधपुर (शहर)	04
4	बाड़मेर	07	25	जोधपुर (ग्रामीण)	03
5	बांसवाड़ा	05	26	झालावाड़	06
6	बारां	02	27	झुन्झुनू	01
7	बून्दी	0	28	कोटा	06
8	बीकानेर	04	29	करौली	0
9	भरतपुर	05	30	नागौर	06
10	भीलवाड़ा	02	31	पाली	24
11	चित्तौड़गढ़	04	32	प्रतापगढ़	01
12	चूरु	01	33	राजसमन्द	02
13	दौसा	11	34	सवाई माधोपुर	03
14	धौलपुर	10	35	सिरोही	03
15	डूंगरपुर	11	36	सीकर	04
16	श्रीगंगानगर	07	37	टोंक	13
17	हनुमानगढ़	02	38	उदयपुर	07
18	जयपुर (सचिवालय)	20	39	उदयपुर (ग्रामीण)	01
19	जयपुर (शहर)	27	40	ई-कोषालय, जयपुर	113
20	जयपुर (ग्रामीण)	07	41	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	10
21	जयपुर (पेंशन)	01	योग		366

परिशिष्ट संख्या - 6

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.2)

लेखा शीर्ष 8782-102 "लोक निर्माण प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
1	अजमेर	19	108850263.75	107542176.96	15692364.16	47102527.38
2	अलवर	15	30224098.46	9950166.41	26042547.51	5525384.48
3	बांसवाड़ा	20	32288819.16	30734555.65	21036494.27	6278734.36
4	बारां	15	7582294.00	25507439.88	28680862.54	9541791.25
5	बाड़मेर	22	47500583.30	34806605.15	29669359.80	13213986.67
6	ब्यावर	04	2387196.83	8167453.00	140509.00	300091.22
7	भरतपुर	16	12362938.50	8434865.65	67639968.39	823695.20
8	भीलवाड़ा	20	2969139.43	68730394.85	31769164.32	5980195.30
9	बीकानेर	45	133758383.95	184790933.20	69594449.56	47445477.10
10	बून्दी	15	4986676.70	962896.32	14305349.22	94275.00
11	चित्तौड़गढ़	13	46335645.03	9953226.38	195925185.00	223189452.16
12	चूरू	21	51277375.00	78083749.72	180140573.54	158191582.36
13	दौसा	08	4351042.17	18594758.44	27475132.41	4326049.15
14	धौलपुर	10	5480673.00	8881493.45	90509931.15	84767102.58
15	डूंगरपुर	11	15379671.71	16093327.21	8163417.71	1018506.74
16	श्री गंगानगर	25	49383812.57	41451228.90	13797111.55	24109153.04
17	हनुमानगढ़	25	2179804.72	17664921.41	23861363.22	28351685.01
18	जयपुर (शहर)	40	447511604.05	432867565.11	198155304.23	49065802.47
19	जयपुर (ग्रामीण)	11	15320799.02	12613539.00	21069102.96	35864034.99
20	जयपुर (सचिवालय)	02	2264988.00	154175.00	0	3059452.00
21	जैसलमेर	32	37980799.09	34734736.41	156179988.52	117601149.97
22	जालौर	20	32781850.10	15603365.31	63684124.59	38401824.27
23	झालावाड़	24	29871236.27	724222.00	281108228.78	281159263.52
24	झुन्झुनू	08	2909549.00	1030174.99	72099938.55	1279380.00
25	जोधपुर (शहर)	24	201684402.76	154217955.03	187601075.36	79144992.57
26	जोधपुर (ग्रामीण)	16	130770074.10	22060235.62	94200118.00	52564235.96
27	करौली	09	12173073.39	8295840.00	23252745.92	11427372.00
28	कोटा	27	85075926.91	80552057.24	35528711.44	26472732.06
29	नागौर	22	45488193.92	46974261.94	35391154.23	61794445.39
30	पाली	14	103546568.69	33586647.77	74018943.97	18388865.08
31	प्रतापगढ़	10	3602061.01	10935460.20	17049709.00	5760497.55
32	राजसमंद	11	15866642.00	32615865.27	91520332.23	2002892.40

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-102-01 चालान राशि ₹		8782-102-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक	धनात्मक	ऋणात्मक
33	सवाई माधोपुर	11	16526226.00	23266309.79	64098113.96	49290804.14
34	सीकर	13	3192212.31	9871787.93	4157928.64	8243947.76
35	सिरोही	7	12417371.28	5193704.75	1318281.03	646185.00
36	टोंक	22	19647185.00	16777561.36	52262530.10	8142260.01
37	उदयपुर	16	73140618.83	17314862.37	6517938.88	1468295.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	07	4089063.84	1075671.35	11699112.50	11615404.85
39	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	01	0	3124477.00	0	11238.00
योग		651	1853158863.85	1633940668.02	2335357166.24	1523664763.99

परिशिष्ट संख्या - 7

(संदर्भ पैरा संख्या -2.5.3)

लेखा शीर्ष 103-8782" वन लेखा प्रेषण" के बकाया चैक्स व चालानों का विवरण स्थिति

माह 3/2021 (पूरक)

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-01 चालान राशि ₹		खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक		धनात्मक	ऋणात्मक
1	अजमेर	1	2095485.79	0.00	1	0.00	382678.34
2	अलवर	3	274158.00	0.00	2	143464.00	0.00
3	बांसवाड़ा	2	30845.99	77402.00	1	32706.00	0.00
4	बारां	1	404488.97	0.00	1	0.00	2130091.01
5	बाड़मेर	1	9688931.36	0.00	1	48545.00	0.00
6	ब्यावर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7	भरतपुर	2	995611.63	0.00	2	726268.00	0.00
8	भीलवाड़ा	2	0.00	1320468.76	1	0.00	85390.26
9	बीकानेर	5	1365889.24	75141.47	5	604829.38	640960.57
10	बून्दी	1	0.00	229587.19	1	152941.02	0.00
11	चित्तौड़गढ़	3	340691.24	1096513.00	2	257421.00	0.00
12	चूरू	1	0.00	391311.00	1	1594978.68	0.00
13	दौसा	1	445873.00	0.00	0	0.00	0.00
14	धौलपुर	1	0.00	1567863.50	1	0.00	184278.00
15	झुंजरपुर	1	0.00	369436.45	1	0.00	42444.70
16	श्री गंगानगर	2	5470727.09	0.00	1	374957.00	0.00
17	हनुमानगढ़	1	0.00	586294.26	1	27192.20	0.00
18	जयपुर (शहर)	7	3302545.00	11946596.53	5	1728325.00	2531579.00
19	जयपुर (ग्रामीण)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
20	जयपुर (सचिवालय)	1	0.00	78863.00	1	0.00	934254.00
21	जैसलमेर	3	46987.60	560207.00	3	18000.00	37171.50
22	जालौर	1	321308.48	0.00	1	56383.48	0.00
23	झालावाड़	1	40460.80	0.00	1	491433.00	0.00
24	झुन्झुनू	1	0.00	57031.99	1	0.00	34224.85
25	जोधपुर (शहर)	2	322118.94	0.00	2	293018.94	0.00
26	जोधपुर (ग्रामीण)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
27	करौली	2	376103.64	5881.00	2	86080.00	0.00
28	कोटा	3	462736.00	2110393.92	3	995391.00	1807456.24
29	नागौर	1	0.00	13697.25	1	0.00	564.00
30	पाली	2	47600.00	1115951.00	1	0.00	20000.00
31	प्रतापगढ़	1	0.00	272204.00	1	115000.00	0.00

क्र. सं.	कोषालय का नाम	खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-01 चालान राशि ₹		खण्डीय कार्यालयों की संख्या	8782-103-02 चैक्स राशि ₹	
			धनात्मक	ऋणात्मक		धनात्मक	ऋणात्मक
32	राजसमंद	2	8013036.00	4188397.00	2	565145.00	25235.00
33	सवाई माधोपुर	4	2180687.81	5761.00	2	162870.00	157916.00
34	सीकर	1	338883.00	0.00	0	0.00	0.00
35	सिरोही	3	264458.00	206652.63	2	244852.00	0.00
36	टोंक	2	138928.00	0.00	1	434183.00	0.00
37	उदयपुर	5	0.00	10218371.15	6	1895604.37	691296.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
39	भुगतान एवं लेखाधिकारी, नई दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
योग		70	36968555.58	36494025.1	57	11049588.07	9705539.47

परिशिष्ट संख्या - 8

(संदर्भ पैरा संख्या - 2.7)

आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा माह सितम्बर 2020 तक एवं इससे पूर्व आहरित किये गये ए.सी. बिलों के अप्राप्त बकाया डी.सी. बिलों का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	लेखा शीर्ष	नियंत्रण अधिकारी	वर्ष	माह	वाउचर संख्या	बिलों की संख्या	राशि ₹
1	अजमेर	2029	रजिस्ट्रार रेवन्यू बोर्ड, अजमेर	2007-08	03/2008	102	1	29217760
			उप रजिस्ट्रार रेवन्यू बोर्ड, अजमेर	2020-21	06/2020	21229	1	6880000
2	अलवर	2245	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, अलवर	2012-13	03/2013	92618	1	10350000
3	बीकानेर	2217	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	2019-20	11/2019	74012	1	600000
4	जयपुर (शहर)	2055	उप निदेशक, (ACCT), एफ.एस.एल. राजस्थान पुलिस, जयपुर	2016-17	03/2017	135386	1	23900000
				2017-18	02/2018	115502	1	8350000
				2017-18	02/2018	115503	1	16150000
				2017-18	03/2018	137310	1	6650000
				2018-19	03/2019	145958	1	16197000
				2018-19	03/2019	145963	1	26140000
				2014-15	01/2015	102313	1	5700000
				2014-15	03/2015	133438	1	18050000
		2052	डी.डी.ओ. कलेक्टर, जयपुर	2019-20	01/2020	105249	1	150000
		2204	अति. जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	2018-19	12/2018	110721	1	264248
				2019-20	12/2019	89549	1	1000000
			कमान अधिकारी-III राजस्थान नेवल यूनिट, एन.सी.सी., जयपुर	2019-20	12/2019	86938	1	28770
2019-20	11/2019			81230	1	8200		
	7, राजस्थान इनडिपेंडेंट कम्पनी, एन.सी.सी., जयपुर	2019-20	12/2019	90520	1	12034		
2245	.डी.ओ. कलेक्टर, जयपुर	2019-20	03/2020	131320	1	1100000		
5	जयपुर (सचिवालय)	2051	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2016-17	10/2016	40659	1	200000
6	जोधपुर (शहर)	2851	संयुक्त निदेशक, औद्योगिक केन्द्र, जोधपुर	2019-20	03/2020	75487	1	486000
				2020-21	09/2020	34239	1	1177500
				2020-21	08/2020	25775	1	1106750
7	कोटा	2204	कमांडेंट अधिकारी-7, एन.सी.सी. कन्या, कोटा	2019-20	12/2019	73465	1	5463

8	उदयपुर	2406	आयोजना अधिकारी, उदयपुर	2019-20	03/2020	61079	1	70000
		2215	अधिकाधी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग (उत्पादन एवं वितरण), उदयपुर	2019-20	02/2020	56985	1	15890
		2059	अधिकाधी अभियंता, सर्वे एवं गुणवत्ता नियंत्रण, उदयपुर	2020-21	07/2020	12879	1	20000
योग							27	173829615
वर्ष वार संकलन का विवरण							संख्या	राशि ₹
2016 - 17 एवं पूर्व के							06	87417760
2017 - 18							03	31150000
2018 - 19							03	42601248
2019 - 20							11	3476357
2020 - 21 (सितम्बर 20 तक)							04	9184250
वर्ष वार संकलन का योग							27	173829615

परिशिष्ट संख्या- 9

(संदर्भ पैरा संख्या -2.8)

प्रधान महालेखाकार व कोषालय की पुस्तकों के मध्य निजी निक्षेप खातों के शेष में अंतर का विवरण

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	अजमेर	398	खण्डीय वन अधिकारी, अजमेर	41039481.75	41533417.75	0	493936.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	22528549.00	22532333.00	0	3784.00
		473	भवन निर्माण ऋण	3318103.00	3725622.00	0	407519
		5166	उप निदेशक, डी.डब्ल्यू.डी.ए. (आई.सी.डी.एस.)	0	0.85	0	0.85
2	अलवर	473	भवन निर्माण ऋण	14174443.00	14250581.00	0	76138.00
		5032	चैयरमैन, पंच निर्णय शुल्क	43643.00	36493.00	7150.00	0
3	बांसवाड़ा	473	भवन निर्माण ऋण	24079176.20	24215295.20	0	136119.00
		477	न्यू एम.सी.ए. ओ.बी.सी.	0.00	0.41	0	0.41
4	बारां	1254	प्राचार्य, राजकीय बालिका महाविद्यालय, बारां	4289645.00	4288981.00	664.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	17733374.83	17723473.83	9901.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	7326423.00	7356421.00	0	29998.00
5	बाड़मेर	3340	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा	8226634.00	14172954.00	0	5946320.00

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
			अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी				
		473	भवन निर्माण ऋण	2130641.45	2369089.00	0	238447.55
6	भरतपुर	2221	ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, वैर	9705001.37	22680035.37	0	12975034.00
		2243	उप खण्डीय कार्यालय वन्य जीव	82470.99	46761.99	35709.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	7269771.06	7523456.06	0	253685.00
7	भीलवाड़ा	3197	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुलाबपुरा	216188.00	214117.00	2071.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	20668615.18	20989341.18	0	320726.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	983417.00	980770.00	2647.00	0
		710	पुलिस अधीक्षक, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	1830175.00	1801477.00	28698.00	0
8	बीकानेर	3234	परियोजना निदेशक,	68463.00	68097.00	366.00	0
		3297	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय	3876516.00	3496516.00	380000.00	0
		3302	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	2930424.00	2656008.00	274416.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	19017065.00	19170921.00	0	153856.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	3641253.00	3620560.00	20693.00	0
		5828	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, लणकरणसर	2034612.60	2248585.60	0	213973.00
		762	अति. जिला शिक्षा अधिकारी / ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी	110748556.82	110757056.82	0	8500.00
		764	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, कोलायत	36500601.81	36526671.81	0	26070.00
		765	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, लनकरणसर	35669577.00	35551077.00	118500.00	0
		766	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, श्रीङ्गरगढ़	612798.00	632040.00	0	19242.00
9	बूंदी	473	भवन निर्माण ऋण	6507835.00	6605252.00	0	97417.00
10	चित्तौड़गढ़	473	भवन निर्माण ऋण	33201498.00	33548803.00	0	347305.00
11	चूरू	2855	प्राचार्य राजकीय बालिका महाविद्यालय, रतनगढ़	5436504.00	5424450.00	12054.00	0
		2866	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	911750.00	910250.00	1500.00	0

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
		2870	उप वन संरक्षक	39575.00	5058.00	34517.00	0
		2918	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, रतनगढ़	80926061.00	80938259.00	0	12198.00
		2919	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, सरदारशहर	39483068.24	39438628.24	44440.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	10969585.80	10981467.80	0	11882.00
		473	भवन निर्माण ऋण	12539800.30	12717899.30	0	178099.00
12	दौसा	3019	उप निदेशक कृषि विस्तार	9056.00	73800.00	0	64744.00
		3056	राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	9865887.00	9829652.00	36235.00	0
		3059	जिला अल्प बचत अधिकारी	(-) 806673.00	0	0	806673.00
		3063	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, लालसोट	32560858.87	12564458.87	19996400.00	0
		3064	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, सिकराय	(-) 10164509.00	9835491.00	0	20000000.00
		3065	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, महवा	1370253.70	403253.70	967000.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	14431872.00	13980194.00	451678.00	0
		479	न्यू पेंशन स्कीम	15215.20	10.00	15205.20	0
		5914	राजकीय बालिका महाविद्यालय, लालसोट	1744087.00	1742287.00	1800.00	0
13	धौलपुर	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	4891962.98	4890020.98	1942.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	20261866.62	20266840.62	0	4974.00
		5847	राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी	107833.00	115683.00	0	7850.00
14	डूंगरपुर	2493	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	6421878.57	6371878.57	50000.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	39833743.84	39829817.84	3926.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	30244144.07	30332596.07	00	88452.00
		479	नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)	7539.00	270023271.00	0	270015732.00
15	श्रीगंगानगर	2023	अधीक्षक, जिला जेल	4377285.00	4360075.00	17210.00	0

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
		2033	कमांडेंट, होम गार्ड कल्याण निधि	4556061.00	4390601.00	165460.00	0
		2037	अति. उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी	1247844.00	1607844.00	0	360000.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	23718008.50	23700034.50	17974.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	5462806.00	5485333.00	0	22527.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	67600.00	67400.00	200.00	0
		5967	राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़	1645923.00	1660923.00	0	15000.00
16	हनुमानगढ़	473	भवन निर्माण ऋण पुराना 31.03.04	9614150.00	9681873.00	0	67723.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एस.बी.बी.जे.	122355.00	0	122355.00	0
17	जयपुर (शहर)	3484	चैयरमैन कैदी कल्याण निधि केन्द्रीय कारागृह	18167925.64	17749523.64	418402.00	0
		3490	आयुक्त, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम	29786111.31	29244331.31	541780.00	0
		3634	भवन निर्माण ऋण पुनर्भुगतान 31.03.04	0	1028830.00	0	1028830.00
		3637	भवन निर्माण ऋण पुनर्भुगतान एच.डी.एफ.सी.	0	(-) 5135725.00	5135725.00	0
		3638	भवन निर्माण ऋण पुनर्भुगतान एस.बी.बी.जे.	0	(-) 269005.00	269005.00	0
		3680	सहायक आयुक्त-II, देवास्थान विभाग	42201.00	40593.00	1608.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	51168695.18	50089535.00	1079160.18	0
		473	भवन निर्माण ऋण	5710944.80	6057521.00	0	346576.20
		474	भवन निर्माण ऋण एस.बी.बी.जे.	63357.00	14406.00	48951.00	0
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	1882689.00	451709.00	1430980.00	0
		543	आयुक्त, देवास्थान विभाग	862574.64	858284.64	4290.00	0
		6123	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), जयपुर	466241954.00	466224146.00	17808.00	0
18	जयपुर (पेंशन)	473	भवन निर्माण ऋण	4488763.00	5700270.00	0	1211507.00
19	जयपुर (ग्रामीण)	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15115228.54	15122106.54	0	6878.00
		473	भवन निर्माण ऋण	10701271.00	10925164.00	0	223893.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	593953.00	580040.00	13913.00	0

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
20	जयपुर (सचिवालय)	3784	प्रबंध निदेशक, तिलम संघ	0	0.53	0	0.53
		3792	निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	5313608373.00	5313603043.00	5330.00	0
		3799	प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य हैण्डलूम सहकारिता	0	0.63	0	0.63
		4013	राजस्थान परियोजना विकास निधि	0	0.82	0	0.82
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	4515506.00	4526577.00	0	11071.00
		473	भवन निर्माण ऋण	7849803.00	8346736.00	0	496933.00
		5880	राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद	0	7212967000.00	0	7212967000.00
21	जैसलमेर	473	भवन निर्माण ऋण	7315921.00	7408139.00	0	92218.00
22	जालौर	473	भवन निर्माण ऋण	1319642.00	1472305.00	0	152663.00
23	झालावाड़	4647	अति. उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी	17228456.00	17223638.00	4818.00	0
		4687	आयुक्त एवं श्रम कल्याण अधिकारी	1570644.00	1585613.00	0	14969
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	31225529.00	24668622.00	6556907.00	0
		4713	अधीक्षक / उप अधीक्षक, होम गार्ड रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	4739544.50	4724575.50	14969.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	14768184.57	14795004.57	0	26820.00
		479	नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)	0	6556907.00	0	6556907.00
24	झुंझुनु	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	14814755.00	14784366.00	30389.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	14513359.00	14636879.00	0	123520.00
25	जोधपुर (शहर)	4023	अधिकाधी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन खण्ड	1295978.00	1295305.00	673.00	0
		4040	अधीक्षक, एएसएसओ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, एम.जी.एच.	272804.05	240354.05	32450.00	0
		4144	अधिकाधी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग खण्ड-।।	(-) 2335858.00	0	0	2335858.00
		473	भवन निर्माण ऋण	5046344.40	5172516.40	0	126172.00
		5850	फाईर्नसियल काम्प कृषि विश्व विद्यालय	645993273.00	645989993.00	3280.00	0
26	जोधपुर (ग्रामीण)	4529	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, शेरगढ़	22265079.83	21711831.83	553248.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा	13644235.00	13629278.00	14957.00	0

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
			निगम				
		473	भवन निर्माण ऋण	2479208.00	2528809.00	0	49601.00
27	करौली	4373	अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी	12497060.87	12497059.87	1.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	21841362.00	21844362.00	0	3000.00
28	कोटा	2317	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग	8616835.00	8606203.00	10632.00	0
		2328	उप वन संरक्षक, वन्य जीव	1918530.10	1866124.70	52405.40	0
		2331	प्राचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज	168306592.00	168306495.00	97.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	4214362.92	4477383.92	0	263021.00
		474	भवन निर्माण ऋण एस.बी.बी.जे.	544.00	407.00	137.00	0
		5852	कृषि विश्व विद्यालय	136573346.00	136571696.00	1650.00	0
29	नागौर	2579	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय	683785.00	758785.00	0	75000.00
		2598	अधिकाारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, डी.इ.वाना	8145623.00	8594145.00	0	448522.00
		473	भवन निर्माण ऋण	2582714.78	2627286.78	0	44572.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	313527.00	314915.00	0	1388.00
30	पाली	1842	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फालना	259546.00	216546.00	43000.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	23786715.00	23988682.00	0	201967.00
31	प्रतापगढ़	473	भवन निर्माण ऋण	5197303.00	5213564.00	0	16261.00
32	राजसमंद	4202	उप वन संरक्षक	383030.00	393490.00	0	10460.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15877793.00	14964937.00	912856.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	3458070.00	3620877.00	0	162807.00
		475	भवन निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	4396918.00	4370591.00	26327.00	0
		5561	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी, आमेट	3181785.13	3191875.13	0	10090.00
33	सवाई माधोपुर	1637	उप निदेशक, टाईगर प्रोजेक्ट	1430827.00	1528294.00	0	97467.00
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	6662721.00	6715821.00	0	53100.00
		473	भवन निर्माण ऋण	3149159.00	3156779.00	0	7620.00
		474	भवन निर्माण ऋण एस.बी.बी.जे.	12502566.32	12506609.32	0	4043.00
		479	नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)	0	5650890.00	0	5650890.00

क्र.सं	कोषालय का नाम	खाता संख्या	संस्था का नाम	प्रधान महालेखाकार के अनुसार शेष राशि ₹	कोषालय के अनुसार शेष राशि ₹	(+)धनात्मक अंतर राशि ₹	(-) ऋणात्मक अन्तर राशि ₹
34	सीकर	1587	परियोजना प्रबंधक, अनु.सूचित जाति विकास निगम	12132650.00	12102650.00	30000.00	0
		471	भारतीय जीवन बीमा निगम	15911860.00	15905073.00	6787.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	5762189.00	5949116.00	0	186927.00
		5698	प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय	14185273.46	14311773.46	0	126500.00
35	सिरोही	473	भवन निर्माण ऋण	5169189.00	5255549.00	0	86360.00
36	ढोंक	4226	जिला वन अधिकारी (DFO)	9870425.22	9844223.22	26202.00	0
		473	भवन निर्माण ऋण	17391893.00	17619152.00	0	227259.00
37	उदयपुर	473	भवन निर्माण ऋण	16559609.00	17296880.00	0	737271.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	1061	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा	28086705.60	28173765.60	0	87060.00
		474	भवन निर्माण ऋण पुनर्भुगतान एस.बी.बी.जे.	2500	0	2500	0
		989	अधिशाषी अभियंता, सिंचाई डिविजन, सलुम्बर	5198017.00	5201771.00	0	3754.00
योग				8095575822.61	15603144555.82	40111948.78	7547680681.99

परिशिष्ट संख्या - 10

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.2.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (2 माह) के बाद प्रथम अनुपालना रिपोर्ट विलम्ब से प्रेषित करने वाले / प्रेषित नहीं करने वाले वाले कोषालयों

का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्ति दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिन
1	अजमेर	04/2019 से 12/2020	25.03.2021	25.05.2021	28.05.2021	0	04
2	अलवर	07/2019 से 12/2020	15.03.2021	15.05.2021	17.06.2021	01	03
3	ब्यावर	09/2019 से 01/2021	15.03.2021	15.05.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4	दौसा	10/2019 से 09/2020	08.12.2020	08.02.2021	01.02.2021	0	0
5	जयपुर (शहर)	08/2019 से 06/2020	11.09.2020	11.11.2020	21.12.2020	01	11
6	जयपुर (सचिवालय)	06/2019 से 08/2020	04.11.2020	04.01.2021	04.12.2020	0	0
7	जयपुर (पेंशन)	06/2019 से 06/2020	21.08.2020	21.10.2020	09.04.2021	05	20
8	जयपुर (ग्रामीण)	04/2019 से 08/2020	08.12.2020	08.02.2021	29.01.2021	0	0
9	झुन्झुनू	02/2019 से 02/2021	21.04.2021	21.06.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
10	सवाई माधोपुर	09/2019 से 01/2021	15.04.2021	15.06.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
11	सीकर	06/2019 से 11/2020	12.02.2021	12.04.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
12	टोंक	12/2019 से 11/2020	02.02.2021	02.04.2021	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
13	ई-कोषालय, जयपुर	03/2020 से 02/2021	12.04.2021	12.06.2021	6.7.2021	0	25
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय में प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या						03	
प्रथम अनुपालना निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने वाले कोषालयों की संख्या						05	
प्रथम अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने वाले कोषालयों की संख्या						05	

क्र.सं.	कोषालय का नाम	निरीक्षण की लेखा अवधि	नि.प्र. जारी करने की दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्त के लिये नियत दिनांक	प्रथम अनुपालना प्राप्त दिनांक	विलम्ब अवधि	
						माह	दिन
निरीक्षण कार्य स्थगित किये गये कोषालयों की संख्या						28	
योग						41	

परिशिष्ट संख्या - 11

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.1)

उपादान भुगतान आदेशों / एलपीसी में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती नही करने से अधिक भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
1	अजमेर	सरवाड़	श्री भगवत सिंह 1110940 (R)	3170721 (R)	105522	2515
			श्रीमती विमल कंवर 2013822 (R)	3159144 (R)	27610	2515
			श्रीमती राम् देवी 2013153 (R)	3150098 (R)	34324	2202
			श्री शंकर लाल 1072367 (R)	3103609 (R)	112614	0202
			श्रीमती दुर्गा देवी 2011027 (R)	3113335 (R)	799	2029
		भिनाय	श्री कैलाश चंद बीरम 1094055 (R)	3147428 (R)	56514	2202
			श्री हरि लाल 1076750 (R)	3151698 (R)	69776	2202
2	अलवर	लक्ष्मणगढ़	श्रीमती मंगनी देवी 2014849 (R)SF	3171009 (R)	172100	2055
			श्री घूरमल सिंह 1127035 (R)	3198107 (R)	13080	2202
		अलवर (पेंशन)	डा. सरोज गर्ग 1105017 (R)	3163289 (R)	212187	2202
			श्री रामसिंह बैरवा 1104754 (R)	3162952 (R)	64854	0049
			श्री फौजी राम मीणा 1102301 (R)	3159904 (R)	200	2055

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
3	दौसा	दौसा	श्री कालू राम मीना 1117603 (R)	3178924 (R)	122344	2059
			श्री घनश्याम प्रसाद मीना 1122128 (R)	3189869 (R)	43677	2406
			श्री चौथ मल शर्मा 1128826 (R)	3200711(R)	4665	2202
4	झुंझुनु	सूरजगढ़	श्रीमती रीटा देवी 8100347 (R)SF NPS	8300488	95220	0071
			श्री दौलत सिंह 8100347(R)SF NPS	8300489	95220	0071
			श्री प्रेम सिंह 8100347(R)SF NPS	8300490	95220	0071
		खेतड़ी	श्रीमती हुकम कंवर 1099406 (R)	3156138 (R)	15000	7610
5	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	श्रीमती कमला बारवाल 1124281 (R)	3193660 (R)	228692	0202
			श्रीमती शकुंतला देवी 2017977 (R)	3214320 (R)	18000	7610
					47500	0049
6	सीकर	दांतारामगढ़	श्री रामचंद्र नवल 1081344 (R)	3123302 (R)	7405	2071
		फतेहपुर	श्री तेजपाल सिंह 1078006 (R)	3117042 (R)	119042	2700
			श्री गिरधारी बबेरवाल 1117334 (R)	3178590 (R)	55195	2215
			श्री हरफूल 1117679 (R)	3179036 (R)	126304	2215
		सीकर (पेंशन)	श्री मोहन लाल 1068087 (R)	3095711 (R)	12607	0202
			श्री जालिम सिंह शेखावत 1077490 (R)	3115978 (R)	15629	2406
			श्री नेमी चंद सैनी 1078972 (R)	3118930 (R)	140549	0202
			श्री राम चंद्र सिंह 1104391 (R)	3162500 (R)	2801	0202
			श्रीमती पान कंवर 2010792 (R)	3108351 (R)	2940	3054

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	जी.पी.ओ. संख्या	वसूली योग्य राशि ₹	मुख्य लेखा शीर्ष
			श्री रविन्द्र सिंह 2010792 (R)	3108350 (R)	2938	3054
7	टोंक	निवाई	श्री भूषण सालोदिया 1102094 (R)	3159621 (R)	288094	0210
योग					2408622	

परिशिष्ट संख्या - 12

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.4.1)

बैंक शाखाओं द्वारा राज्य पेंशनरों को किये गये अधिक भुगतान की राशि की एकमुश्त वसूली नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय / उप कोषालय का नाम	बैंक व शाखा का नाम	पेंशनर का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	अवधि
1	अलवर	पंजाब नेशनल बैंक मनु मार्ग, अलवर	श्रीमती बीना देवी	113871(R)	3630	09/2014 से 07/2017
			श्रीमती बसंती देवी	115865(R)	45359	11/2016 से 07/2017
			श्रीमती इन्दु मुदगल	115820 (R)	54208	09/2016 से 07/2017
			श्रीमती शोभा देवी शर्मा	119599 (R)	294435	04/2014 से 07/2017
			श्री सतीश लाल	200636 (R)	372230	08/2015 से 07/2017
			श्रीमती रश्मि जैन	113811 (R)	483518	04/2010 से 07/2017
2		भारतीय स्टेट बैंक, बस स्टेण्ड, अलवर	श्रीमती मुन्नी देवी	105055 (R)	50168	01/2017 से 08/2017
3		भारतीय स्टेट बैंक, महल चौक , अलवर	श्रीमती गोदावरी देवी	113118 (R)	55752	09/2016 से 08/2017
			श्रीमती भगवती देवी	111538 (R)	212186	01/2015 से 08/2017
4		भारतीय स्टेट बैंक, बस स्टेण्ड, अलवर	श्रीमती कलावती देवी	109465 R)SF	63614	11/2016 से 08/2017
योग					1635100	

परिशिष्ट संख्या - 13

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.6.1)

रूपांतरित पेंशन के रूप में सिविल पेंशनरों को अधिक/कम भुगतान

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
1	अजमेर	सरवाड़	श्री ओम प्रकाश मूंदड़ा 1097391 (R)	4114808 (R)/ 8.5.2019	O.P. 46550 C.P. 15516 R.P. 31034	₹ 1525657/ 12.6.2019	1.6.2019	1.6.2019 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.06.19 से 30.06.19 @ ₹ 15516 प्रतिमाह	15516	0
			श्रीमती शारदा शर्मा 1098298 (R)	4115897 (R)/ 21.5.2019	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	₹ 1134017/ 31.7.2019	1.7.2019	1.7.2019 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.07.19 से 31.07.19 @ ₹ 11533 प्रतिमाह	11533	0
			श्री महावीर नाथ 1102659 (R)	4121004 (R)/ 16.7.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432/ 31.7.2019	1.7.2019	1.7.2019 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.07.19 से 31.07.19 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	11883	0
			श्री भंवर लाल शर्मा 1073232 (R)	4076760 (R)/ 8.5.2018	O.P. 12296 C.P. 4098 R.P. 8198	₹ 402948/ 14.6.2018	1.6.2018	1.6.2018 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.06.18 से 30.06.18 @ ₹ 4098 प्रतिमाह	4098	0
			श्री अब्दुल जब्बार 1081320 (R)	4091475 (R)/ 27.8.2018	O.P. 18200 C.P. 6066 R.P. 12134	₹ 596458/ 17.9.2018	1.8.2018	17.9.2018 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	17.09.18 से 30.09.18 @ ₹ 6066	2831	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
									प्रतिमाह		
			श्री सुरेश चंद्र टेलर 1076012 (R)	4082173 (R)/ 19.6.2018	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432/ 16.10.2018	1.10.2018	1.10.2018 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.10.18 से 31.10.18 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	11883	0
			श्री नोरत मल बलाई 1081187 (R)	4091138 (R)/ 24.8.2018	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432/ 19.9.2018	1.9.2018	1.9.2018 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.09.18 से 30.09.18 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	11883	0
			श्री अमर चंद जाट 1078221 (R)	4086305 (R)/ 16.7.2018	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	₹ 1134017/ 27.8.2018	1.8.2018	1.8.2018 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.08.18 से 31.08.18 @ ₹ 11533 प्रतिमाह	11533	0
			श्री प्रहलाद राय 1081252 (R)	4091365 (R)/ 24.8.2018	O.P. 15285 C.P. 5095 R.P. 10190	₹ 500981/ 29.9.2018	1.9.2018	1.9.2018 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.09.18 से 30.09.18 @ ₹ 5095 प्रतिमाह	5095	0
			श्री रामस्वरूप बलाई 1079182 (R)	4088019 (R)/	O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400	₹ 1101`274/ 17.9.2018	1.9.2018	1.9.2018 सेवानिवृत्ति तिथि से आगामी माह में भुगतान के कारण	01.09.18 से 30.09.18 @ ₹ 11200 प्रतिमाह	11200	0
		भिनाय	श्री दुर्गालाल आचार्य 1116940 (R)	4137257 (R)/ 24.2.2020	O.P. 13329 C.P. 4443 R.P. 8886	₹ 436871/ 2.12.2020	1.10.2019	24.5.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.05.20 से 31.10.20 @ ₹ 4443 प्रतिमाह	23362	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			श्री रज्जाक मोहम्मद 1112963 (R)	4132874 (R)/ 6.12.2019	O.P. 35600 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432/ 1.6.2020	1.3.2020	6.3.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	06.03.20 से 31.05.20 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	33732	0
			श्री माधव लाल जाट 1116314 (R)	4136550 (R)/ 14.2.2020	O.P. 42450 C.P. 14150 R.P. 28300	₹ 1445338/ 21.7.2020	31.1.2020	14.5.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.05.20 से 31.05.20 @ ₹ 14150 प्रतिमाह	8216	0
			श्री तेज सिंह 1112070 (R)	4131855 (R)/ 22.11.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1188432/ 26.3.2020	1.1.2020	22.2.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.02.20 से 30.04.20 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	27044	0
			श्री मोहम्मद जाहिर 1114531 (R)	4134554 (R)/ 1.1.2020	O.P. 10688 C.P. 3562 R.P. 7126	₹ 350244/ 23.3.2020	1.2.2020	23.3.2020 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	23.03.20 से 30.04.20 @ ₹ 3562 प्रतिमाह	4596	0
			श्री नाथु लाल रैगर 1112985 (R)	4132897 (R)/ 12.12.2019	O.P. 17650 C.P. 5883 R.P. 11767	₹ 578464/ 26.3.2020	1.1.2020	26.3.2020 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	26.03.20 से 30.04.20 @ ₹ 5883 प्रतिमाह	7022	0
			श्री हरि लाल 1076750 (R)	4112246 (R)/ 12.4.2019	O.P. 11918 C.P. 3972 R.P. 7946	₹ 390590/ 20.6.2019	1.6.2018	20.6.2019 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	20.06.19 से 31.12.20 @ ₹ 3972 प्रतिमाह (बैंक द्वारा भुगतान)	72952	0
			श्रीमती मनोरमा शर्मा 1060645 (R)	4126876 (R) Rev/ 12.9.2019	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	₹ 695474/ 9.10.2019	1.1.2018	9.10.2019 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	09.10.19 से 31.12.20 @ ₹ 7073 (11533-4460) प्रतिमाह (बैंक द्वारा भुगतान)	104270	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			रामफूल मीणा 449501 (R)	4108811 (R) Rev / N.A	O.P. 10225 C.P. 3408 R.P. 6817	₹ 37660/ 31.10.2019	1.9.2019	31.10.2019 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	31.10.19 से 31.12.20 @ ₹ 383 (3408- 3025) प्रतिमाह (बैंक द्वारा भुगतान)	5374	0
		पीसांगन	श्रीमती वसंता कुमारी 1061359 (R)	4091114 (R)/ Rev 30.8.2018	O.P. 28600 C.P. 9533 R.P. 19067	₹ 582299/ 20.4.2020	1.12.2017	30.11.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.04.20 से 31.12.20 @ ₹ 5922 (9533- 3611 प्रतिमाह (बैंक द्वारा भुगतान)	53298	0
			श्री पूनम चंद 1064646 (R)	4085402 (R) Rev 9.7.2018	O.P. 34600 C.P. 11533 R.P. 23067	₹ 703832 23.8.2018	1.2.2018	23.8.2018 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	02/2018 से 12/2018 (उपकोष एवं बैंक द्वारा कुल अधिक भुगतान)	82888	0
		पुष्कर	श्रीमती स्नेहलता मिश्रा 1098291 (R)	4115890 (R)/ 21.5.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432 15.10.2019	1.9.2019	1.9.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.09.18 से 30.09.18 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	11883	0
			श्री रमेश चंद जाटव 1115354 (R)	4135491 (R)/ 17.1.2020	O.P. 17850 C.P. 5950 R.P. 11900	₹ 585052 9.6.2020	1.2.2020	17.4.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	17.04.20 से 30.04.20 @ ₹ 5950 प्रतिमाह	2777	0
			डा. राजेन्द्र कुमार जोशी 1108145 (R)	4127378 (R)/ 20.9.2019	O.P. 83475 C.P. 27825 R.P. 55650	₹ 2665190 24.1.2020	31.7.2019	20.12.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.12.19 से 31.12.19 @ ₹ 27825 प्रतिमाह	10771	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
		रूपनगढ़	श्री अब्दुल सत्तार 1073908 (R)	4078165 (R)/ 24.5.2018	O.P. 11250 C.P. 3750 R.P. 7500	₹ 398070 4.1.2019	1.4.2018	24.8.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.08.18 से 31.12.18 @ ₹ 3750 प्रतिमाह	15968	0
			श्री नाथु सिंह 1119102 (R)	4154479 (R)/ 16.10.2020	O.P. 17700 C.P. 5900 R.P. 11800	₹ 572984 12.11.2020	1.3.2019	12.11.2020 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	12.11.20 से 31.01.21 @ ₹ 5900 प्रतिमाह (बैंक द्वारा भुगतान)	15537	0
		अजमेर (पेंशन)	श्री बसंती लाल 1083449 (R)	4094735 (R)/ 1.10.2018	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	₹ 535888 4.4.2019	1.10.2018	1.1.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.01.19 से 31.03.19 @ ₹ 5450 प्रतिमाह	16350	0
			श्री रामशरण शर्मा 1074220 (R)	4078655 (R)/ 22.5.2018	O.P. 24650 C.P. 8216 R.P. 16434	₹ 807863 9.4.2019	1.7.2018	22.8.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.08.18 से 31.03.19 @ ₹ 8216 प्रतिमाह	60162	0
			श्री राम कृपाल 1111519 (R)	4131251 (R)/ 15.11.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	₹ 568631 16.3.2020	1.2.2020	15.2.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	15.02.20 से 29.02.20 @ ₹ 5783 प्रतिमाह	2991	0
			श्रीमती पुष्पलता शर्मा 1110136 (R)	4129666 (R)/ 17.10.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432 16.3.2020	1.2.2020	1.2.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.02.20 से 29.02.20 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	11883	0
			श्री कृष्ण कुमार शर्मा 1108089 (R)	4127314 (R)/ 20.9.2019	O.P. 54000 C.P. 18000 R.P. 36000	₹ 1769904 17.3.2020	1.1.2020	1.1.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.01.20 से 29.02.20 @ ₹ 18000 प्रतिमाह	36000	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			मुकन्द सिंह 1063918 (R)	4063275 (R)/ 30.10.2017	O.P. 10930 C.P. 3643 R.P. 7287	₹ 358209 11.3.2019	1.9.2017	30.1.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	31.01.18 से 28.02.19 @ ₹ 3643 प्रतिमाह	47477	0
			श्री रईसा खान 1086488 (R)	4099960 (R)/ 14.11.2018	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432 8.3.2019	1.2.2019	14.2.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.02.19 से 28.02.19 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	6365	0
			श्री चांद मल 1086543 (R)	4100032 (R)/ 14.11.2018	O.P. 22650 C.P. 7550 R.P. 15100	₹ 742376 8.3.2019	1.1.2019	14.2.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	14.02.19 से 28.02.19 @ ₹ 7550 प्रतिमाह	4044	0
2	ब्यावर	ब्यावर	श्री तेज सिंह 0141- 1115513 (R)	4135676 (R)/ 20.1.2020	O.P. 24750 C.P. 8250 R.P. 16500	₹ 811206 14.5.2020	1.8.2019	20.4.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	20.04.20 से 30.04.20 @ ₹ 8250 प्रतिमाह	3025	0
			श्रीमती वीणा राठौड़ 0145- 1111039 (R)	4130684 (R)/ 1.11.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432 21.5.2020	1.3.2020	1.3.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.03.20 से 30.04.20 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	23766	0
			श्रीमती सोना रूबी 0145- 1116347 (R)	4136585 (R)/ 30.1.2020	O.P. 39550 C.P. 13183 R.P. 26367	₹ 1346564 2.6.2020	1.11.2019	30.4.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	30.04.20 से 31.05.20 @ ₹ 13183 प्रतिमाह	13622	0
3	सवाई माधोपुर	बाँली	श्री बाब् 1107733 (R)	4126911 (R)/ 16.9.2019	O.P. 16350 C.P. 5450 R.P. 10900	₹ 535888 20.1.2020	1.3.2019	16.12.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	16.12.19 से 31.12.19 @ ₹ 5450 प्रतिमाह	2813	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			श्रीमती अयोध्या नामा 1120989 (R)	4141667 (R)/ 28.5.2020	O.P. 12404 C.P. 4134 R.P. 8270	₹ 415269 13.10.2020	30.4.2019	28.8.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.08.20 से 30.09.20 @ ₹ 4134 प्रतिमाह	4667	0
			चंद्र मोहन 1113905 (R)	4133893 (R)/ 30.12.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	₹ 568631 3.6.2020	1.8.2019	30.3.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	30.03.20 से 30.04.20 @ ₹ 5783 प्रतिमाह	6156	0
			हंसा गुर्जर 1083058(R)	4094021 (R)/ 26.9.2018	O.P. 14650 C.P. 4883 R.P. 9767	₹ 480136 21.1.2019	1.9.2018	26.12.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.12.18 से 31.12.18 @ ₹ 4883 प्रतिमाह	945	0
		बामनवास	श्री गिराज प्रसाद मीना 1102267 (R)	4120558(R)/ 15.7.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	₹ 1202846 5.11.2019	1.10.2019	15.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	15.10.19 से 31.10.19 @ ₹ 12233 प्रतिमाह	6708	0
			श्री कालूराम मीणा 1097954 (R)	4115497(R)/ 22.5.2019	O.P. 29556 C.P. 9852 R.P. 19704	₹ 968727 17.9.2019	1.8.2019	22.8.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	22.08.19 से 31.08.19 @ ₹ 9852 प्रतिमाह	3178	0
			कन्हैया लाल मीणा 1103743 (R)	4122270 (R)/ 29.7.2019	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	₹ 1202846 8.11.2019	1.10.2019	29.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	29.10.19 से 31.10.19 @ ₹ 12233 प्रतिमाह	1184	0
		गंगापुर सिटी	श्री बजरंग लाल शर्मा 1065110 (R)	4064570 (R)/ 24.11.2017	O.P. 12890 C.P. 4296 R.P. 8594	₹ N.A. 9.3.2018	-	24.2.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	24.02.18 से 28.02.18 @ ₹ 4296 प्रतिमाह	767	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			श्री राम हरि लाल मीणा 1075363 (R)	4080783 (R)/ 5.7.2018	O.P. 23907 C.P. 7969 R.P. 15938	₹ N.A. 1.3.2019	-	5.10.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	05.10.18 से 31.10.18 @ ₹ 7969 प्रतिमाह	6941	0
		सवाई माधोपुर	श्री रघुवीर सिंह 1115541 (R)	4135703(R)/ 21.1.2020	O.P. 18465 C.P. 6155 R.P. 12310	₹ 605209 5.10.2020	1.1.2020	21.4.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	21.04.20 से 30.09.20 @ ₹ 6155 प्रतिमाह	32827	0
			श्री रतन लाल मीना 1105056 (R)	4123800 (R)/ 13.8.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	₹ 605209 5.10.2020	1.11.2018	13.11.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	13.11.19 से 30.04.20 @ ₹ 5783 प्रतिमाह	32385	0
			श्रीमती गीता देवी 1115179 (R)	4135298 (R)/ 21.1.2020	O.P. 16850 C.P. 5616 R.P. 11234	₹ 552210 20.7.2010	1.10.2019	21.4.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	21.04.20 से 30.06.20 @ ₹ 5616 प्रतिमाह	13104	0
4	सीकर	नीमकाथाना	श्री मातादीन वर्मा 1111737 (R)	4131482 (R)/ 21.11.2019	O.P. 35650 C.P. 11883 R.P. 23767	₹ 1168432 15.10.2020	1.10.2019	21.2.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	21.02.20 से 29.02.20 @ ₹ 11883 प्रतिमाह	3688	0
			इन्द्राज सिंह 1096440 (R)	4114617 (R)/ 3.5.2019	O.P. 17650 C.P. 5883 R.P. 11767	₹ 609032 19.7.2019	1.9.2018	19.7.2019 12.11.2020 रूपांतरण मूल्य भुगतान तिथि	19.7.2019 से 30.11.20 @ ₹ 5883 प्रतिमाह (बैंक द्वारा भुगतान)	95595	0
		फतेहपुर	श्री राकेश कुमार बैरिया 1115495 (R)	4135646 (R)/ 28.1.2020	O.P. 34500 C.P. 11500 R.P. 23000	₹ 1130772 15.5.2020	1.11.2019	28.4.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	28.04.20 से 30.04.20 @ ₹ 11500 प्रतिमाह	1150	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			श्री हनुमान सिंह 1118767 (R)	4139293 (R)/ 12.3.2020	O.P. 29450 C.P. 9816 R.P. 19634	₹ 1002646 14.7.2020	1.1.2020	12.6.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	12.06.20 से 30.06.20 @ ₹ 9816 प्रतिमाह	6217	0
		लक्ष्मणगढ़	श्री गोपीराम ढाका 1100744 (R)	4118787 (R)/ 1.7.2019	O.P. 34660 C.P. 11553 R.P. 23107	₹ 1135983 10.12.2019	1.6.2019	1.10.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.10.19 से 30.11.19 @ ₹ 11533 प्रतिमाह	23106	0
			श्री जगदीश चंद्र मीणा 1105434 (R)	4124236 (R)/ 27.8.2019	O.P. 17350 C.P. 5783 R.P. 11567	₹ 568631 30.12.2019	1.8.2019	27.11.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	27.11.19 से 30.11.19 @ ₹ 5783 प्रतिमाह	771	0
			श्री बृज मोहन लाल 1119196 (R)	4139786 (R)/ 20.3.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	₹ 1202846 19.10.2020	1.8.2020	1.8.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.08.20 से 31.08.20 @ ₹ 12233 प्रतिमाह	12233	0
			श्री विरेन्द्र कुमार ढाका 1121098 (R)	4141780 (R)/ 1.6.2020	O.P. 36700 C.P. 12233 R.P. 24467	₹ 1202846 6.11.2020	1.9.2020	1.9.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	01.09.20 से 30.09.20 @ ₹ 12233 प्रतिमाह	12233	0
		सीकर (पेंशन)	श्री हरि सिंह शेखावत 1110514 (R)	4130098 (R)/ 25.10.2019	O.P. 33150 C.P. 11050 R.P. 22100	₹ 1086524 16.4.2020	1.11.2019	25.1.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	25.01.20 से 29.02.20 @ ₹ 11050 प्रतिमाह	13545	0
			श्रीमती इन्द्रा देवी	4141327 (R)/ 20.5.2020	O.P. 35650 C.P. 11883	₹ 1168432 11.12.2020	1.6.2020	20.8.2020 सी.पी.ओ. जारी होने	20.08.20 से 30.09.20	16483	0

क्र.सं.	कोषालय	कोषालय / उप कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम व पी.पी.ओ. संख्या	सी.पी.ओ. संख्या एवं सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	मासिक पेंशन दर ₹	रूपांतरित पेंशन मूल्य एवं भुगतान तिथि	पेंशन शुरू होने की तिथि	घटी हुई दर से देय पेंशन की तिथि	भुगतान की अवधि	अधिक भुगतान राशि ₹	कम भुगतान राशि ₹
			1120661 (R)		R.P. 23767			के तीन माह बाद	@ ₹ 11883 प्रतिमाह		
			श्री रामेश्वर लाल 1122075 (R)	4142785 (R)/ 11.6.2020	O.P. 28925 C.P. 9641 R.P. 19284	₹ 947980 13.11.2020	1.7.2020	11.9.2020 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद.	11.09.20 से 30.09.20 @ ₹ 9641 प्रतिमाह	6427	0
			श्री बेगराज कुमावत 1063197 (R)	4095880 (R)/ Rev. 26.10.2018	O.P. 33600 C.P. 11200 R.P. 22400	₹ 678857 3.5.2019	1.11.2017	26.1.2019 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	26.01.19 से 31.03.19 @ 11200 प्रतिमाह	24568	0
		दांतारामगढ़	श्री हनुमान प्रसाद कुमावत 1020021 (R)	4083150 (R) Rev. 7.7.2018	O.P. 9860 C.P. 3286 R.P. 6574	₹ 41593 30.8.2018	1.11.2015	30.8.2018 सी.पी.ओ. जारी होने के तीन माह बाद	30.08.18 से 30.11.20 @ ₹ 423 (3286-2863) प्रतिमाह (बैंक द्वारा संशोधित रूपांतरित पेंशन की गटौती नहीं की गई।)	11448	0
योग										1141969	0

परिशिष्ट संख्या - 14

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.6.2)

पेंशन रूपांतरण के पश्चात घटी दर से पेंशन भुगतान की तिथि व रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि गलत दर्ज करना

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
1	सरवाड़	1114986 (R)/ 4135061 (R)	श्री रूप चंद	1.2.2020/ 10.1.2020	16.3.2020	16.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1110940 (R)/ 4130579 (R)	श्री भगवत सिंह	1.9.2019/ 1.11.2019	17.3.2020	1.2.2020/ 1.1.2020	1.2.2034/ 1.2.2034
	पीसांगन	1110857 (R)/ 4130494 (R)	श्री मुश्ताक अहमद कुरेशी	1.1.2020/ 31.10.2019	26.2.2020	31.1.2020/ 1.1.2020	1.2.2034/ 1.1.2034
		1113239 (R)/ 4133174 (R)	श्रीमती जूबेदा चिश्ती	1.1.2020/ 12.12.2019	26.2.2020	26.2.2020/ 1.1.2020	1.3.2034/ 1.1.2034
		1086740 (R)/ 4100280 (R)	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	1.11.2018/ 16.11.2018	26.2.2019	16.2.2019/ 1.11.2019	1.3.2033/ 1.11.2032
	पुष्कर	1091091 (R)/ 4106431 (R)	श्री शम्भू दयाल पारासर	1.1.2019/ 21.1.2019	5.3.2019	5.3.2019/ 1.3.2019	1.4.2033/ 1.3.2033
		1108145 (R)/ 4127378 (R)	डा. राजेन्द्र कुमार जोशी	1.8.2019/ 20.9.2019	24.1.2020	20.12.2019/ 1.1.2020	1.1.2034/ 1.1.2034
		1115942 (R)/ 4136131 (R)	श्री हेम नारायण पारासर	1.1.2020/ 27.1.2020	24.2.2020	24.2.2020/ 1.2.2020	1.3.2034/ 1.2.2034
	अजमेर (पेंशन)	1116986 (R)/ 4137310 (R)	श्री राम दयाल	1.11.2019/ 24.2.2020	30.3.2020	30.3.2020/ दर्ज नहीं	1.4.2034/ 1.3.2034
		1117995 (R)/ 4138441 (R)	श्री राम लाल	1.1.2020/ 4.3.2020	30.3.2020	30.3.2020/ दर्ज नहीं	1.4.2034/ 1.3.2034
		1118893 (R)/ 4139433 (R)	श्री राकेश कुमार वर्मा	21.1.2020/ 12.3.2020	30.3.20203	30.3.2020/ दर्ज नहीं	1.4.2034/ 1.3.2034
		1118427 (R)/ 4138910 (R)	श्री कान सिंह	1.1.2020/ 5.3.2020	30.3.2020	30.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1115668 (R)/ 4135834 (R)	श्री निर्मल	31.7.2019/ 23.1.2020	26.3.2020	26.3.2020/ दर्ज नहीं	1.4.2034/ 1.3.2034

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
		1117857 (R)/ 4138293 (R)	श्री प्रेम सिंह तंवर	1.4.2018/ 27.2.2020	26.3.2020	26.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1117436 (R)/ 4137804 (R)	श्री दिनेश कुमार शर्मा	1.2.2020/ 26.2.2020	23.3.2020	23.3.2020/ दर्ज नहीं	1.4.2034/ 1.3.2034
		1118413(R)RM 4138897 (R)	श्रीमती गीता	1.1.2020/ 6.3.2020	26.3.2020	26.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1117217(R)RM 4137562(R)	श्री मोहन	1.1.2020/ 25.2.2020	26.3.2020	26.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1117185(R)RM 4137528 (R)	श्रीमती कांता	1.12.2019/ 25.2.2020	26.3.2020	26.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
2	जयपुर (पेंशन)	1112460 (R)/ 4132282 (R)	श्रीमती निर्मला तंवर	1.8.2019/ 2.12.2019	19.12.2019	19.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1106261(R)/ 4125177 (R)	श्री कन्हैया लाल गुर्जर	1.8.2019/ 27.8.2019	18.12.2019	27.11.2019/ 1.11.2019	1.12.2033/ 1.11.2033
		1111618 (R)/ 4131348 (R)	सुश्री शीविल मेरी रोज	1.9.2019/ 22.11.2019	25.12.2019	25.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1112631 (R)/ 4132478 (R)	श्री अमर नाथ शर्मा	1.11.2019/ 5.12.2019	25.12.2019	25.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1112425 (R)/ 4132239 (R)	श्री अशोक कुमार गोयल	1.10.2019/ 28.11.2019	25.12.2019	25.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1109635 (R)/ 4129083 (R)	श्री प्रहलाद राय पारीक	1.9.2019/ 14.10.2019	30.12.2019	30.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1112900 (R)/ 4132797 (R)	श्री कैलाश चंद्र मीणा	20.12.2019/ 6.12.2019	25.12.2019	25.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111155 (R)/ 4130819 (R)	श्री असन मोहम्मद खान	1.6.2019/ 7.11.2019	25.12.2019	25.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1110185 (R)/ 4129723 (R)	श्री अशोक कुमार शर्मा	1.8.2019/ 25.10.2019	25.12.2019	25.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1112377 (R)/ 4132187 (R)	श्री नरेन्द्र माथुर	1.7.2019/ 9.12.2019	30.12.2019	30.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1110171 (R)/ 4129705 (R)	श्रीमती अम्बिका शर्मा	1.11.2019/ 24.10.2019	6.12.2019	6.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2033/ 1.11.2033

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
		1111723 (R)/ 4131466 (R)	श्री नरपत सिंह	1.11.2019/2 1.11.2019	7.12.2019	7.12.2019/ 1.11.2019	1.12.2033/ 1.11.2033
3	बस्सी	1117680 (R)/ 4138085 (R)	श्री भौरी लाल मीणा	1.6.2019/ 27.2.2020	17.3.2020	17.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1115482 (R)/ 4135631 (R)	श्री कन्हैयालाल शर्मा	16.9.2019/ 7.2.2020	4.3.2020	4.2.2020/ 1.2.2020	1.4.2034/ 1.2.2034
		1117886 (R)/ 4138324 (R)	श्री रामधन मीणा	1.5.2019/ 3.3.2020	17.3.2020	17.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1120414 (R)/ 4141068 (R)	श्री रमेश चंद्र शर्मा	1.12.2019/ 11.5.2020	14.5.2020	14.5.2020/ 1.5.2020	1.6.2034/ 1.5.2034
		1116146 (R)/ 4136366 (R)	श्री रामफूल	1.10.2019/ 7.2.2020	17.3.2020	17.3.2020/ 1.3.2020	1.4.3034/ 1.3.2034
	दूद	1086890 (R)/ 4100478 (R)	श्री सुगन लाल	1.8.2018/ 9.1.2019	14.2.2019	14.2.2019/ 1.2.2019	1.3.2033/ 1.2.2033
		1087221 (R)/ 4101023 (R)	श्री नंद राम वर्मा	1.8.2018/ 3.1.2019	22.2.2019	22.2.2019/ 1.2.2019	1.3.2033/ 1.2.2033
		1087263 (R)/ 4101070 (R)	श्री गोपाल लाल शर्मा	1.7.2018/ 3.1.2019	22.2.2019	22.2.2019/ 1.2.2019	1.3.2033/ 1.2.2033
		1090152 (R)/ 4105236 (R)	श्री भंवर लाल	1.10.2017/ 22.1.2019	28.2.2019	28.2.2019/ 1.2.2019	1.3.2033/ 1.2.2033
		1088343 (R)/ 4102702 (R)	श्री हरजी राम	1.10.2018/ 10.1.2019	12.3.2019	12.3.2019/ 1.3.2019	1.4.2033/ 1.3.2033
		1116754 (R)/ 4137055 (R)	श्री रघुवीर सिंह	1.2.2020/ 24.2.2020	18.3.2020	18.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
	चौमूं	1106843 (R)/ 4125859 (R)	श्रीमती रुकमणी देवी	1.5.2019/ 20.9.2019	20.2.2020	20.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.11.2033
		1114117 (R)/ 4134113 (R)	श्री सीताराम नाई	1.1.2020/ 26.12.2019	28.2.2020	28.2.2020/ 1.2.2020	1.3.2034/ 1.2.2034
		1112551 (R)/ 4132585 (R)	श्री ओम प्रकाश सैन	1.11.2019/ 3.12.2019	19.2.2020	19.2.2020/ 1.2.2020	1.3.2034/ 1.2.2034
		1114780 (R)/ 4134829 (R)	श्री प्रभु दयाल बनकर	1.1.2020/ 7.1.2020	18.2.2020	18.2.2020/ 1.2.2020	1.3.2034/ 1.2.2034

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
						1.2.2020	1.2.2034
		1115188 (R)/ 4135307 (R)	श्रीमती मुनमुन शर्मा	1.9.2019/ 19.2.2020	19.3.2020	19.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1114832 (R)/ 4134887 (R)	श्री तोफान मल मीण	1.9.2019/ 19.2.2020	23.3.2020	23.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1114556 (R)/ 4134581 (R)	श्री रामेश्वर प्रसाद राजोरिया	1.1.2020/ 6.1.2020	4.3.2020	4.3.2020/ 1.2.2020	1.4.2034/ 1.2.2034
		1110642 (R)/ 4130242 (R)	श्री ओमकार मल	1.8.2019/ 11.11.2019	26.3.2020	11.2.2020/ 1.1.2020	1.3.2034/ 1.1.2034
		1113253(R)/ 4133192 (R)	श्री ताराचंद खोवाल	1.2.2020/ 13.12.2019	23.3.2020	13.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
	कोटपूतली	1117143 (R)/ 4137384 (R)	श्री पप्पू राम सैनी	1.8.2018/ 28.2.2020	23.3.2020	23.3.2020/ दर्ज नहीं	1.4.2034/ 1.3.2034
		1117826 (R)/ 4138262 (R)	श्री रवि दत्त शर्मा	1.8.2019/ 27.2.2020	23.3.2020	23.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1116959 (R)/ 4137282 (R)	श्री राम निवास यादव	1.1.2020/ 25.2.2020	23.3.2020	23.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1116801 (R)/ 4137108 (R)	श्रीमती विमला देवी खरब	1.2.2020/ 14.2.2020	23.3.2020	23.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1117539 (R)/ 4137916 (R)	श्री कैलाश चंद्र वर्मा	1.9.2019/ 28.2.2020	18.3.2020	18.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1115049 (R)/ 4135133 (R)	श्री लाल चंद स्वामी	1.7.2019/ 29.1.2020	17.3.2020	17.3.2020/ 1.2.2020	1.4.2034/ 1.2.2034
		1116263 (R)/ 4136493 (R)	श्री सुरेश कुमार शर्मा	1.11.2019/ 6.1.2020	17.3.2020	17.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
	विराटनगर	1091686 (R)/ 4107181 (R)	श्री मनमोहन शर्मा	1.10.2018/ 8.2.2019	14.2.2019	14.2.2019/ 1.2.2019	1.3.2033/ 1.2.2033
		1090707 (R)/ 4105948 (R)	श्री नाथ लाल शर्मा	1.9.2018/ 1.2.2019	15.3.2019	15.3.2019/ 1.3.2019	1.4.2033/ 1.3.2033
		1116168 (R)/ 4136393 (R)	श्री शम्भु दयाल सैनी	1.11.2019/ 29.1.2020	23.3.2020	23.3.2020/ 1.2.2020	1.4.2034/ 1.2.2034

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
	शाहपुरा	1112683 (R)/ 4132534 (R)	श्री रघुनाथ प्रसाद बुनकर	1.5.2019/ 4.12.2019	5.2.2020	5.2.2020/ 1.1.2020	1.3.2034/ 1.1.2034
		1115512 (R)/ 4135675 (R)	श्री रामस्वरूप शर्मा	1.10.2019/ 27.1.2020	28.2.2020	28.2.2020/ 1.2.2020	1.3.2034/ 1.2.2034
		1111476 (R)/ 4131207 (R)	श्री सत्य नारायण शर्मा	1.9.2019/ 15.11.2019	24.2.2020	15.2.2020/ 1.2.2020	1.3.2024/ 1.2.2034
		1116459 (R)/ 4136711 (R)	श्री सूरज मल बुनकर	1.9.2019/ 7.2.2019	3.3.2020	3.3.2020/ 1.2.2020	1.4.2034/ 1.2.2034
		1115697 (R)/ 4135867 (R)	श्री सीताराम खटीक	1.2.2020/ 13.2.2020	18.3.2020	18.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1116699 (R)/ 4136982 (R)	श्री नाराण	1.2.2020/ 12.2.2020	18.3.2020	18.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1115689 (R)/ 4135859 (R)	श्री दर्गा प्रसाद वर्मा	1.8.2019/ 14.2.2020	18.3.2020	18.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
4	सवाई माधोपुर	1132854 (R)/ 4153967 (R)	श्री बाबू लाल माली	1.12.2020/ 8.10.2020	15.12.2020	15.12.2020/ 1.12.2020	1.1.2035/ 1.12.2034
		1131938 (R)/ 4153024 (R)	श्री राम दयाल माली	1.8.2020/ 25.9.2020	15.12.2020	15.12.2020/ 1.12.2020	1.1.2035/ 1.12.2034
		1133908 (R)/ 4155044 (R)	श्री निजाम खान	1.7.2020/ 21.10.2020	14.1.2021	14.1.2021/ 1.1.2021	1.2.2035/ 1.1.2035
		1135666 (R)/ 4156870 (R)	श्री दीपक गांधी	1.1.2021/ 19.11.2020	14.1.2021	14.1.2021/ 1.1.2021	1.2.2035/ 1.1.2035
		1136204 (R)/ 4157432 (R)	श्री मधु मुकुल चतुर्वेदी	1.12.2020/ 27.11.2020	15.12.2012	15.12.2020/ 1.12.2020	1.1.2035/ 1.12.2034
		1131328 (R)/ 4152395 (R)	श्री प्रण मल टौलिया	1.8.2020/ 17.9.2020	20.10.2020	20.10.2020/ 1.10.2020	1.11.2034/ 1.10.2034
		1116474 (R)/ 4136724 (R)	श्री रामावतार गुप्ता	1.6.2019/ 31.1.2020	19.3.2020	19.3.2020/ 1.3.2020	1.4.2034/ 1.3.2034
		1121191 (R)/ 4141871 (R)	श्री रमेश पाल	1.1.2020/ 28.5.2020	15.7.2020	15.7.2020/ 1.7.2020	1.8.2034/ 1.7.2034
		1124633 (R)/ 4145449 (R)	श्री मुरारी लाल जाट	1.6.2020/ 7.7.2020	5.8.2020	5.8.2020/ 1.8.2020	1.9.2034/ 1.8.2034

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
		1125050 (R)/ 4145894 (R)	श्री फारूक मोहम्मद	1.7.2020/ 10.7.2020	5.8.2020	5.8.2020/ 1.8.2020	1.9.2034/ 1.8.2034
5	श्रीमाधोपुर	1109769 (R)/ 4129224 (R)	श्री केसर देव महेच	1.8.2019/ 24.10.2019	3.1.2020	3.1.2020/ 1.11.2019	1.2.2034/ 1.12.2033
		1105950 (R)/ 4124814 (R)	श्रीमती वालसला वी.वी.	1.6.2019/ 2.9.2019	3.1.2020	2.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1110579 (R)/ 4130167 (R)	श्री सीताराम	1.9.2019/ 1.11.2019	3.1.2020	3.1.2020/ 1.11.2019	1.2.2034/ 1.12.2033
		1108987 (R)/ 4128345 (R)	श्री पुरण मल योगी	1.8.2019/ 8.10.2019	3.1.2020	3.1.2020/ 1.11.2019	1.2.2034/ 1.12.2033
		1107424 (R)/ 4126546 (R)	श्री सागर मल	1.10.2019/ 13.9.2019	3.1.2020	13.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1107708 (R)/ 4126871 (R)	श्री अर्जुन सिंह	1.9.2019/ 18.9.2019	3.1.2020	18.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111687 (R)/ 4131424 (R)	श्री फूल सिंह	1.9.2019/ 20.11.2019	3.1.2020	3.1.2020/ 1.11.2019	1.2.2034/ 1.12.2033
		1110064 (R)/ 4129586 (R)	श्री ओम प्रकाश	1.9.2019/ 25.10.2019	3.1.2020	3.1.2020/ 1.12.2019	1.2.2034/ 1.1.2034
	नीमकाथाना	1109093 (R)/ 4128471 (R)	श्री कैलाश नाथ योगी	1.8.2019/ 4.10.2019	12.12.2019	12.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.1.2034
		1107911 (R)/ 4127127 (R)	श्री कजोड़ मल रैगर	1.10.2019/ 23.9.2019	17.12.2019	17.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.1.2034
		1109815 (R)/ 4129280 (R)	श्री नाहर सिंह	1.10.2019/ 14.10.2019	17.12.2019	17.12.2019/ 1.11.2019	1.1.2034/ 1.1.2034
		1106817 (R)/ 4125826 (R)	श्री रामजी लाल गुर्जर	1.9.2018/ 5.9.2019	26.9.2019	26.9.2019/ 1.9.2019	1.10.2033/ 1.10.2033
		1129015 (R)/ 4150006 (R)	श्री परता राम	1.6.2020/ 24.8.2020	15.10.2020	15.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.9.2034
		1128582 (R)/ 4199545 (R)	श्री झाबर मल सैनी	1.6.2020/ 21.8.2020	15.10.2020	15.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.9.2034
		1130674 (R)/ 4151821 (R)	श्री सुणा राम यादव	1.4.2020/ 15.9.2020	15.10.2020	15.10.2020/ 15.10.2020	1.11.2034/ 1.11.2034

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
						1.9.2020	1.9.2034
	दांतारामगढ़	1112156 (R)/ 4131948 (R)	श्री राम गोपाल निराणियां	1.11.2019/ 12.11.2019	17.12.2019	17.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111749 (R)/ 4131497 (R)	श्री नंदा राम	1.7.2019/ 19.11.2019	17.12.2019	17.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111771 (R)/ 4131527 (R)	श्री मोहन सिंह	1.8.2019/ 19.11.2019	20.12.2019	20.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111744 (R)/ 4131492 (R)	श्री बृज लाल	1.10.2019/ 22.11.2019	18.12.2019	18.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111645 (R)/ 4131377 (R)	श्री जगदीश प्रसाद	1.6.2019/ 18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1110679 (R)/ 4130287 (R)	श्री श्रवण राम बलाई	1.7.2019/ 6.11.2019	24.12.2019	24.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1109596 (R)/ 4129039 (R)	श्री विनोद कुमार	1.8.2019/ 22.10.2019	26.12.2019	26.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1111739 (R)/ 4131486 (R)	श्री दीन दयाल	1.6.2019/ 19.11.2019	20.12.2019	20.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1128584 (R)/ 4149548 (R)	श्री हरि प्रसाद	1.6.2020/ 21.8.2020	1.10.2020	1.10.2020/ 1.9.2020/	1.10.2034/ 1.9.2034/
		1128765 (R)/ 4149741 (R)	श्री भंवर लाल रैगर	1.7.2020/ 21.8.2020	6.10.2020	6.10.2020 1.9.2020	1.11.2034 1.9.2034
		1127386 (R)/ 4148314 (R)	श्रीमती शारदा सिंह	1.7.2020/ 6.8.2020	13.10.2020	13.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.9.2034
	लक्ष्मणगढ़	1106259 (R)/ 4125175 (R)	श्री लक्ष्मी नारायण	1.3.2019/ 2.9.2019	19.12.2019	2.12.2019/ 1.12.2019	1.1.2034/ 1.12.2033
		1100744 (R)/ 4118787 (R)	श्री गोपी राम ढाका	1.6.2019/ 1.7.2019	23.12.2019	1.10.2019/ शून्य	1.10.2033/ 1.10.2033
		1105434 (R)/ 4124236 (R)	श्री जगदीश चंद्र मीणा	1.8.2019/ 27.8.2019	30.12.2019	27.11.2019/ 1.12.2019	1.12.2033/ 1.12.2033
		1122203 (R)/ 4142913 (R)	श्रीमती खातून बानो	1.1.2020/ 27.6.2020	19.10.2020	17.9.2020/ 1.8.2020	1.10.2034/ 1.8.2034

क्र.सं.	कोषालय/ उप कोषालय	पी.पी.ओ. एवं सी.पी.ओ. नम्बर	पेंशनर का नाम	पेंशन शुरू होने की तिथि/ सी.पी.ओ. जारी होने की तिथि	कम्यूटेशन राशि की भुगतान तिथि	नियमानुसार घटी हुई दर से देय पेंशन तिथि/कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि	नियमानुसार रूपांतरित पेंशन के रेस्टोरेशन की तिथि/ कोषालय/ उपकोषालय द्वारा दर्ज तिथि
		1119156 (R)/ 4139786 (R)	श्री बूज मोहन लाल	1.8.2020/ 20.3.2020	19.10.2020	1.8.2020/ 1.9.2020	1.8.2034/ 1.9.2034
	फतेहपुर	1110895 (R) 4130531 (R)	श्री ब्रह्म दत्त सोनी	1.9.2019/ 5.11.2019	9.1.2020	9.1.2020/ 1.11.2019	1.2.2034/ 1.11.2033
		1123500 (R)/ 4144257 (R)	श्री गिरधारी लाल	1.6.2020/ 26.6.2020	5.10.2020	26.9.2020/ 1.9.2020	1.10.2034/ 1.9.2034
		1129184 (R)/ 4150180 (R)	श्री हरीश चंद्र गोदारा	1.6.2020/ 31.8.2020	8.10.2020	8.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.9.2034
		1130367 (R)/ 4151391 (R)	श्री राजकुमार वर्मा	1.8.2020/ 10.9.2020	14.10.2020	14.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.9.2034
		1130759 (R)/ 4151815 (R)	श्री लूणकरण सांखला	1.8.2020/ 15.9.2020	8.10.2020	8.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.9.2034
		1129936 (R)/ 4150950 (R)	श्री गोपाल	1.7.2020/ 9.9.2020	20.10.2020	20.10.2020/ 1.10.2020	1.11.2034/ 1.10.2034
		सीकर (पेंशन)	1128650 (R)/ 4149619 (R)	श्री रामस्वरूप	1.6.2020/ 24.8.2020	20.10.2020	20.10.2020/ 1.9.2020
	1121800 (R)/ 4142498 (R)		श्री पालाराम जाखड़	1.2.2020/ 23.6.2020	28.10.2020	23.9.2020/ 1.10.2020	1.10.2034/ 1.11.2034
	1128464 (R)/ 4149423 (R)		श्री बहादुर सिंह	1.6.2020/ 25.8.2020	20.10.2020	20.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.11.2034
	1123711 (R)/ 4144469 (R)		श्रीमती ग्यारसी देवी	1.6.2020/ 7.7.2020	20.10.2020	7.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.11.2034
	1129582 (R)/ 4150602 (R)		श्री श्रीराम लाटा	1.8.2020/ 4.9.2020	20.10.2020	20.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.11.2034
	1129673 (R)/ 4150689 (R)		श्री भीमसिंह ढाका	1.1.2020/ 4.9.2020	20.10.2020	20.10.2020/ 1.9.2020	1.11.2034/ 1.11.2034

परिशिष्ट संख्या - 15

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.7)

पेंशन एरियर राशि में से आयकर (TDS) की कटौती नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. संख्या	एरियर राशि ₹	वसूली योग्य आयकर राशि ₹	आयकर कटौती की गई राशि ₹	बकाया आयकर राशि ₹
1	झुंझुनु	झुंझुनु (पेंशन)	श्री विद्याधर सिंह	163131 (R)	922192	89896	14204	75692
			श्री दिलीप सिंह	1087860 (R)	680712	39668	7317	32351
			श्री शंकर लाल	1098860 (R)	907141	84685	61285	23400
			श्री जगी राम वर्मा	1104912 (R)	1684059	312227	246284	65943
2	अजमेर	भिनाय	श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा	1106657 (R)	703808	42392	0	42392
			श्री रतन लाल शर्मा	1124998 (R)	736863	37634	20800	16834
			श्री नोरत मल जैन	1113851 (R)	667056	30374	15600	14774
			श्री नरेन्द्र कुमार	1115741 (R)	647789	28370	15600	12770
योग ₹					6949620	665246	381090	284156

परिशिष्ट संख्या - 16

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.4.8)

कम्प्यूटर पर संधारित पेंशन बैंक रजिस्टर में उत्पन्न मिस मैच मदों (अधिक / कम भुगतान) का विवरण

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन बैंक रजिस्टर माह
1	अजमेर	सिविल पेंशन	83	81252	564	3583994	12/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	74	215475	694	3204442	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	01	1	18	46720	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	2075	18	68091	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	01	22	65	80786	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	03	4632	54	146707	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	0	0	04	23995	
		ए.आई.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	10827	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	05	3930	
		जज सिविल पारिवारिक पेंशन	0	0	02	5751	
2	अलवर	सिविल पेंशन	218	732460	987	6255605	12/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	185	688664	714	3439302	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	14	25133	72	306229	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	14	39277	69	274199	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	03	8047	28	139294	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	05	14041	35	70889	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन					
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	03	46131	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	1	1053	
		जज सिविल पेंशन	0	0	03	67278	
		जज सिविल पारिवारिक पेंशन	0	0	01	24916	
		ए.आई.एस. पारिवारिक पेंशन	0	0	01	4546	
3	ब्यावर	सिविल पेंशन	16	9100	328	2063302	01/21
		सिविल पारिवारिक पेंशन	18	42198	179	844244	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	01	966	06	17273	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	0	0	03	5027	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	22	123896	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	22	116875	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	680	
		जज सिविल पारिवारिक पेंशन	0	0	01	346	
4	दौसा	सिविल पेंशन	141	390571	268	2360152	10/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	127	719636	127	506266	

क्र. सं	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	09	33717	15	16286	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	06	17013	08	41041	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	05	5287	09	27177	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	07	42984	03	17501	
		खादी सिविल पेंशन	01	2215	0	0	
		एनपीएस पारिवारिक पेंशन	02	16130	01	6925	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	5675	
5	जयपुर (पेंशन)	सिविल पेंशन	1570	5804081	2212	8380140	06/20
		सिविल पारिवारिक पेंशन	1039	5049527	1818	8477924	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	26	62117	81	391669	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	52	196951	72	268652	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	77	462323	140	249937	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	127	740357	139	490794	
		खादी सिविल पेंशन	05	9936	10	12642	
		खादी पारिवारिक पेंशन	03	21992	07	71675	
		ए.आई.एस. सिविल पेंशन	23	253658	14	373357	
		ए.आई.एस. पारिवारिक पेंशन	08	83241	14	502880	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	10	93982	06	47842	
		जज सिविल पेंशन	58	550083	32	580076	
		जज पारिवारिक पेंशन	07	39020	14	134818	
		उच्च न्यायालय जज सिविल	0	0	04	21488	
6	झुंझुनु	सिविल पेंशन	198	74302	398	995371	02/21
		सिविल पारिवारिक पेंशन	30	103587	370	1365853	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	49	13490	40	88529	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	01	246	42	157422	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	09	10605	17	25191	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	02	3356	16	100917	
		खादी सिविल पेंशन	0	0	01	4837	
		एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	01	1082	04	5671	
		जज सिविल पेंशन	0	0	01	7120	
7	सवाई माधोपुर	सिविल पेंशन	15	39211	66	164258	02/21
		सिविल पारिवारिक पेंशन	15	54976	97	234149	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	02	2413	09	15183	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	03	7642	10	29631	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	0	0	05	9864	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	01	20	07	3119	
		एन.पी.एस. पारिवारिक	0	0	01	4191	
8	सीकर	सिविल पेंशन	64	76049	784	3987999	11/21

क्र. सं.	कोषालय	पेंशन की श्रेणी	पेंशनरों की संख्या	अधिक भुगतान राशि ₹	पेंशनरों की संख्या	कम भुगतान राशि ₹	पेंशन चैक रजिस्टर माह
		सिविल पारिवारिक पेंशन	63	182759	423	3036247	
		पंचायत समिति सिविल पेंशन	08	2533	33	92909	
		पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	03	5188	32	129291	
		म्युनिसिपल सिविल पेंशन	02	2649	28	206707	
		म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	0	0	30	94611	
		एन.पी.एस. पारिवारिक	0	0	06	97790	
		जज सिविल पारिवारिक पेंशन	0	0	02	21524	
9	टोंक	सिविल पेंशन	202	391371	233	832380	12/20
	सिविल पारिवारिक पेंशन	138	429670	194	618820		
	पंचायत समिति सिविल पेंशन	04	6445	13	231695		
	पंचायत समिति पारिवारिक पेंशन	03	6706	05	11984		
	म्युनिसिपल सिविल पेंशन	05	2388	11	31269		
	म्युनिसिपल पारिवारिक पेंशन	06	30968	11	63950		
	खादी सिविल पेंशन	0	0	01	152		
	एन.पी.एस. पारिवारिक पेंशन	02	1202	01	644		
	जज सिविल पेंशन	01	9930	0	0		

परिशिष्ट संख्या - 17

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.1)

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु / पुनर्विवाह के पश्चात भुगतान की गई राशियों को संबंधित बैंक खातों से प्राप्त कर राजकोष में जमा नहीं कराने का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
1	अजमेर	सरवाड़	130	364500
		भिनाय	11	48750
		पीसांगन	62	291500
		पुष्कर	28	365000
		रूपनगढ़	104	513250
		अजमेर (पेंशन)	573	4204250
2	अलवर	रैनी	24	40000
		लक्ष्मणगढ़	556	1285000
		कोटकासिम	177	1343250
		अलवर (पेंशन)	1658	4434250
3	ब्यावर	ब्यावर	51	305250
		मसूदा	258	1054250

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
4	दौसा	महुवा	16	69250
		दौसा	315	1736500
5	जयपुर (ग्रामीण)	सांगानेर	34	148500
		वृद्धावस्था पेंशन	457	1984000
		बस्सी	2336	15727500
		दूदू	274	1585000
		चौमू	378	1250250
		कोटपूतली	447	2227200
		विराटनगर	61	316750
		शाहपुरा	479	2613000
6	झुंझुनु	उदयपुरवाटी	150	854000
		नवलगढ़	944	3389000
		चिड़ावा	708	3110250
		बुहाना	831	4436000
		मलसीसर	33	78250
		सूरजगढ़	23	94750
		झुंझुनु (पेंशन)	2034	16714250
		7	सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाड़ा
खण्डार	490			2436250
बौली	669			2558750
मलारना डूंगर	402			1948000
बामनवास	285			1931000
सवाई माधोपुर	236			1739000
8	सीकर	दांता रामगढ़	1189	7902750
		लक्ष्मणगढ़	36	129750
		नीम का थाना	249	1313250
		फतेहपुर	1067	5593500
		श्रीमाधोपुर	499	2904000
		सीकर (पेंशन)	1795	7402000
9	टोंक	निवाई (जनित रिपोर्ट में कुल 06 प्रकरण व वसूली योग्य राशि केवल ₹ 10500/- दर्शाई गई हैं जबकि नमूनों जांच के 05 प्रकरण में ही वसूली योग्य राशि नियमानुसार ₹ 15500/- बनती है)	05	15500
		टोड़ा रायसिंह	316	745000
		मालपुरा	1940	16178500
		देवली (कुल 60 प्रकरणों की ₹ 203750/- में से नमूना जांच के 04 प्रकरणों में राशि ₹ 50000/- की वसूली कर निरीक्षण दल को अवगत कराया गया तदनुसार शेष 56 प्रकरणों में भी राशि ₹ 153750/- की वसूली	56	153750

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोष / उप कोष का नाम	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि ₹
		वांछित है।)		
		टोंक	501	2291750
		योग	23226	127282200

परिशिष्ट संख्या - 18

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.5.4)

राजएसएसपी के अन्तर्गत दोहरी स्वीकृतियां जारी करने के फलस्वरूप किये गये

दोहरे भुगतान का विवरण

क्र.सं.	जिला कोषालय	कोषालय / उप कोषालय	पेंशनरों की संख्या	दोहरे भुगतान की राशि ₹
1	अजमेर	सरवाड़	02	9000
		पीसांगन	01	750
2	जयपुर (ग्रामीण)	वृद्धावस्था (पेंशन)	02	24500
3	सीकर	दांतारामगढ़	02	12000
		फतेहपुर	01	6000
		श्रीमाधोपुर	02	11250
		योग	10	63500

परिशिष्ट संख्या-19

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.1)

निजी निक्षेप खाताधारकों से 31 मार्च को शेष रही राशि के सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
1	अलवर	1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	18
		2	सहायक निदेशक, बाल विकास, अलवर	23
		3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नीमराना	146
		4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रैणी	162
		5	शिक्षा कॉर्पोरेटिव, अलवर	165
		6	राजकीय पॉलिटेक्निक, अलवर	167
		7	कन्ट्रोलर, अलवर	170
		8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवाड़ी	5026
		9	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़	5029
		10	लॉईस यूनिवर्सिटी चिकानी, अलवर	5752

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		11	कृषि उपज मंडी समिति, बड़ौदा मेव	5945
2	दौसा	12	डीडब्ल्यूडीए, दौसा	1771
		13	कमांडेंट गृह प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा	2733
		14	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., दौसा	3017
		15	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), दौसा	3019
		16	जिला अल्प बचत अधिकारी, दौसा	3059
		17	वरिष्ठ डी.ई.ओ. कम बी.ई.ई.ओ., बांदीकुई	3062
		18	वरिष्ठ डी.ई.ओ. कम बी.ई.ई.ओ., लालसोट	3063
		19	वरिष्ठ डी.ई.ओ. कम बी.ई.ई.ओ., महुवा	3065
		20	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, महुआ जिला दौसा	6031
		21	जिला मिन्नरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी), दौसा	6237
3	जयपुर (शहर)	22	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, जयपुर	547
		23	सचिव, मुस्लिम वक्फ बोर्ड	548
		24	उप निदेशक, अल्प बचत	549
		25	मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण,	551
		26	आर.आर. टेक्स्ट बुक बी, जयपुर	557
		27	अध्यक्ष ग्रामदान बोर्ड, जयपुर	558
		28	जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	559
		29	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	560
		30	क्षेत्रीय स्वयं, जयपुर (शहर)	1275
		31	आई.टी.आई., जयपुर	3485
		32	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर	3487
		33	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3488
		34	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला, जयपुर	3493
		35	मंत्री सेण्ट्रल प्रेस कॉर्पोरेशन, जयपुर	3496
		36	राजभवन अन्य	3398
		37	डी.एफ.ओ. ईस्ट, जयपुर	3499
		38	महिला एवं बाल विकास	3500
		39	राज्य पशु रोग	3541
		40	प्राचार्य, राजकीय दंत चिकित्सालय	3542
		41	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय जेल	3544
		42	रिपेमेंट ऑफ एच.ओ.	3634
		43	रिकवरी ऑफ एच.बी.	3637
		44	रिकवरी ऑफ एच.बी.	3638
		45	सिसोदिया विद्यादर विकास समिति	3656
		46	रिकवरी ऑफ con	3658
		47	रिकवरी ऑफ con	3659
		48	डिप्लोमा इन फार्मसी, जयपुर	3673
		49	नागरिक सुरक्षा	3697

क्र.सं.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		50	जिला महिला विकास	3698
		51	राजस्थान कौशल स्कूल ऑफ एमीनेशन	3706
		52	ज्योति विद्यापीठ	3717
		53	महिला शिक्षा	3723
		54	महात्मा ज्योतिराव	3726
		55	जगगनाथ गुप्ता	3728
		56	रितनन्द बलदेव	3730
		57	प्रताप यूनिवर्सिटी	4197
		58	देव यूनिवर्सिटी	4201
		59	जिला आयुर्वेद	5619
		60	आई.सी.एफ.ए. यूनिवर्सिटी	5628
		61	महात्मा गांधी	5637
		62	राजस्थान भू अभिलेख जयपुर	5718
		63	डा. भीमराव अम्बेडकर, जयपुर	5776
		64	जे.ई. सी.आर.सी. यूनिवर्सिटी	5782
		65	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी	3715
		66	अपेक्स विश्वविद्यालय	6379
		67	जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी)	6399
		68	संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा	6453
		69	जिला कलेक्टर भूमी अर्जन, जयपुर	6678
4	जयपुर (सचिवालय)	70	डी.एफ.ओ. ईस्ट, जयपुर	3499
		71	अरावली जयपुर	3761
		72	राजस्थान राज्य वेटेनरी चिकित्सा परिषद	3775
		73	तिलम संघ	3784
		74	विजा वृद्धि एवं रिलेटेड फीस	3790
		75	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर	3796
		76	राजस्थान बुनकर सहकारी संघ लि.	3799
		77	उपनिदेशक कृषि (विस्तार)	3800
		78	राजस्थान राज्य एग्री इण्डस्ट्रीज निगम	3829
		79	श्री करनपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति	3957
		80	खेतान पॉलो कॉलेज, जयपुर	3970
		81	संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा	3974
		82	पी.डी. कोर, जयपुर	3981
		83	रिड कोर, जयपुर	3987
		84	राजस्थान राज्य पशु पालक बोर्ड, जयपुर	3989
		85	राजस्थान राहत कोष, जयपुर	3994
		86	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	4012
		87	शिल्प एवं माटी कला बोर्ड	4021
		88	महाराज विनायक	5576

क्र.स.	कोषालय का नाम	क्र.सं.	सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाली खाता धारक संस्था का नाम	खाता संख्या
		89	राजस्थान आवास	5629
		90	डिविजनल आवास	5640
		91	पूर्णिमा विश्वविद्यालय	5693
		92	स्टेट प्रोजेक्ट फेसिलिटेशन यूनिट	5706
		93	राजस्थान वक्फ बोर्ड	5742
		94	ओपीजेएस विश्वविद्यालय	5750
		95	राजस्थान इन्सट्यूट ऑफ एगो प्रोसेसिंग सेन्टर भरतपुर	5762
		96	वक्फ विकास परिषद, जयपुर	5765
		97	आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय	5797
		98	प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीण	5806
		99	राजस्थान पैरामेडिकल परिषद	5816
		100	विमुक्ति घुमंत	5818
		101	स्टेट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	5957
		102	निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर	6007
		103	सिविल डिफेन्स विभाग	6078
		104	केश कला बोर्ड	6207
		105	वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन एकेडमी	6635
5	जयपुर(ग्रामीण)	106	इन्सिट्यूट ऑफ इन्जिनियरिंग मैनेजमेंट, उदयपुरिया (चौमू)	2075
6	झुंझुनू	107	आई.सी.डी.एस., झुंझुनू	1403
		108	श्रमिक कल्याण अधिकारी, झुंझुनू	1513
		109	ओ.एस.डी. राजस्थान खेल विश्व विद्यालय, झुंझुनू	5873
7	सवाई माधोपुर	110	निदेशक, कृषि विभाग, सवाई माधोपुर	1634
		111	एफ.एफ.डी.ए. सवाई माधोपुर	1636
		112	उप निदेशक, टाईगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर	1637
		113	उप निदेशक, (बाल विकास) महिला एवं बालविकास विभाग, सवाई माधोपुर	1638
		114	उप अधीक्षक, जिला जेल , गंगापुर सिटी	1716
		115	रणथम्भौर टाईगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर	5725
		116	जिला मिनेरल फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड (डीएमएफटी) , सवाई माधोपुर	6252
		117	राजकीय आई.टी.आई. चौथ का बरवाड़ा	6654
8	सीकर	118	आयुक्त, वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट, सीकर	1487
		119	परियोजना निदेशक, डी.डब्ल्यू.डी.ए., सीकर	1575
		120	राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर	1576
		121	श्री एस.आर.एम. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, नीमकाथाना	6194
		122	राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़	6865

परिशिष्ट संख्या- 20

(संदर्भ पैरा संख्या - 3.7.2)

निजी निक्षेप खातों व संस्था की पासबुक के आंकड़ों के मध्य अन्तर का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	खाता संख्या	संस्था का नाम	कोषालय के आंकड़े राशि ₹	संस्था के आंकड़े राशि ₹	धनात्मक अंतर राशि ₹	ऋणात्मक अंतर राशि ₹
1	अलवर	54	कमांडेंट होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	1923348.33	1947198.33	0	23850
2	दौसा	3061	अति. जिला शिक्षा अधिकारी कम बी.ई.ई.ओ., दौसा	66587550.29	71776924.94	0	5189374.65
3	जयपुर(शहर)	543	देवस्थान विभाग	154696.64	158202.64	0	3506.00
4	जयपुर (सचिवालय)	3993	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	10147885.70	10146323.70	1562.00	0
5	सीकर	5698	प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर	14528341.46	14401841.46	126500.00	0
योग				93341822.42	98430491.07	128062.00	5216730.65

परिशिष्ट संख्या- 21

(संदर्भ पैरा संख्या -3.7.3)

निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को बंद कियेजाने का अभाव

क्र.सं.	कोषालय का नाम	खाता संख्या	खाता धारक संस्था का नाम	दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष राशि ₹
1	अजमेर	396	पुलिस अधीक्षक	387060.53
2	अलवर	162	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रेणी	163750.00
3	बारां	1257	कृषि अधिकारी उद्यान	291047.00
		477	न्यू एम.सी.ए. ओ.बी.सी.	2555.00
4	भरतपुर	2220	अधीक्षक, आई.टी.आई.	780426.00
5	चूरु	2839	जिला महिला विकास अधिकारी	166338.00
6	धौलपुर	4943	उप निदेशक, कृषि विस्तार	0
7	डूंगरपुर	474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे	122355.00
8	जयपुर (शहर)	3494	भारतीय जीवन बीमा निगम	0
		3544	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय कारागार	259500.00
		3634	रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन दिनांक 31.03.2004 तक	0

		3637	रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एच.डी.एफ.सी.	0
		3638	रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एस.बी.बी.जे.	0
9	जयपुर (ग्रामीण)	4916	आई.टी.आई., सांभरलेक	182367.00
10	जयपुर (सचिवालय)	3750	निदेशक, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान	0
		5679	राजस्थान, एकस सर्विसमेन, जयपुर	0
		5762	राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एगो प्रोसेसिंग केन्द्र, भरतपुर	2944916.00
		5816	राज सहा	623648.00
		5917	राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी	0
11	झालावाड़	4711	सहायक निदेशक, पशु प्रजनन केन्द्र, डग	0
12	झुंझुनु	1403	उप परियोजना निदेशक, महिला एवं बालविकास संस्थान	0
13	जोधपुर (शहर)	2093	प्राचार्य, कृषि मृदा संरक्षण	559327.00
14	जोधपुर (ग्रामीण)	474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे	3031.00
15	जैसलमेर	474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे	112685.00
16	टोंक	2320	अधीक्षक, जिला ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थान	19181.00
		4192	रिजनल स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण एवं निगम	8776.90
17	नागौर	2719	कोषाधिकारी, रिकवरी ऑफ एम.सी.ए. लोन एस.बी.बी.जे.	60037.00
		2726	सहायक निदेशक, पशु प्रजनन केन्द्र	0
18	पाली	1776	अधिकाधी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधान	2354512.88
		1846	उप निदेशक, (आई.सी.डी.एस.) जिला महिला विकास अभिकरण	0
		5800	सचिव, शहरी सुधार न्यास	39934.00
19	सिरोही	5788	माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा	5000.00
20	उदयपुर (ग्रामीण)	989	अधिकाधी अभियंता, सिंचाई खण्ड सलूमबर	5198017.00
योग				14284464.31

परिशिष्ट संख्या - 22

(संदर्भ पैरा संख्या -3.9.1)

निजी निक्षेप खाता सं. 473 जमा राशि का विवरण

क्र.सं.	कोषालय का नाम	दिनांक	राशि ₹
1	अजमेर	28.02.2021	3747217.00
2	अलवर	28.02.2021	14202220.00
3	बांसवाड़ा	28.02.2021	23595590.20
4	बारां	28.02.2021	7398617.00
5	बाड़मेर	28.02.2021	2362389.00
6	बीकानेर	28.02.2021	19164422.00
7	बूंदी	28.02.2021	6592421.00
8	भरतपुर	28.02.2021	7521877.06
9	भीलवाड़ा	28.02.2021	20836388.18
10	चित्तौड़गढ़	28.02.2021	33708226.00
11	चूरू	28.02.2021	12718456.30
12	दौसा	28.02.2021	13990954.00
13	डूंगरपुर	28.02.2021	29969899.07
14	धौलपुर	28.02.2021	20582718.62
15	श्री गंगानगर	28.02.2021	5521247.00
16	हनुमानगढ़	28.02.2021	9663572.00
17	जयपुर (शहर)	28.02.2021	6047061.00
18	जयपुर (ग्रामीण)	28.02.2021	10851843.00
19	जयपुर (सचिवालय)	28.02.2021	8373087.00
20	जयपुर (पेंशन)	28.02.2021	5700270.00
21	जालौर	28.02.2021	1472305.00
22	जैसलमेर	28.02.2021	7408139.00
23	जोधपुर (शहर)	28.02.2021	5172516.40
24	जोधपुर (ग्रामीण)	28.02.2021	2528809.00
25	झालावाड़	28.02.2021	14613202.57
26	झुंझुनु	28.02.2021	14451479.00
27	करौली	28.02.2021	21278917.00
28	कोटा	28.02.2021	4231191.92
29	नागौर	28.02.2021	2628684.78
30	पाली	28.02.2021	24490030.00
31	प्रतापगढ़	28.02.2021	5199798.00
32	राजसमंद	28.02.2021	3728368.00
33	सवाई माधोपुर	28.02.2021	3156779.00
34	सिरोही	28.02.2021	5153549.00
35	सीकर	28.02.2021	5779116.00
36	टोंक	28.02.2021	17107739.00
37	उदयपुर	28.02.2021	17269779.00
38	उदयपुर (ग्रामीण)	28.02.2021	9713795.00
योग			427932673.10

© कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान,
जयपुर

Website : agaerajasthan@cag.gov.in
